खण्ड-213, अंक-5
गुरूवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1882
(5 मई, 1960 ई0)

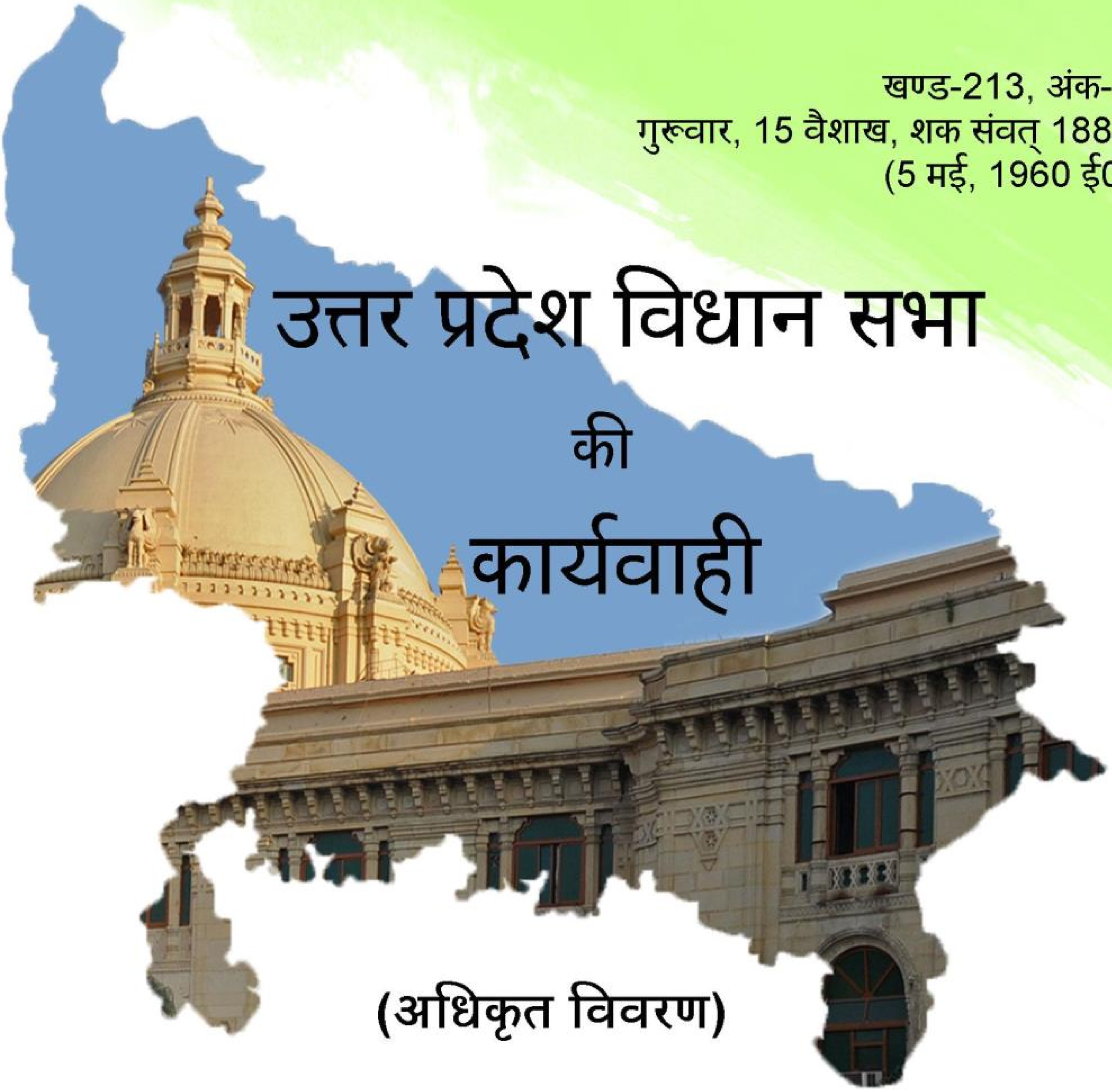

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 213 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ मई, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमदबख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
ननरायणदास पासी, श्री
जपरंनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मोहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ मई, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खलिहान में फसल की क्षति

**१--श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---क्या यह सत्य है कि रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार फसल कट कर खलिहान में चले जाने के बाद हुई क्षति का नक्शा माल विभाग के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)--जी नहीं । इस क्षति का नक्शा भी तैयार किया जाता है ।

**२--श्री गौरीशंकर राय---अगर हां, तो क्या सरकार यह देखते हुये कि पिछले एक माह के अन्दर प्रदेश के विभिन्न भागों में रबी की फसल को वर्षा से जो क्षति पहुंची है, उसका अधिकांश खेत से कट कर खलिहान में जाने पर हुई है, कोई ऐसा विशेष आदेश करेगी कि खलिहानों में हुई क्षति का भी अनुमान लगाया जा सके और नियमानुसार रियायत दी जा सके ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---ऐसे कोई आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता और न इसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को मालूम है कि इस साल गल्ला खलिहानों में जाने के बाद ओले और वर्षा से तमाम फसल सड़ गई है और उसके नुकसान का कोई एसेसमेन्ट नहीं हुआ है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---ऐसी शिकायत सरकार के पास नहीं आई है ।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, यह जो नुकसान का नक्शा जिस समय बताया गया था उस समय वर्षा और ओले से जो नुकसान हुआ था उसका सही नक्शा नहीं पेश किया गया और कोई सरकारी अधिकारी किसी खलिहान में गया ही नहीं .....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं, प्रश्न पूछिये ।

श्री गौरीशंकरराय---मैं, श्रीमन्, जानना चाहता हूं कि खलिहानों के नुकसान के सिलसिले में क्या सरकार के पास अलग से कोई फिगर्स हैं ? क्या ऐसा कोई नक्शा है जिससे यह पता चल सके कि खेत में कितना नुकसान हुआ और खलिहान में आकर कितना नुकसान हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---अभी तक ऐसा असेसमेंट, मान्यवर, सरकार के पास नहीं आया है । जो ब्योरे यथासमय तैयार होते हैं उनको जिलाधीश यथासमय सरकार के पास भेजा करते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री इस बात को जानते हैं कि पूर्वी जिलों में मार्च के महीने में जो फसल कट कर खलिहानों में गई वह काफी तादाद में ओले और वर्षा के कारण नष्ट हो गई और माननीय राजस्व मंत्री तथा उपमंत्री जी को इस बात की जानकारी है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जिस वक्त मैं गया था उस समय फसल कटी कम थी । इसकी इत्तिला मुझे नहीं है कि कितनी क्षति खलिहानों में हुई है । लेकिन जितना नुकसान खेतों में और खलिहानों में होता है उन सब को देख कर ही छूट आदि देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

श्री गौरीशंकरराय---क्या माननीय मंत्री जी इसको सूचना मानकर इस बात की रिपोर्ट जिलों से मंगवायेंगे कि खलिहानों का एसेसमेन्ट अलग से हुआ है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह जो जरूरी है नियम के अनुसार वे उसको खुद ही कर रहे हैं । सूचना की जरूरत नहीं है ।

मालधन चौड़ के भूमिहीन हरिजन के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन ।

**३---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने मालधन चौड़, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के भूमिहीन हरिजनों के प्रतिनिधिमन्डल को मार्च, १९६० में रामनगर स्थान में आश्वासन दिया था कि अगर वे लोग नई जगह छोड़ कर वापस मालधन चौड़ आ जायेंगे तो उनमें से जिस जिस को सजा हुई या जिनके ऊपर मुकदमें हुये हैं वे सब माफ कर दिये जावेंगे और उन्हें भूमि भी अलाट की जायगी ? क्या उन हरिजनों ने शर्तें पूरी कर दीं और क्या उन्हें रिहा कर दिया गया है, और जमीन दे दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)---जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि कुछ उसी तरह का आश्वासन दिया गया था, उसी के अनुसार गिरफ्तार किये गये और सजायाफ्ता लोगों को सजा में छूट देने के लिये गृह विभाग से सिफारिश की गई है । जिलाधीश को भी यह आदेश दे दिया गया है कि मालधन चौड़ में इस समय जितनी जमीन उपलब्ध है उतनी वहां बसने की इच्छा रखने वाले भूमिहीन हरिजनों को दे दी जाय ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों ने अपने वायदे के अनुसार उस जमीन को २९ मार्च के करीब छोड़ दिया था और एक तार भी माननीय मंत्री जी के पास इस संबंध में भेजा गया था और उनको भी यह बताया गया था ३१-३-६० को कि यह जमीन छोड़ दी गई है । तो इस बारे में कोई कार्यवाही जल्दी न होने का क्या कारण है, जल्दी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि जमीन उन्होंने कब छोड़ी इसकी मेरे पास सूचना नहीं है । लेकिन अभी थोड़े दिन हुये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मेरे पास रिपोर्ट आई है कि अब उन्होंने जमीन छोड़ दी है । उन्होंने सिफारिश की है कि उनकी सजा माफ कर दी जाय । वह मामला होम डिपार्टमेंट में चल रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी को ३१-३-६० का मेरा खत मिला था और मंत्री जी ने अपने वादे के मुताबिक सजायाफ्ता लोगों को छुड़ाने के लिये क्या स्टैप लिये ?

श्री सैयदअली जहीर---जैसे ही खत आया मैंने डी० एम० से रिपोर्ट मंगाई, उस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी कुछ लोग गिरफ्तार किये गये ?

श्री सैयदअली जहीर---जहां तक मुझे सूचना है, उन लोगों ने स्वयं ही कोई ऐसी बात नहीं की जिससे गिरफ्तार होते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय वन मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन हरिजनों को पहले मालधन चौड़ में भूमि एलाट हुई थी और नहीं मिल सकी उनको फिर से भूमि देने के लिये कोई नये आदेश दिये गये हैं ?

श्री सैयदअली जहीर---यह मुझे नहीं मालूम है । वहां यह हुआ था कि सब हरिजनों को जमीन एलाट हो चुकी थी, लेकिन कुछ ने लेने से इंकार कर दिया था । दूसरी जगह लेने के लिये उनसे कहा गया, डी० एम० भी मेरे साथ थे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--जिन हरिजनों ने शर्तें पूरी कर दी हैं उनको कब तक आजाद किया जायगा और कब तक जमीन दी जायगी ?

श्री सैयद अलीजहीर--वे सब आजाद हैं । ५ आदमी ऐसे हैं जिनको श्री गोविन्द-सिंहजी से बात होने से पहले ही सजा हो चुकी थी । वे जेल में हैं और उनको होम डिपार्टमेन्ट द्वारा रेमिशन का सवाल है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मंत्री जी ने होम विभाग को कब लिखा कि उनकी सजा रेमिट कर दी जाय ?

श्री सैयद अलीजहीर--मैं माननीय सदस्य के खत पर ही और बिना डी० एम० की रिपोर्ट मंगाये नहीं लिख सकता था । रिपोर्ट आने पर मैंने लिखा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शुरुआत में ६०० आदमियों को जमीन एलाट हुई और बाद में धमल बांध के कारण केवल ४०० को ही मिली । तो क्या बाकी को दोबारा एलाट करने पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--दूसरी जगह पर कोशिश की जा रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मंत्रीजी के पास रिपोर्ट किस तारीख व महीने को आई और उन्होंने क्या अपना आर्डर ३ मई को भेजा ?

श्री सैयद अली जहीर--रिपोर्ट १४ अप्रैल को चलकर १९ अप्रैल को आई । मैंने आर्डर दिया, लेकिन तभी माननीय सदस्य का सवाल आ गया और फाइल रुक गई ।

तारांकित प्रश्न

*१-२--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३-५--**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)--[चौदहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६-८--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--[१८ मई, १९६० के लिये प्रश्न संख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९-११--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--[८ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न संख्या ४८-५० के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं ।]

*१२-१४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[बारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २६-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१५-१६--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल) तथा **श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)--[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

तालाब बघेल तथा तराई भावर क्षेत्र में शरणार्थियों का पुनर्वास

*१७--**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तालाब बघेल (बहराइच) के अतिरिक्त राज्य में अब तक कहां-कहां और कितने परिवार शरणार्थियों के बसाये जा चुके हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--यह सूचना उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्र करने से जो परिणाम निकलता वह एतदर्थ व्यय होने वाले धन, श्रम तथा समय के उपयुक्त न होता । अतः सूचना एकत्र नहीं की गई ।

*१८—श्रीमती राजेंद्रकिशोरी—क्या सरकार तालाब बघेल, जिला बहराइच में शरणार्थी परिवारों को बसाने की योजना का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस योजना का संक्षिप्त विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४३ पर)

*१९—श्रीमती राजेंद्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तराई भावर क्षेत्र में कुल कितने शरणार्थी परिवार इस समय बसे हुये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—४,१२० परिवार ऐसे बसे हुये हैं जिनके पुनर्वासन के निमित्त सरकार ने भूमि अलाट की है तथा इनके अतिरिक्त ऐसे परिवार भी हैं जो स्वयं आकर बस गये हैं, उनकी संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भोगांव तथा मैनपुरी के जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों से संबंधित मुकदमों की अपीलें

*२०—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, तहसील मैनपुरी व तहसील भोगांव से सम्बन्धित फौजदारी की अपीलें १९५८ से अगस्त, १९५९ तक जो फैसल हुई हैं, उनमें कितनी स्वीकार हुई हैं और कितनी अस्वीकार हुई हैं और कितनी अब भी विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—६६ स्वीकार हुईं, १०५ अस्वीकार हुईं। इसके अतिरिक्त ५ अपीलों में हुक्म सजा तरमीम हुआ और ४५ विचाराधीन हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलायेगी कि मैनपुरी, भोगांव के जुडिशल मैजिस्ट्रेटों ने ७१ मुकदमों में गलत सजा क्यों की ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वे भोगांव के मामलात थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी जानबूझ कर भोगांव में ऐसी ही क्वालिफिकेशन के मैजिस्ट्रेट भेजते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वहां की आबहवा से वे मुतास्सिर हो जाते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि मंत्री जी इस समय भोगांव की मनोवृत्ति से जवाब दे रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, बल्कि प्रश्नकर्त्ता पर उसका असर मालूम होता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि भोगांव का मंत्री जी को निजी अनुभव हो चुका है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मुझे तो पालीवाल जी के अनुभव से फायदा उठाना है।

गोरखपुर जिले के एक मेडिकल आफिसर के विरुद्ध शिकायत

*२१—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन के पास कोई ऐसी शिकायत किसी मेडिकल आफिसर के विरुद्ध प्राप्त हुई है कि उक्त मेडिकल आफिसर ने शराब के नशे की हालत में तारीख २६-८-५९ की रात्रि में किसी स्टाफ नर्स और टिटेनस वार्ड के किसी मरीज के भाई को बुरी तरह थप्पड़ों और जूतों से मारा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई कि मेडिकल आफिसर शराब के नशे में थे। परन्तु एक स्टाफ नर्स ने २७-८-५९ को इस आशय की शिकायत की कि मेडिकल आफिसर ने उसे थप्पड़ों से मारा। जांच से पता चला कि यह शिकायत निराधार थी।

*२२—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोरखपुर जिला चिकित्सालय में तथा नर्सेज के रहने के स्थान पर उस समय पुलिस का पहरा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह पुलिस का पहरा क्यों और किसके आदेश पर लगाया गया था?

श्री बलदेवसिंह आर्य—२६-८-५९ की रात्रि को दो बजे के करीब एक पुरुष स्टाफ नर्स शहर के ५-६ गुंडों के साथ अस्पताल की सीमा के अन्दर आ गया था और नर्सों के साथ छेड़खानी की थी। इसकी सूचना मेडिकल आफिसर को दी गई। मेडिकल आफिसर ने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से अस्पताल में कुछ कानिस्टेबिलों की नियुक्ति की प्रार्थना की। कुछ कानिस्टेबिल एक सप्ताह तक के लिये नियुक्त किये गये। इसका परिणाम सन्तोषजनक रहा।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मेडिकल अफसर के विरुद्ध शिकायत की जांच किस अफसर ने की और रिपोर्ट क्या है? क्या मंत्री जी उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शायद सिविल सर्जन ने जांच की थी।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस का पहरा हास्पिटल के नर्सिंग क्वार्टर पर भी लगाया गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लल्लन बिहारी मेल स्टाफ नर्स ने नर्स के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वह सस्पेंड किया गया। तब उसने मेडिकल अफसर के खिलाफ यह गलत चार्ज लगाया और ४, ५ गुंडे लेकर आया।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—जिस मरीज को थप्पड़ मारा, उसकी भी शहादत ली गयी और क्या उसने किसी का नाम बतलाया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मरीज को थप्पड़ मारने की बात नहीं है। प्रश्नकर्ता महोदय ने सवाल को समझने की चेष्टा नहीं की।

श्री अमर नाथ—उस दिन जो गुंडे आये, क्या उससे पहले भी वहां गुंडे आये और नर्सों के साथ छेड़छाड़ की और क्या यह सही नहीं है कि मेडिकल आफिसर ने अपनी शिकायत को छिपाने के लिये ऐसी साजिश गढ़ी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आखिरी बात सही नहीं है। पहले जो गुंडे आये थे उसकी इत्तला मुझे नहीं है।

एडीशनल कमिश्नर, झांसी का कार्यालय बन्द करने का विरोध

*२३—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह झांसी के एडीशनल कमिश्नर का कार्यालय बन्द करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एडिशनल कमिश्नर, झांसी का कार्यालय १ नवम्बर, १९५९ से मुकदमों की संख्या बहुत कम होने के कारण बन्द हो गया है।

*२४—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस सम्बन्ध में उसके पास विरोध पत्र व प्रस्ताव आये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

गर्भ निरोधक यंत्र तथा दवाइयां बांटने की व्यवस्था

*२५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवार नियोजन केन्द्रों में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क या सहायिक दरों पर यांत्रिक कन्ट्रासेप्टिव देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, यह योजना पिछले वित्तीय वर्ष से ही कार्यान्वित कर दी गई है।

*२६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना की रूप-रेखा क्या है और किस आधार पर ग्रामीण जनता उससे लाभ उठा सकेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गर्भ निरोधक यंत्र तथा दवाइयां (कन्ट्रासेप्टिव), नगरीय तथा ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों द्वारा उनके क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रकार से बांटी जाती है :—

(१) नगरीय क्षेत्र—१०० रुपया मासिक से कम आय वाले व्यक्तियों को सब प्रकार के गर्भ निरोधक बिना मूल्य, १०० रु० से २०० रु० तक वाले व्यक्तियों को आधे मूल्य पर और २०० रु० से अधिक आय वाले व्यक्तियों को क्रय मूल्य पर दिये जाते हैं।

(२) ग्रामीण क्षेत्र—शीथ और फोम टेबलेट सभी को बिना मूल्य दिये जाते हैं। अन्य गर्भ निरोधक १०० रु० से कम मासिक आय वालों को बिना मूल्य, १०० रु० से २०० रु० तक आय वालों को आधा मूल्य तथा २०० से अधिक आय वाले व्यक्तियों को क्रय मूल्य पर दिये जाते हैं। इस प्रकार परिवार नियोजन की इच्छुक ग्रामीण जनता उक्त योजना से पूरा लाभ उठा सकती है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या परिवार नियोजन केन्द्रों का सारा खर्चा भारत सरकार देती है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी सहायता दी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी सूचना नहीं है, लेकिन इन केन्द्रों पर जितना भी खर्चा होता है वह सब भारत सरकार ही देती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि लांग टर्म प्लानिंग के दृष्टिकोण से परिवार नियोजन देश और प्रदेश के लिये बहुत आवश्यक है, इस योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत ऊंची प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोशिश तो यही हो रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्ट्रासेप्टिव भी कई प्रकार के होते हैं, उनके मूल्य क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी ने इसके आंकड़े निकाले हैं कि उसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—संभव है निकाले हों, लेकिन इस समय हमारे पास नहीं हैं।

न्यायालयों में भ्रष्टाचार जांच समिति के काम

*२७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिये बनाई गई समिति ने अब तक कौन-सी कार्यवाही की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—भ्रष्टाचार की जांच के लिये बनाई गई समिति ने प्रश्नावली जारी करके, विभिन्न स्थानों का दौरा करके वहां के अधीनस्थ न्यायालयों की वास्तविक कार्य-विधि का निरीक्षण करके और संबंधित व्यक्तियों तथा बार एसोसियेशन के सदस्यों का बयान लेकर आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली है।

समिति ने नियम तथा प्रक्रिया और उप-समिति ने प्रक्रिया के नियमों की जांच करली है और उन नियमों में जिनसे भ्रष्टाचार, बिलम्ब तथा उत्पीड़न को अवसर मिलता है, इन दोषों को दूर करने के हेतु आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं।

*२८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समिति द्वारा किन-किन जिलों का दौरा हुआ है तथा कमेटी के सामने बयान देने का निमंत्रण किसके द्वारा भेजा गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—समिति द्वारा स्थापित उप-समितियों ने गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, फैजाबाद और इलाहाबाद का दौरा किया है।

समिति के सामने बयान देने का निमंत्रण समिति के सचिव द्वारा भेजा गया।

*२९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर कब तक रख दी जायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है। जितनी जल्दी हो सका, समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जायेगी। समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट सी० पी० सी० में संशोधन के सुझाव देते हुये सरकार को भेज भी दी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कमेटी ने जो सी० पी० सी० के संशोधन के लिये अन्तरिम रिपोर्ट भेजी है, उस पर क्या सरकार बहुत शीघ्र कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अभी तो वह विचाराधीन है।

सगड़ी तहसील में ओलापीड़ितों को लगान में छूट

*३०—श्री मुक्तिनाथराय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत सगड़ी तहसील के पडरी, मवनापार, कटुई, पूरा बाल नरायन, आदि ग्राम जो गत वर्ष पूर्ण रूप से ओले से पीड़ित थे उनसे इस वर्ष ओले गिरने के समय का भी लगान वसूल किया जा रहा है या वसूल करने की योजना है और लगान माफी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इन ग्रामों में इस वर्ष ओला गिरने के समय का लगान वसूल नहीं किया जा रहा है और न उसे वसूल करने की कोई योजना है। नियमानुसार लगान में माफी दी गई है।

*३१—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष इस सम्बन्ध में जिलाधीश, आजमगढ़ व प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ओले के समय की नियमानुसार माफ की हुई मालगुजारी की वसूली नहीं हो रही है अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त ग्राम और उसके पड़ोस के गांवों में कितनी-कितनी माफी दी गयी है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसील सगड़ी के पड़री, मधनापार, महुआपार, कांधरपुर और अंडाखोर—इन पांच ग्रामों में १२ आना और १२ आना से अधिक ओले से नुकसान था इसलिये इन ग्रामों की रबी सन् १३६६ फसली की पूरी मालगुजारी ३,६२३ रुपया माफ कर दी गयी है। दो ग्राम कटुई और भकुरा में रुपये में १० आने से अधिक और १२ आने से कम का नुकसान था इन दो ग्रामों की मालगुजारी की मांग ३१९ रुपया ७ न० पै० थी जिसमें से नियमानुसार १८७ रु० १२ न० पै० माफ कर दिया गया। शेष ३६ ग्रामों में जिसमें नारायण भी शामिल है, ८ आने से अधिक और १० आने से कम का नुकसान था। इन ग्रामों की मालगुजारी १९,१०८ रु० ४० न०पै० थी जिसमें नियमानुसार ५,९९१ रु० ३६ न० पै० माफ कर दिया गया। इस माफ की हुई मालगुजारी की वसूली नहीं की जा रही है और न उसको वसूल करने की कोई योजना है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत आयी है कि खातेवार द्वारा क्षति का विवरण बनाने में लोगों को ठीक से सहायता नहीं मिल पायी है तो क्या क्षेत्रवाइज क्षति का विवरण बनाने के लिये सरकार विचार करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नियम के अनुसार ठीक ही हो रहा है।

पड़ताल में विधायकों का परामर्श न लेने की शिकायत

*३२—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने परगनाधीशों को यह आदेश दिये हैं कि वे इस सदन के सदस्यों को पड़ताल आदि के कार्य में साथ में न लें? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं।

*३३—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि परगनाधीशों ने अपने इस वर्ष के शीतकालीन दौरों में उन सब ही हिदायतों का पालन नहीं किया है जो सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी विषय पर जारी किये गये थे? क्या सरकार उन हिदायतों की एक प्रति सदन की मेज पर भी रखेगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं। संबंधित आदेश की एक प्रति† संलग्न है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि माननीय सदस्यों को परगनाधीशों ने परताल के वक्त प्रदेश में कहीं नहीं बुलाया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी तो मुझे सूचना नहीं है कि कहीं नहीं बुलाया।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५८ में सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये कि परगनाधीश और तहसीलदार जब दौरे पर देहात में जायं तो स्थानीय विधान सभा के सदस्यों को भी साथ ले लें, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का भी प्रयत्न किया है कि परगनाधीशों और तहसीलदारों ने उक्त आदेश का पालन किया या नहीं?

---

† प्रति छापी नहीं गयी।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२–३३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, किया है और इसका लाभ ४३० सदस्यों में से केवल ६७ ने ही उठाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केवल ६७ ही विधान सभा सदस्यों ने लाभ उठाया और बाकी ने नहीं उठाया, इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उदासीनता।

अयोग्य चिकित्सकों द्वारा इंजेक्शन लगाने की शिकायत

*३४—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि कितने ही unqualified लोग चिकित्सा के अलावा ऐसे इंजेक्शनों का भी प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग केवल किसी qualified डाक्टर द्वारा न किये जाने से मरीज के लिये बहुत ही खतरनाक हो सकता है ? यदि हां, तो वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां। अयोग्य चिकित्सकों द्वारा अनधिकार रूप से इंजेक्शन लगाये जाने की शिकायतें यदा कदा आती रहती हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आवश्यक विधेयक (Legislation) बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

नीलगांव राजकीय औषधालय में मिडवाइफ का न होना

*३५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या यह सत्य है कि नील गांव (सीतापुर) राजकीय औषधालय में मिडवाइफ की नियुक्ति के लिये सितम्बर, १९५९ में कई पत्र स्वास्थ्य सचिव को लिखे गये लेकिन अभी तक किसी भी मिडवाइफ की नियुक्ति उक्त औषधालय में नहीं की गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। नीलगांव में मिडवाइफ अब दिसम्बर, १९५९ से नहीं है। मिडवाइफों की कमी होने के कारण अभी तक वहां नियुक्ति नहीं हो पाई। वहां मिडवाइफ भेजने की कोशिश की जायगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि मिडवाइफ दिसम्बर, ५९ से नहीं है तो क्या इसके पूर्व भी वह छुट्टी पर थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह इससे पहले एक साल तक छुट्टी पर रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि माननीय मंत्री जी डेढ़ या दो साल के प्रयत्न के बाद भी कोई मिडवाइफ उक्त अस्पताल में नहीं भेज सके हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि उनके पति को उक्त अस्पताल में पुनः इन्चार्ज नियुक्त किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे वहां ७ वर्ष तक रह चुके हैं। उनका दोबारा वहां भेजना ठीक नहीं है।

कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था

*३६—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुष्ठ रोग निवारण के लिये उसकी ओर से प्रदेश में कहां-कहां अस्पताल खोले गये हैं तथा और कहां-कहां गैर-सरकारी अस्पताल खुले हुये हैं ?

*३७—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त गैर-सरकारी अस्पतालों में से प्रत्येक को कितना-कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इस सम्बन्ध में एक सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५४४ पर)

*३८—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुष्ठ रोगियों की संख्या प्रदेश में इस वक्त कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश में लगभग ८०,००० कुष्ठ रोगियों की संख्या है।

हलवाई संघ की मांगें

*३९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या हलवाई संघ का एक शिष्ट मंडल उनसे १७ फरवरी, १९६० को उनके निवास स्थान पर मिला था और उसने लिखित मांगें संघ की दी थीं ? यदि हां, तो वे मांगें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१—जी हां। १७-२-६० को नहीं ७-२-६० को मिला था।

२—मांगें निम्नलिखित हैं :

(क) पृथक् पृथक् जगहों के लाइसेंस प्रणाली समाप्त की जाये जैसा कि एक लाइसेंस पर कपड़े का व्यापारी बाजारें तथा मेले भी करता है। उसी भांति छोटी पूंजी वाले हलवाई को भी मौका दिया जाये।

(ख) सेनेटरी इन्सपेक्टर को मेजा से गैर जिले में भेजा जाय।

(ग) इनके जुल्मों की जांच भ्रष्टाचार संस्था से कराई जाये और यदि उनके जुल्म सही पाये जायं तो इनको निष्कासित किया जाय।

(घ) लाइसेंस फीस शहरों के लिये दो रुपया है और ग्रामों में २० आना कोर्ट फीस अलग से लगवाई जाती है। देहाती हलवाइयों से यह वर्गीकरण समाप्त किया जाय।

(ङ) जिला हलवाई संघों के द्वारा प्रत्येक लाइसेंस लिये जायं क्योंकि सरकार ने जब मान्यता हलवाई संघ को दे रक्खी है और उसी के द्वारा चीनी, मैदा बटवाती है तब वह कमेटी स्वयं अपने मेम्बरों से लाइसेंस फार्म भरा कर ट्रेजरी में रुपया जमा कर देगी। इससे सरकार के कार्य में भी सहायता पहुंचेगी।

३—यह सब सरकार के विचाराधीन है।

*४०-४२—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[हटा दिये गये।]

इलाहाबाद तथा लखनऊ हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमें

*४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा लखनऊ हाईकोर्ट में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनका फैसला ३ वर्षों से नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१५,३४२ मुकदमें जिनमें से एक क्रिमिनल है और बाकी सिविल हैं।

*४४—श्री अमरनाथ—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

इलाहाबाद जिले में महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्य तथा राज्य के अनाथालय

*४५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में ग्राम तथा नगर में १९५८–५९ में तथा १९५९–६० में जनवरी, १९६० तक महिला मंगल योजना के अन्तर्गत कितने केन्द्र खोले गये और उनमें उतने समय में कौन-कौन से कार्य किये गये ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां। इस अवधि में इलाहाबाद जिले के ५ ग्रामों में केंद्र खोले गये जिनमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुटीर उद्योग की शिक्षा दी गई। मनोरंजन केंद्र स्थापित किये गये। बालकों को बालवाड़ी तथा शारीरिक शिक्षा दी गई। कुओं की सफाई आदि करके लाल दवा डाली गई। परिवारों में प्रौढ़ महिलाओं से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें साधारण शिक्षा दी गई। गर्भवती महिलाओं को प्राग्प्रसवोत्तर उपचार बताये गये।

*४६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने और किस किस जिले में अनाथालय हैं जिन्हें सरकार ने १९५८–५९ में आर्थिक सहायता दी है ? यह सहायता किस-किस रूप में दी गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रदेश में ३७ अनाथालय निम्न जिलों में हैं जिनको सरकार ने १९५८–५९ में आर्थिक सहायता दी है। यह सहायता धन के रूप में दी गई है।

जिलों के नाम

१—आगरा	१२—कानपुर
२—इलाहाबाद	१३—लखनऊ
३—अल्मोड़ा	१४—मथुरा
४—बांदा	१५—मिर्जापुर
५—बरेली	१६—शाहजहांपुर
६—बुलन्दशहर	१७—वाराणसी
७—गोंडा	१८—बलिया
८—गोरखपुर	१९—बस्ती
९—हमीरपुर	२०—देहरादून
१०—जालौन	२१—जौनपुर
११—खीरी	२२—मेरठ

*४७—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[१३ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

मकूर ग्राम समाज के अध्यक्ष द्वारा ११५-डी के अन्तर्गत कथित मुकदमे

*४८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत तहसील हसनगंज के ग्राम समाज मकूर के अध्यक्ष ने सन् १९५६–५७ व १९५७–५८ व १९५८–५९ व १९५९–६० से अब तक ग्राम समाज मैनुअल की धारा ११५-डी के अन्तर्गत कितने मुकदमें चलाये और कितने किसानों को बेदखल किया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ग्राम समाज मैनुअल में कोई धारा ११५-डी नहीं है। मुकदमात चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न ४८ श्री भीखालाल ने पूछा।

नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था अधिनियम न लागू किया जाना

*४९—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री गनेश चन्द्र काछी—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम" प्रदेश के कितने नागर क्षेत्रों में लागू हुआ है और इस अधिनियम को प्रदेश के सभी नागर क्षेत्रों में लागू करने के लिये सरकार कौन से प्रयत्न कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम अभी तक प्रदेश के किसी नागर क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है। इसको यथाशीघ्र लागू करने के लिये कृषि क्षेत्रों का परिच्छेदन कराया जा रहा है और अधिनियम के अधीन नियम बनाये जा रहे हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नागर क्षेत्र और टाउन एरिया केंद्र की जमींदारी किस तारीख तक समाप्त हो जायगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, कोई निश्चित तिथि बतलाना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन आशा की जाती है कि आधे से अधिक क्षेत्र में बहुत जल्दी ही वह लागू कर दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कानून तो बहुत पहले पास हो चुका है लेकिन आज तक लागू क्यों नहीं किया गया ? कानून बनाते वक्त तो बड़ी जल्दी रहती है लेकिन उसे लागू करने में देर क्यों की जाती है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—उस बिल को मेरे मित्र पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि एग्रीकल्चरल लैंड का डिमार्केशन हो जायगा तब वह लागू हो जायगा। वहां डिमार्केशन का काम हो रहा है।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में डिमार्केशन का काम खत्म हो गया है वहां जमींदारी एबालिशन लागू हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन—जरूर लागू कर देंगे।

परिगणित जाति के ट्रेनीज लेखपालों को छात्रवृत्ति देने पर विचार

*५०—श्री माताप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री लेखपाल ट्रेनिंग स्कूलों में परिगणित जाति के उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति देने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन—इस प्रश्न पर हरिजन सहायक विभाग से विचार-विमर्श हो रहा है।

भूदान में प्राप्त भूमि की हदबन्दी न होना

*५१—श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश भर में जिला भूदान समितियों द्वारा जो भूमि भूमिहीनों में वितरित की गई है उसकी हदबन्दी करवाने की कोई कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५१ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसके लिये कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई। जहां आवश्यकता होती है हदबन्दी कर दी जाती है।

*५२—**श्री बिहारीलाल** (जिला पीलीभीत)—[१३ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर कमिश्नरी के नायब तहसीलदारों के स्थायीकरण में विलम्ब

*५३—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में तहसीलदारों के कन्फर्मेशन के लिये चुनाव ५ वर्ष से नहीं हो रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। तहसीलदारों का चुनाव किस सिद्धांत पर किया जाय यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*५४—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी के नायब तहसीलदारों की संख्या क्या है जिनकी सेवा अवधि ५ वर्ष से अधिक की है तथा स्थायीकरण के अभाव में ओवर एज हो रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५५-५७—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)—[१३ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

सिनेटरी गैंग के मजदूर

*५८—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सिनेटरी गैंग मजदूरों को परमानेंट करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह सिनेटरी गैंग में काम करने वाले मजदूरों को स्थायित्व देने के लिये क्यों तैयार नहीं है? उसका क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—धनाभाव।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह गैंग तो काम करता ही है, धनाभाव का तो प्रश्न नहीं उठता तो स्थायित्व देने में क्या बाधा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह परमानेंट लायबिलिटी हो जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि इन सिनेटरी गैंग वालों को परमानेंट कर दिया गया तो क्या तनख्वाह बढ़ जायेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तनख्वाह तो नहीं बढ़ जायेगी, लेकिन मुमकिन है कि आगे न जरूरत पड़े तो अलग कैसे करेंगे।

सीतापुर आंख अस्पताल में नेत्रबैंक खोलने की प्रार्थना

*५९—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अब तक कहां-कहां नेत्रों के बैंक्स (Eye-Banks) खोले गये हैं?

नोट—तारांकित प्रश्न ५८ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछा।

श्री बलदेवसिंह आर्य—केवल नेत्र-चिकित्सालय, अलीगढ़ में ।

*६०—श्री गनेशीलाल चौधरी—इन नेत्र-बैंकों में कितनी आंखों के सुरक्षित रहने की व्यवस्था है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जितनी भी प्राप्त हो सकें।

*६१—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार सीतापुर आंख अस्पताल में नेत्र-बैंक खोलने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—समुचित मात्रा में आंखें प्राप्त न होने के कारण निकट भविष्य में सीतापुर आंख अस्पताल में नेत्र-बैंक खोलना संभव नहीं प्रतीत होता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां आंख लगाने का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो कितना और उसमें कितने सफल हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अलीगढ़ में प्रयोग हुआ है और उसमें काफी सफल हुए।

*६२-६३—श्री गौरीशंकरराय—[५ मई, १९६० को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया है।]

बलरामपुर तहसील में ओलावृष्टि से क्षति

*६४—श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील बलरामपुर तथा पचपेड़वा में तारीख २२ मार्च, १९६० ई० की ओलावृष्टि से कितने गांव क्षति-ग्रस्त हुये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसील बलरामपुर में कुल ९० गांव २२-३-६० को ओला से क्षति-ग्रस्त हुये। पचपेड़वा नाम की कोई तहसील नहीं है अपितु उक्त तहसील का एक तप्पा है जिसके १४ क्षति-ग्रस्त गांव भी उक्त संख्या में सम्मिलित हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये की क्षति हुई और सरकार ने इसके लिये अहेतुक और दूसरे किस्म की क्या सहायता दी है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, ओला वृष्टि से जो क्षति हुई है उसका विवरण अभी जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है, यथासमय आवेगा।

बलरामपुर जनाना अस्पताल में पेट के आपरेशन से मृत्यु

*६५—श्री दशरथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा में बलरामपुर के जनाना अस्पताल में पेट के आपरेशन से फरवरी सन् ६० से अब तक कितनी औरतों की मृत्यु हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—केवल एक।

*६६-६७—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—[१३वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

पोरई एवं दुर्गागंज के अग्निपीड़ितों को सहायता

*६८—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के परगना बिहार के ग्राम पोरई एवं दुर्गागंज में अप्रैल, १९६० के प्रथम सप्ताह में भीषण अग्निकांड होने के कारण अनेकों घर जलकर नष्ट हो गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*६९—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अग्निकांड से कितने परिवार प्रभावित हुये और कुल कितने की क्षति हुई तथा सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को अब तक क्या सहायता प्रदान की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अग्निकांड में ४९ परिवार प्रभावित हुए तथा ७४,५४० रु० की अनुमानित क्षति हुई। ५८० रु० की तात्कालिक सहायता पीड़ितों को दी गई।

*७०-७१—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[१३वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७२-७३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[१३वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

दातागंज तहसील में आग लगने से क्षति

*७४—श्री टीकाराम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५-४-६० को ४ बजे के तूफान, आंधी, बारिश, ओला के कारण जिला बदायूं, तहसील दातागंज के परगना उसहत और सलेमपुर में कितने गांवों में बागों, खलिहानों और गांवों में आग लगने से हानि हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त तिथि को ९ ग्रामों में आग लगी जिसके फलस्वरूप ३४ खलिहानों को क्षति पहुंची। बागों को हानि पहुंचने की कोई सूचना नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—जिन खलिहानों में आग लगने से खलिहान जल गये अथवा जिनमें आग नहीं लगी वे आंधी के कारण उड़ गये, तो क्या सरकार ने कोई जांच कराई है कि कितने खलिहानों में कितना नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उड़ने की खबर हमारे पास नहीं है। जलने की हमारे पास है। वह आप ही आंक कर भेजेंगे।

*७५-७७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१३वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७८—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—[१३ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

राप्ती के कटाव से प्रभावित नवलपुर वासियों का पुनर्वासन न हो सकना

*७९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नवलपुर तथा सेमरा, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में राप्ती नदी के कटाव पीड़ितों के बसाने के लिये जिलाधीश, गोरखपुर को कोई भूमि मिली है ? यदि हां, तो उनके बसाने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

नोट——तारांकित प्रश्न ७४ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—राप्ती नदी द्वारा कटाव से केवल ग्राम नवलपुर का कुछ भाग प्रभावित है और इसी ग्राम के प्रभावित निवासियों के पुनर्वास हेतु एक भूमि खंड दान में प्राप्त हुआ है। लेकिन यह भूमि नीची है और वर्षा में पानी भर जाता है। इसलिये बगैर पटाई के लोग उस पर आबाद नहीं किये जा सकते। वे लोग अभी इसी गांव में ऊंचे स्थानों पर आबाद हो गये हैं।

*८०—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नवलपुर के कटाव पीड़ितों के लिये मिली भूमि के पटान के लिये जिलाधीश ने अब तक कोई व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यद्यपि दान में प्राप्त भूमि के धरातल को ऊंचा कराने का कोई दायित्व जिलाधीश पर नहीं है, तथापि उन्होंने इस भूमि पर टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी डलवाने की व्यवस्था की थी, परन्तु प्रभावित व्यक्तियों ने अपना ही काम टेस्ट वर्क की मजदूरी पर करना स्वीकार नहीं किया।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

खोजापुर एवं जगदीशपुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*८१—**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील के ग्राम खोजापुर और जगदीशपुर में २-४-६० को अग्निकांड के कारण भारी क्षति हुई है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां। इन ग्रामों में आग से क्षति हुई है।

*८२—**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अग्निकांड से पीड़ित इन परिवारों की सहायता के लिये अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अग्निपीड़ितों को आवश्यकतानुसार अहेतुक सहायता व तकावी दी गई। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को जिनकी फसल खलिहान में जल गई है उनको रबी की किस्त की मालगुजारी की वसूली भी स्थगित कर दी गई है। पीड़ितों को मकान बनाने के लिये सम्बन्धित ग्राम सभाओं से बांस, लकड़ी, फूस इत्यादि दिलाने का भी प्रबन्ध किया गया है।

श्री गौरीशंकरराय—मंत्री जी बताएंगे कि इस अग्निकाण्ड में कुल कितनी क्षति का अनुमान है और कितनी सहायता दी गई?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—कुल १७, २०५ रुपये की क्षति हुई है और ४,०५० रुपया व तकावी तथा ३८० रु० अहेतुक सहायता दी गई है।

श्री बंशीधर शुक्ल—जिस प्रकार की सहायता आप इन जगहों पर दे रहे हैं वह जिला खीरी में क्यों नहीं दी जाती है? इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब है कि जिलों-जिलों में पक्षपात क्यों किया जा रहा है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, जैसी सूचना सरकार के पास आती है उसके अनुसार सहायता दी जाती है। जो सहायता चाहते हैं उनको दी जाती है, जो नहीं चाहते उनको नहीं दी जाती है।

नोट—तारांकित प्रश्न ८१-८२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

सुरजनपुर एवं दलेलनगर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*८३---**श्री बंशीधर शुक्ल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगना कुकरा, तहसील लखीमपुर के सुरजनपुर गांव में जो रात को २-४-६० को आग लगी थी उसमें गुप्ता चमार जो गोरखपुर का निवासी वहां बसा था उसके घर के तीन आदमी जलकर मर गये और दो आदमी अभी अस्पताल में पड़े हैं ? उनके घर की कोई तात्कालिक सहायता सरकार ने की है ? यदि नहीं की है, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां ।

*८४---**श्री बंशीधर शुक्ल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दलेलनगर गांव जो जिला खीरी, परगना भूड़, श्रीनगर में है २-४-६० को जला ? उसमें क्या नुकसान हुआ और क्या सरकार ने सहायता की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां । उसमें १७० मकान तथा करीब ६७,९०० रु० की सम्पत्ति की हानि हुई और १ मनुष्य की मृत्यु हुई । असहाय व जरूरतमंद लोगों को ७५ रु० की अहेतुक सहायता दी गई तथा ५,५०० रु० तकावी के रूप में बांटा गया ।

श्री बंशीधर शुक्ल---पहले प्रश्न का उत्तर आपने "जी हां" तो कह दिया, मगर सहायता क्या दी इसको भी जरा बतला दें ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---३०० रु० का केवल नुकसान है एक बंजारे का और इसमें छप्पर बन्दी के लिये सामान की सहायता दी है और ५० रु० तथा १५ रु० और खैरात दिया जा चुका है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार बतायेगी कि यह जो खैरात दी गई है वह मैलानी की बस्ती वालों ने दी है या सरकार की तरफ से दी गई है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---मान्यवर, जो सूचना हमारे पास है उसमें स्पष्ट नहीं है कि वह सरकार ने दी है या वहां के लोगों ने दी है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---यह जो बताया गया कि सुरजनपुर गांव के लोगों को ७५ रुपया दिया गया है वह किन लोगों को दिया गया है, जो लोग मर गये हैं उनको या जो जल गये हैं उनको ? किन को दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो मर गये हैं उनको तो नहीं दिया गया लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनको दिया गया है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार को मालूम है कि यह ७५ रुपया भी सहायता नहीं है बल्कि वहां पर जो अफसर गये हैं यह उनके जाने आने और दौरे का खर्च है, सहायता उनको कोई भी नहीं दी गई है और अगर मंत्री जी इस बात की दोबारा जांच करालें तो बड़ी कृपा होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लिख कर वह दे दें तो जरूर पता लगायेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस व्यक्ति के घर के ३ आदमी जल कर मरे उसको कितनी सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस डिटेल के लिये तो सूचना चाहिये ।

कोटद्वार में पेशकारी तथा सब-ट्रेजरी स्थापित करने का सुझाव

*८५—**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार जिला गढ़वाल की पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत तराई भावर तथा उसके निकट के पट्टियों के लिये स्थान कोटद्वार में तहसील तथा सब-ट्रेजरी बना रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोटद्वार में पेशकारी तथा सब-ट्रेजरी के बनाने का सुझाव सरकार के पास आया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

*८६—**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कार्य होगा भी या नहीं और यदि होगा तो कब तक ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना देना चाहता हूं । यह है:—

"सेवा में,

अध्यक्ष, विधान सभा, लखनऊ ।

प्रिय श्री अध्यक्ष महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करना है कि भारतीय दंड विधान की धारा ३५३ के अन्तर्गत यह आवश्यक समझा गया है कि श्री टीकाराम, सदस्य, विधान सभा को एक सार्वजनिक सेवक पर कथित हमला (assault) के अपराध में गिरफ्तार किया जाय । सदस्य महोदय बदायूं टेलीफोन एक्सचेंज पर लगे एक अंग्रेजी में लिखे साइन बोर्ड को नष्ट करना चाहते थे । श्री टीकाराम दिनांक १-५-६० को १-३० बजे हिरासत में लिये गये । उनको जमानत पर छोड़े जाने की सुविधा उपलब्ध थी किन्तु उन्होंने जमानत पर छूटने से इनकार किया अतः वह जिला जेल बदायूं में रक्खे गये हैं ।"

सीतापुर से यह आया है कि श्री मूलचन्द (सोशलिस्ट) सदस्य, विधान सभा, आज ४ मई, १९६० को भारतीय दंड विधान की धारा २२८ के अन्तर्गत इजलास की तौहीन करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये । नियमित पत्र भेजा जा रहा है ।

तीसरी सूचना इस प्रकार है:—

यह निवेदन करना है कि श्री भगवतीप्रसाद, सदस्य विधान सभा ३-५-६० को ७ बजे शाम को, एस० ओ०, पुलिस स्टेशन कुरसी, द्वारा बिना जमानत वाले वारन्ट द्वारा, जो कि उनके खिलाफ एस० डी०एम०, फतेहपुर ने एक मुकदमें के सम्बन्ध में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत जारी किया गया था गिरफ्तार किये गये । इस गिरफ्तारी का सम्बन्ध सोशलिस्ट आन्दोलन से नहीं है बल्कि एस० डी० एम० के इजलास में एक मुकदमें से सम्बन्धित है जो ३ मास से लम्बित है । ये एस० डी० एम०, फतेहपुर के सामने पेश किये गये और पर्सनल जमानत पर छोड़े गये हैं ।

प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष—अब सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, प्रतिवेदन उपस्थित करेंगे ।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का पंचम प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

प्रतिवेदन उस समिति का कृत्य है जिसका कार्य-काल ३० मार्च, १९६० को समाप्त हुआ । मैं अपने सभी साथियों और सरकारी अधिकारी वर्ग जिनका सहयोग इस समिति में हमें प्राप्त था, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । श्रीमन्, इस समिति के सम्बन्ध में जो मत समय समय पर स्थापित हुए हैं, उनको व्यक्त करने का मुझे अवसर इन प्रतिवेदनों को उपस्थित करते समय ही मिलता है । अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ५, ७ मिनट मुझे देने की कृपा की जाय ताकि मैं इस सदन के समक्ष उन सिद्धान्तों को जिनको कि समिति ने स्वीकार कर लिया है, उपस्थित कर सकूं ।

श्रीमन्, इस समिति के प्रथम निर्माण के समय आपने कुछ नियम बनाये थे और वे नियम मौलिक सिद्धान्तों से सम्बन्धित थे । अब उन नियमों का समावेश हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में हो गया है । पहला निवेदन तो यह है कि नियम १२२ का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिये । नियम १२२ इस प्रकार है---

"जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक और ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायगा तथा यह भी बताया जायगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की ।"

श्रीमन्, मुझे इस बात का खेद है कि इस नियम की उपेक्षा प्रायः की जाती है । आप देखेंगे कि जो शब्द इसमें प्रयोग में आये हैं वे हैं "उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायगा ।" अर्थात् उसका क्या स्कोप है, किन-किन विषयों के सम्बन्ध में यह विधायिनी शक्ति प्रयोग में आयेगी इसका प्राविधान इस नियम में है । इस विषय में अध्ययन करते हुए मैंने एक पुस्तिका देखी---

"Committee on Minister's powers report, presented by the Lord High Chancellor to Parliament by Command of His Majesty—April, 1952."

आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि इंगलैंड में भी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है कि इस प्रकार की विधायिनी शक्ति जो राज्य सरकार को दी जाती है, उससे क्या-क्या दोष उत्पन्न होते हैं । उन्हीं दोषों की निवृत्ति के लिये यह नियम १२२ बनाया गया है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मदनमोहन---५, ७ मिनट मैं इसलिये ले रहा हूं कि समय-समय पर मैं अपने विचरा इस सदन में रखता रहा हूं, किन्तु सरकार की ओर से उनके सम्बन्ध में क्या वक्तव्य है उससे हम अभी परिचित नहीं हुए हैं । मैं चाहता यह हूं कि ऐसे मौलिक सिद्धान्त के सम्बन्ध में सरकार अगर अपना कोई वक्तव्य दे देगी तो हम उससे लाभ उठा सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष---वक्तव्य तो सरकार इस वक्त देगी नहीं और न मैं इस समय वक्तव्य देने की इजाजत दूंगा । इसलिये आप जनरल बात कह दीजिये । रिपोर्ट सरकार पढ़ लेगी और उसके बाद आप सरकार से और न्याय मंत्री से बातचीत करके किसी दूसरे रोज वक्तव्य के लिये तय कर लें ।

श्री मदनमोहन---जनरल बात म यह कह रहा हूं कि नियम १२२ का कड़ाई से पालन होना चाहिये । इस रिपोर्ट में लिखा गया है जहां पर विधायिनी शक्ति राज्य सरकार को दी जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है । कहते हैं---

"It is a standing temptation to Ministers and their subordinates either to be slipshod in the preparatory work before the Bill is introduced in Parlia-

[श्री मदनमोहन]

ment or attempt to seize for their own Departments the authority which properly belongs to Parliament."

इन दोषों के निवारण करने के लिये नियम १२२ बनाया गया है। सरकार को इस सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से यह विदित करना चाहिए कि क्यों विधायिनी शक्ति को उसने अपने हाथ में रखा ? अभी एक विधेयक इसी सदन में उपस्थित हुआ था और उसके ऊपर यही आपत्ति थी, किन्तु उस समय सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया। भविष्य में सरकार इसका ध्यान रखे। तो मैं चाहता हूं कि नियम १२२ का कड़ाई के साथ पालन किया जाय।

दूसरी बात यह निवेदन करना है कि अधिनियम बनने के बाद नियमों की रचना शीघ्र होनी चाहिये। हमने यह देखा है कि साल-साल भर तक अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भी नियमों का निर्माण नहीं होता और परिणाम यह होता है कि एक अनिश्चित कानून के अन्दर कार्य होते रहते हैं। साधारण जनसमुदाय को यह पता नहीं चलता कि निश्चित रूप से क्या कानून है ? सरकार इस तरफ ध्यान दे।

तीसरी बात भी बहुत मौलिक है। नियम २४६ (८) में वह बात निहित है। आपके द्वारा बनाये हुए जो नियम थे उनमें भी यह बात निहित थी कि सरकार के नियम बनाने और सदन में उपस्थित करने में विलम्ब न हुआ करे। मेरा कहना तो यह है कि नियम प्रभावी होने के पूर्व ही सदन में आ जाने चाहिये, ताकि १४ दिन के अन्दर यह समिति और सदन के माननीय सदस्य, उसमें संशोधन उपस्थित कर सकें। अगर ऐसा संभव न हो तो जिस दिन वे प्रभावी हों उस दिन नियम सदन के समक्ष अवश्य आ जायं। हो सकता है कि उस समय नियम तैयार न हों। इस प्रकार की मांग इंग्लैंड में बहुत दिन तक रही और अन्ततोगत्वा उनको एक अधिनियम बनाना पड़ा कि अगर सरकार उन नियमों को सदन के समक्ष रखने के पहले प्रभावी कर देती है, तो उसका कर्त्तव्य यह हो जाता है, कि अध्यक्ष के पास कारण लिख कर भेजे कि क्यों वह सदन के समक्ष उन नियमों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। यह केवल इस कारण से है कि सरकार सतर्क रहे कि उसको नियम ऐसे समय में बनाने चाहिये कि जब सदन उनमें संशोधन कर सके। तो मेरा आपसे निवेदन यह था, श्रीमन्, कि यह एक परम्परा बना दी जाय बजाय इसके कि कोई विधेयक इस सदन में पारित हो कि अगर नियमों को सदन के समक्ष रखने में विलम्ब होता है, तो आपके पास उन कारणों को लिख कर सरकार भेजे कि जिन कारणों से वे सदन के समक्ष समय से उपस्थित नहीं हो सके।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि पारसाल मई और जून के महीने में जो सुझाव इस समिति ने दिये थे उनके सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो संस्तुतियां होती हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। मैं यह समझता हूं कि अधिक से अधिक तीन महीने के अन्दर या तो वह हमारे सुझाव स्वीकार करें या अपने विचार उपस्थित करे ताकि विचार-विनिमय के अनन्तर हम एक निश्चित मत स्थापित कर सकें। श्रीमन्, यह स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रथाओं और परम्पराओं के विरुद्ध है कि एक कानून जारी रहे और उसके सम्बन्ध में नियम अनिश्चित या दोषपूर्ण हों। इसके साथ-साथ जो सन्देह हमारे हृदयों में पैदा होता है कि सरकार अपने हाथ में शक्तियां हस्तगत करना चाहती है जो वस्तुतः सदन के हाथ में होनी चाहिये उस सन्देह का निवारण करने के लिये सरकार का यह कर्त्तव्य है.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह समिति सदन की समिति है। इसलिये अगर ऐसी चीज है कि सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती है तो मेरे पास उसकी शिकायत आनी चाहिये तो मैं खासतौर पर सरकार से करेस्पांडेन्स कर सकता हूं।

श्री मदनमोहन---बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष---यह बात आइन्दा के लिये आप भी ध्यान में रखें। बात यह है कि सदन की समिति ने जो फैसला दिया उसके बाद अगर उत्तर नहीं आता है तो मैं समझता हूं कि अगर मैं लिखूं तो उसमें सरकार खुद ऐक्शन लेगी उन लोगों के खिलाफ जिनका इसमें दोष है।

श्री मदनमोहन---धन्यवाद, श्रीमन्। यही मुझे इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कहना था।

श्री देवीप्रसाद मिश्र द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय देवीप्रसाद जी मिश्र ने उपस्थित किया है। उसके बारे में मुझे छानबीन करनी ही पड़ेगी और शायद आज बैठने का आखिरी दिन भी है। इसलिये मैं उनसे इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि यदि वे इस सम्बन्ध में शाम तक पेटीशन दें तो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि तत्काल विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करें। उनका कहना यह है कि रीजनल आर्बिट्रेशन बोर्ड, ७ वां रीजन, गोरखपुर ने श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी बनाम मैनेजर, मारवाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल, देवरिया के विवाद में एक निर्णय २९ फरवरी, १९६० को दिया है जिसका खंड ३ इस प्रकार है---

"That he, Sri Deep Narain Mani Tripathi shall remain on leave with effect from March 1, 1960 to the date he relinquishes his membership of the Legislative Assembly , Uttar Pradesh and may further draw such leave-allowance as may be due to him under the terms of the agreement."

इस में ऐग्रीमेंट देखने की जरूरत पड़ेगी और फैसले को भी देखने की जरूरत पड़ेगी। इस में उनका कहना यह है कि दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी जैसे सदस्य से यह कहना कि तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा या तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी जब कि उन्होंने खड़े होने के पहले इजाजत ले ली थी तो ऐसी अवस्था में किसी ट्रिब्युनल का इस तरह का फैसला देना एक तरह से किसी सदस्य को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने के बराबर है और उस को इस सदन की सेवा से गैरकानूनी तौर पर वंचित करने की बात मालूम होती है इसलिए वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समझते हैं। इस को दो तरह से उठाया जा सकता है। अगर ऐसी चीज है कि उन को बाध्य किया जाता है गैर कानूनी तौर से तो इस मामले को मैं प्रिविलेज कमेटी में भेज सकता हूं अगर प्राक्दर्शन में देखूं कि ऐग्रीमेंट में कोई बात ऐसी न थी। यह बात भिन्न हो जाती है कि उन्होंने खुद किसी प्रकार का ऐग्रीमेंट किया हो और उसी के आधार पर ट्रिब्युनल ने फैसला दे दिया हो। किस तरह से फैसला दिया इस पर ही निर्भर करेगा। यह कहना कि अवमान हुआ या नहीं इसलिए फैसला पूरा देखने के बाद ही मैं फैसला दे सकता हूं और चूंकि इस समय ट्रिब्युनल का फैसला सामने नहीं है और न ऐग्रीमेंट ही है इसलिए इस समय मैं अपना फैसला नहीं देता हूं। लेकिन इसी बीच में मैं सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य चाहें तो वह पेटीशन दे सकते हैं। उनका कहना यह है कि इस फैसले की कोई अपील नहीं है। इसलिए जब अपील नहीं हो सकती है तो सिवाय पेटीशन देने के और कोई चारा न्याय पाने का नहीं रह जाता। सदन को इस कारण वह पेटीशन दे सकते हैं। अगर शाम तक वह याचिका आ जाती है तो मैं सदन को सूचना दे दूंगा और अगर मैं समिति के सुपुर्द उसे कर दूं तो वह तथ्य को जांच कर के प्राक्दर्शन में अवमान का प्रश्न यदि उठता हो तो इसको देख लेंगे और मेरे पास रिफर कर देंगे। तब मैं भी यदि इस नतीजे पर पहुंचूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना प्राक्दर्शन में दिखायी देती है तो याचिका समिति से प्रश्न उठाकर विशेषाधिकार समिति के पास प्रश्न भेज दूंगा और कोई अन्य रास्ता नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में निवेदन यह है कि पेटीशन कमेटी का काम यह है कि कोई चीज अपनी ग्रीवेंसेज के दूर कराने के लिए दी

[श्री गौरीशंकर राय]

जाती है और प्रिविलेज कमेटी का काम दूसरा होता। प्रिविलेज कमेटी में जब कोई सवाल उठाया जाता है...

श्री अध्यक्ष—अगर यह चीज नहीं होती तो वह नहीं देंगे और मैं इस को एक्जामिन करके जो फैसला करना है वह कर दूंगा और अगर कमेटी को भेजना होगा तो भेज दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अगर वह पेटीशन दे देते हैं तो इस से प्रिविलेज के होने या न होने की बात कहां से आ जाती है और वह इस को सजेस्ट भी नहीं करते हैं और जहां तक मुझे मालूम है इस दृष्टि से देखने की बात नहीं है। एक बात और कहनी है....

श्री अध्यक्ष—आप तो मुझ से बहस कर रहे हैं। मैंने आप के लिए दोनों रास्ते खुले रहने दिये हैं।

श्री गौरीशंकर राय—मेरा निवेदन यह है कि जो मेम्बर हैं उन की परेशानी खत्म होती है या नहीं। यह सवाल है..

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, उनकी तरफ से नहीं है। यह श्री देवीप्रसाद जी मिश्र की तरफ से है।

श्री गौरीशंकर राय—वह भी एक आदमी के ग्रीवेंसेज के लिए ही होगी और हाउस के प्रिविलेज का सवाल है, इस लिए दोनों को ओवरलपिंग करना कैसे ठीक होगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस लिए कह दिया कि अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रिविलेज का सवाल उठता नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है और वह मामला वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों रास्ते आपको सुझा दिये कि पेटीशन के जरिये से भी रिड्रेस मिल सकता है अगर कोई रास्ता पेटीशन कमेटी समझती है कि निकल सकता है। इसलिए मैंने दोनों बातें बता दीं। आज मैं फैसला नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैंने ट्रिब्युनल का फैसला अभी देखा नहीं है। इसलिए मैंने दोनों रास्ते खुले रखे हैं और एक दूसरे के लिए वह बाधक नहीं होते हैं। जैसा सोचें।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—पेटीशन कब तक देना होगा?

श्री अध्यक्ष—आज शाम तक यानी सदन के उठने से पहले जिस से मैं सदन में याचिका उपस्थित कर सकूं और उसके बाद समिति के सुपुर्द कर सकूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। मैंने इसे नामंजूर कर दिया है। उन्होंने इस में जो विषय उठाया है, उस को मैं सम्बन्धित मन्त्री जी के पास भेज देता हूं कि वे उस की जांच कर लें और उसके ऊपर योग्य कार्यवाही करें।

बाजपुर चीनी मिल के कुप्रबन्ध के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—यह श्री नारायणदत्त जी तिवारी का नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने के सम्बन्ध में प्रश्न है। उसकी मैंने स्वीकृति दी है। एक ही विषय एक दिन में लिया

जा सकता है, नियम ५२ के अन्तर्गत। बाकी एक श्री कल्याणचन्द मोहिले का है। वे उपस्थित नहीं हैं। लेकिन श्री बंशीधर शुक्ल और श्री देवनारायण भारतीय के दो प्रश्न और हैं जो मैं समझता हूं कि महत्व के हैं। मैं उनको भी सम्बन्धित मन्त्री जी के पास भेज देता हूं। क्योंकि आज हमें उठ कर दो महीने तक शायद बैठना नहीं होगा। तो शाम तक अगर सम्बन्धित मन्त्री जी को सूचना मिल जाय, तो जिस वक्त यह विधेयक समाप्त हो जाय, उस वक्त वह वक्तव्य देने की कृपा करें।

लेकिन नारायणदत्त जी तिवारी के प्रश्न के बारे में अगर उनको कोई जानकारी हो तो अभी उस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने इस अपनी नोटिस में जिन बातों का जिक्र किया है, जहां तक मैं जानकारी हासिल कर सका हूं, वह बातें करीब-करीब सब की सब ठीक हैं, यद्यपि उन में से कुछ बातों का सुधार. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मैंने उसको सदन में पढ़ा नहीं है। इसलिए करीब-करीब जो बातें सही हैं, उनका जिक्र आप ही कर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक तो इसमें मुख्य बात यह है कि बाजपुर की जो चीनी मिल है उसके प्रबन्ध की शिकायतें हैं।

पहली शिकायत यह है कि शेयर होल्डरों की कोई मीटिंग तीन-चार सालों से नहीं हुई है। यह बात सही है।

दूसरी शिकायत यह है कि फैक्टरी के अधिकारियों में परस्पर कोई सहयोग नहीं है जिसके कारण चीफ इन्जीनियर और चीफ एकाउन्टेंट के पद महीनों तक रिक्त रहे हैं। यह बात सही है।

तीसरी शिकायत यह है कि फैक्टरी में होने वाली चीनी की रिकवरी कम है, बिलारी, रामपुर एवं काशीपुर फैक्टरियों में ज्यादा है। यह बात भी सही है।

चौथी शिकायत यह है कि फैक्टरी के सैकड़ों मजदूरों के लिए कोई क्वार्टर अभी तक नहीं बने हैं और परिणामस्वरूप वे गंदी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह बात बिलकुल सही नहीं है। ८० क्वार्टर बन चुके हैं और २०० बनने वाले हैं।

पांचवीं शिकायत यह है कि फैक्टरी में सप्ताह में दो बार डाक्टर १८ मील दूर काशीपुर से आते हैं। किसी कम्पाउन्डर की व्यवस्था नहीं है। कम्पाउन्डर की व्यवस्था अब हो गयी है। उन्होंने यह तय किया है कि वहां जो सरकारी अस्पताल है, वहीं के डाक्टर को कारखाने में मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्त करेंगे।

इसमें एक बात जाननी जरूरी है। यह प्राइवेट फैक्टरी है। सरकारी चीज नहीं है। इसलिए सरकार का कोई मुहकमा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका ठीक वैसा ही सरकार से सम्बन्ध है जैसा किसी प्राइवेट दूसरी फैक्टरी से होता है। इसके बाईलाज हैं। अगर कोई शिकायत हो तो उनके मुताबिक उस को दूर करने का प्रबन्ध होता है, चाहे अदालत में या जैसा बाईलाज में लिखा हो। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। यह बात जरूर है कि गवर्नमेंट शेयरहोल्डर है और गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किये हुये डाइरेक्टर भी हैं। इन बातों की तरफ ध्यान दिया गया है और हम आशा करते हैं कि शेयर होल्डरों की मीटिंग भी बहुत जल्द हो जायगी। जो पद खाली थे उन पर अब नियुक्ति हो गयी है। गन्ने की रिकवरी कुछ कम हुई। उसकी जांच की गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

एक विशेषज्ञों की कमेटी वहां गयी। उन्होंने यह कहा कि वहां पर जो गन्ना आया वह गन्ना बासी और खराब था। यह जांच हो रही है कि आस-पास में अच्छा गन्ना क्यों गया और यहां पर गन्ना खराब क्यों आया। इन सब बातों की जांच हो रही है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यद्यपि इसके ऊपर कन्ट्रोल सरकार का नहीं है और प्रत्यक्ष हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हो सकेगा इसकी देखभाल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह शिकायतें दूर हो जायंगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इस बात को देखते हुये कि यह सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगने वाली पहली कोआपरेटिव फैक्टरी है जिसमें सरकार के करीब लाखों रुपये के शेयर हैं और ६० लाख का उस पर कर्जा है और इन्डस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन का भी कर्जा है इस बात को देखते हुये कि मंझौला, सरसावा और बागपत में भी ऐसी मिलें लग रही हैं तो यहां का अनुभव वहां भी लागू होगा। यह भी जरूरी था कि शेयर होल्डरों की मीटिंग हो, और वह मीटिंग न होने से उस के विरुद्ध कोआपरेटिव के विरुद्ध लोगों में भावना फैल रही है, तो इस के निराकरण के लिए सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? ३, ४ साल से शेयर होल्डरों की मीटिंग न किये जाने का क्या कारण है? इसकी कोई जांच हुई कि साल भर से उसकी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या इन सब बातों के लिए जांच हो रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नारायणदत्त जी बिलकुल सही कहते हैं कि यह पहली फैक्टरी है और इसका काम ठीक तरह से चलना चाहिए और ठीक तरह से न चलने से इसका असर दूसरी फैक्टरियों पर भी पड़ सकता है, किन्तु जैसा मैंने कहा यह फैक्टरी एक प्राइवेट फैक्टरी है। हमारा प्रत्यक्ष कन्ट्रोल नहीं है, लेकिन जांच हम ने की तो मालूम हुआ कि पहली मीटिंग उन्होंने की जिस में सब बाईलाज स्वीकृत हुये। उस के बाद मीटिंग होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां काम नहीं हो रहा है मीटिंग कर के क्या करेंगे। इस वजह से मीटिंग नहीं हुई। फिर दूसरी बार मीटिंग करनी चाही तो नोटिस दिया गया कि बाईलाज में संशोधन के प्रस्ताव आये। सब संशोधन के प्रस्ताव आ जायं तो वह मीटिंग करेंगे। अब वह मीटिंग करने जा रहे हैं। उम्मीद है आइन्दा वह ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर फैक्टरी के अधिकारियों की कोई ड्युटी डिफाइन नहीं है और नैनीताल के विधान सभा के सदस्य जब वहां पर गये तो जनरल मैनेजर ने बतलाया कि उन की कोई ड्यूटी नहीं है, केवल एक ड्युटी डिफाइन है कि वह अपनी तनख्वाह ड्रा कर सकते हैं। बाकी जो अपने मन से निश्चित कर लें वही ठीक है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब यह तो मुझे मालूम नहीं है कि वहां पर किसी अधिकारी की ड्युटी डिफाइन नहीं है और एकमात्र यही उनका काम है कि वह अपनी तनख्वाह ड्रा करें। नारायणदत्त जी यह कहते हैं तो इसको भी देखेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि कुल ८० क्वार्टर बने हैं और बाकी जो परमानेंट स्टाफ है वह केवल १० × १२ की झोपड़ी जो ६५ रुपये की लागत से बनी है उस में १५, २० आदमी रहते हैं और पिछले २, ३ साल से रहते आये हैं, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच का आदेश देंगे जिससे वहाँ पर २०० क्वार्टर अविलम्ब बन सकें और जब तक न बने तब तक बरसात में रहने के लिए टीन का शेड बनाने की व्यवस्था हो जिससे परमानेंट स्टाफ की बरसात कट सके?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने कहा है कि २, ३ वर्ष में इन क्वार्टरों को तैयार करायेंगे क्योंकि रुपया नहीं है। अभी उन्होंने यही तय किया है। मैं नहीं कह सकता कि फैक्टरी के बन्द होने पर भी लोग किस परिस्थिति में वहां पर रहते हैं। यह भी मैं उनको लिख दूंगा।

बलिया जिले में दोहरीघाट नहर से पानी न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

***सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)**—श्री गौरी शंकर राय की शिकायत के संबध में मुझे केवल यह कहना है कि दोहरी घाट पम्प कैनाल से सिंचाई के संबंध में जो उन को ज्ञान हुआ है वह प्रायः सही नहीं है। काफी समय तो जांच-पड़ताल के लिए मुझे नहीं मिला, किन्तु इस थोड़े से समय में जो जांच-पड़ताल की गयी है उस से यह ज्ञात हुआ कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने कोई आश्वासन काश्तकारों को गन्ने के लिए पानी के सम्बन्ध में नहीं दिया। फिर भी जहां तक सम्भव हो सका है दोहरीघाट पम्प कैनाल से आजमगढ़ तथा बलिया जिलों में पानी दिया गया है। यह कैनाल पहले २२ मील तक आजमगढ़ जिले में से गुजरती है और २२ मील से ६८ मील तक का हिस्सा बलिया जिले में पड़ता है। २४ अप्रैल, सन् १९६० तक इस नहर से आजमगढ़ जिले में सिंचाई की गयी और २५ अप्रैल, सन् १९६० से कुल पानी बलिया जिले में ही दिया जा रहा है। यह पानी नहर के २२ मील से ४५ मील तक पहुंच गया है। कुल इस समय तक इस फसल में ३,००० एकड़ की सिंचाई इस नहर से हुई है जिसमें से १,५०० एकड़ आजमगढ़ जिले की है और बाकी १,५०० एकड़ बलिया जिले की है। कल ६ मई, १९६० से इस नहर में पानी ४५वें मील के आगे चलना शुरू होगा और अगले ८–१० दिनों में तकरीबन ७०० एकड़ गन्ने की और सिंचाई हो जायेगी।

दोहरीघाट पम्प कैनाल के अतिरिक्त बलिया जिले में सुरहा ताल से निकली हुई एक नहर है और इससे भी लगभग १,१०० एकड़ गन्ने की सिंचाई इस जिले में हो चुकी है। इस प्रकार दोनों नहरों को मिला कर २,६०० एकड़ गन्ने की सिंचाई अब तक बलिया जिले में हुई है।

दोहरीघाट नहर के मुहाने पर ६० क्युजेक्स का एक और ३०–३० क्युजेक्स के ४ पम्प अब तक लग चुके हैं और काम कर रहे हैं। एक और पम्प ३० क्युजेक्स का इस समय लग रहा है और १०–१५ दिन में आशा की जाती है कि यह काम करने लगेगा। ट्रान्सफार्मर्स इत्यादि की कोई दिक्कत ऐसी नहीं है जिस की वजह से कोई पम्प लगने के बाद चल न सकें।

इस से ज्ञात होगा कि सिंचाई विभाग बलिया जिले में गन्ने की सिंचाई पूरी करने के लिए जो कुछ भी सम्भव है वह सब ही कर रहा है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सच है कि आज भी एक हजार एकड़ से अधिक गन्ने के ऐसे खेत हैं कि जिनको अब तक दो बार पानी मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक बार भी पानी नहीं जा सका ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जैसा कि जवाब में कहा गया है, पानी की कमी जरूर थी कुछ पम्प वगैरह की वजह से, लेकिन इसमें लिखा गया है कि आज से ७०० एकड़ में और पानी दिया जायगा।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने, श्रीमन्, पूछा था कि क्या यह सही है कि तीन बार पानी मिलना चाहिए था और एक बार भी नहीं मिला, तो इस के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने जो जवाब दिया वह समझ में नहीं आया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—'मौनम् सम्मति लक्षणम्'। यह आप को मानना चाहिए। यह चीज उन्होंने कबूल कर ली है और उस में से वह ७०० एकड़ जमीन को अभी से पानी देने वाले हैं।

श्री गौरीशंकर राय—ठीक है। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं। जो पम्प दिसम्बर तक लग जाने वाला था वह अभी एक सप्ताह हुआ लगा है। क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस पम्प के लगने में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—जैसा बतलाया गया कि जो लग चुके हैं वह तो आप के सामने हैं। एक पम्प की कमी थी जो अब लग कर तैयार हो जायगा, शुरू-शुरू में यह पम्प लग रहे हैं और इस में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, कुछ ट्रान्सफार्मर्स वगैरह हैं जिन को सेट करना होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा जवाब में भी कहा गया है, ऐसी कोई खास देरी नहीं हुई है जिसकी वजह से आबपाशी में कोई दिक्कत हो गयी हो।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग ने जो यह पम्प लगाया उस के लगाने के पहले तक एक ट्रान्सफार्मर वहां मऊ में लग जाना चाहिए था, लेकिन आज तक बिजली विभाग ने कोई ट्रान्सफार्मर नहीं दिया?

श्री गिरधारीलाल—यह पूरी बात जो कही गयी उस की मुझे इत्तला नहीं है, लेकिन इस बात की मुझे इत्तला है कि वहां किसी ट्रान्सफार्मर की कमी नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—इस सम्बन्ध में मैंने अपने सवाल में लिख दिया था, श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष—बिलकुल शार्ट नोटिस पर वक्तव्य दिये जाते हैं इसलिए हो सकता है कि इतने डिटेल उनको मालूम न हों।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार जिन गन्ने के खेतों में अब तक दो बार पानी जाना चाहिए था और वहां नहीं जा सका है, सिर्फ एक ही पानी दिया जा सकेगा, अध्यक्ष महोदय, जरा मैं सफाई कर दूं....

श्री अध्यक्ष—सफाई नहीं, आप सवाल करिये।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, नियम यह है कि एक बार पानी ले लेने से पूरी सिंचाई का रेट उनको देना पड़ता है तो क्या सरकार अपनी असमर्थता को देखते हुये कि तीन बार के स्थान पर वह एक ही बार पानी दे सकेगी, उस के मुताबिक सिंचाई की दर में किसानों को कुछ आनुपातिक छूट देने की व्यवस्था करेगी?

श्री महावीरसिंह—श्रीमन्, यह कैसे प्रिज्यूम कर लिया प्रश्नकर्त्ता महोदय ने कि कोई एश्योरेंस दिया गया था कि पानी दिया जायगा। जहां तक मेरी इत्तला है कोई इस तरह का एश्योरेंस नहर विभाग से...

श्री अध्यक्ष—यह सवाल दूसरा है। उनका कहना है कि जिन खेतों में पानी नहीं दे पाये अभी तक और आखिर में आप देंगे और आप इस प्रकार एक ही पानी दे पाये हों। जब कि २–३ पानी की जरूरत होती है तो उससे जो नुकसान काश्तकार का होगा तो कुछ रेट में कमी करेंगे या नहीं, या एक पानी देने से पूरा रेट सिंचाई का ले लेंगे?

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, जैसी कि इत्तला दी गयी, १,५०० एकड़ एक सींचा गया और १,१०० एकड़ दूसरा सींचा गया। तो नार्मल, जैसी कि और जगह सिंचाई होती है, उसी तरह से यहां हुई है। इस में कोई रेट में कमी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं समझता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—सरकार के यह स्वीकार करने के बाद भी कि अभी ७०० एकड़ गन्ने में पानी देना बाकी है, जब कि स्पष्ट है कि अब तक तीन बार दिया जाना चाहिए, उस से किसानों की क्षति अलग हुई है और पानी न मिलने का कष्ट अलग है, तो क्या सरकार विचार करेगी कि उस सम्बन्ध में आनुपातिक छूट नहर के रेट में दें ?

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं देता, इस के बारे में वे पहले कह चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—जैसा कि माननीय मन्त्री जी स्वीकार करते हैं कि यहां एक ही बार पानी दिया गया, क्या ऐसे ही सारे प्रदेश में दिया गया, ऐसा कोई नियम बन गया है क्या ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मैंने यह स्वीकार किया कि जिस तरह से हर जगह दिया जाता है उसी तरह से यहां पर दिया जा रहा है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—लखीमपुर-खीरी में जो शारदा कैनाल है बड़ी, उससे जो छोटी-छोटी माइनर्स थीं उन के द्वारा कोई सिंचाई नहीं हुई है और कहीं-कहीं छोटी-छोटी माइनर्स सब बन्द कर दी गयी हैं, इसका कारण क्या है, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—कृपा कर के माननीय मन्त्री जी यह बात नोट कर लें और अपने कमरे में जवाब दे सकें तो दें।

श्री गौरीशंकर राय—क्या प्रश्नकर्त्ता की तरफ से सरकार को ऐसी दरख्वास्त मिली है कि इतने दिन पानी न मिलने से गन्ने को बड़ा नुकसान हुआ है ? और क्या सरकार उस दरख्वास्त पर विचार करेगी कि जो नुकसान हुआ है उस के सिलसिले में किसी तरह की रियायत की जाय ?

श्री गिरधारीलाल—मुझे याद नहीं पड़ता किसी दरख्वास्त की बाबत।

स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई पार्टी के नाम में परिवर्तन—(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं। श्री पालीवाल जी ने कल एक सूचना दी थी कि उन की पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि वह विलीन हो जाय स्वतंत्र पार्टी में और २३ नाम उन्होंने भेजे हैं अपनी पार्टी के। इस फेहरिस्त में श्री अवधेशप्रतापसिंह जी का नाम नहीं है। चूंकि पहले तो उन्होंने यह कहा था कि जितने सदस्य हमारी पुरानी पार्टी के थे वह इसमें शामिल हो जायेंगे, लेकिन अवधेश प्रताप सिंह जी ने लिखकर मेरे पास भेज दिया कि वह विरोध में थे, वह शामिल नहीं हुये।

२३ में जिनका नाम दिया है उन में श्री जमुनासिंह हैं, जिन्होंने लिखकर मेरे पास भेज दिया कि मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बाकायदा सदस्य हूं और मैं उस पार्टी में ज्वाइन होने वाला नहीं हूं। उन के इस फेहरिस्त में भी दस्तखत हैं जिस में पालीवाल जी ने २३ नाम भेजे हैं। तो उनको मैं फिलहाल त्रिशंकु की तरह रख सकता हूं। २२ जो हैं उन के नाम मैं पढ़े देता हूं। उस में भी अगर किसी को आपत्ति हो, यहां पर अगर वह बैठे हों तो मैं उन की आपत्ति के हिसाब से उनके नाम काट दूंगा—

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल।
२—श्री लायकसिंह।
३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह।
४—श्री महेन्द्ररिपुदमनसिंह।

---

*४ मई, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

५—श्री वीरेन्द्र शाह।
६—श्री सीताराम शुक्ल।
७—कुंवर श्रीपालसिंह।
८—श्री बलदेवसिंह।
९—श्री बालेश्वरीप्रसादसिंह।
१०—श्री शिवशंकर सिंह।
११—श्री वीरेन्द्रविक्रमसिंह।
१२—श्री आनन्दब्रह्म शाह।
१३—श्री इन्दुभूषण गुप्त।
१४—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह।
१५—श्री टीकाराम पुजारी।
१६—श्री राघवराम पांडेय।
१७—श्री रामबली।
१८—श्री जयदेवसिंह आर्य।
१९—श्री रमानाथ खैरा।
२०—श्री गंगाप्रसाद।
२१—डाक्टर खमानीसिंह।
२२—श्री उल्फतसिंह।

इस तरह से श्री जमुना सिंह को छोड़कर २२ सदस्य होते हैं उनकी पार्टी के। अब मैं पार्टी को मान्यता देता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि जो सदस्य इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं वह अगर बाद में लिखकर देंगे उस में से हटने के लिए तो उन के नाम कट जायेंगे। वैसे इस समय मैं २२ सदस्यों को यह पार्टी मान लेता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें से कुछ सदस्य हटेंगे तो यह भी सम्भव है कि तब तक कुछ और सदस्य दूसरी पार्टियों से इसमें आ जायं। इसलिए आप इस बात का शंका समाधान करके इस की घोषणा कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—उन सदस्यों के सम्बन्ध में भी मैं घोषणा कर दूंगा।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना और देना चाहता हूं। कुछ समितियों के चुनाव होने वाले थे। एक तो वाराणसेय विश्वविद्यालय 'शिष्ट परिषद' जिसमें एक रिक्त स्थान है। कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड, इसमें एक स्थान रिक्त है। विद्युत् स्थायी समिति के लिये एक स्थान, शिक्षा स्थायी समिति के लिये एक स्थान, राष्ट्रीय इम्पलायमेंट के लिये एक स्थान, नियोजन समिति के लिये एक स्थान और उद्योग समिति के लिये एक स्थान। यह सात हुए। इसके अतिरिक्त लाभ पद विषयक संयुक्त समिति के लिये १० सदस्य हैं।

इन समितियों के लिये नामजदगियां तो हो चुकी थीं। इनके लिये नामों की वापसी की तिथि १० तथा ९ मई थी। उस समय तक यदि नाम वापस नहीं होते तो १२ तथा ११ तारीख को चुनाव होने वाला था। अब वह चुनाव नहीं हो सकेगा पूर्व घोषित पद्धति के अनुसार। यह चुनाव अब बैलट के जरिये से हो सकता है और होगा। मैं अपने दफ्तर से २५ मई तक सबके पास बैलट भिजवा दूंगा और माननीय सदस्य हर समिति के लिये बैलट पेपर भर कर १० जून तक मेरे सचिवालय में भेज दें। उन्हीं की जांच होकर उनके आधार पर दफ्तर से चुनाव के फल की घोषणा हो जायगी। यह सूचना मैंने आप लोगों को दे दी।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा को दिये गये दंड के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—कुछ सूचनाएं मेरे पास अभी और आई हैं और वह यह कि श्री अवधेश कुमार सिनहा, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जिनके ऊपर सीतापुर में एस० डी० एम० की कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था उनका २ मई को ट्रायल हुआ और उनको कन्टेम्प्ट आफ दि कोर्ट में ५० रुपये जुर्माना और यदि जुर्माना न दें तो एक महीने की सादी सजा हुई है।

मुकदमों में सदस्यों के बरी होने की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री मदन पांडेय पर कोई पुराना मुकदमा चल रहा था उसमें वह अदालत से बरी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार श्री अमरनाथ मिश्र जी के ऊपर भी कोई पुराना मुकदमा चल रहा था जिसमें वह बरी कर दिये गये हैं।

प्रतिनिहित विधायन समिति में विधान परिषद् के ४ सदस्यों को मनोनीत करने का प्रस्ताव

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६०-६१) में कार्य करने के लिये सभापति, विधान परिषद, ४ (चार) विधान परिषद के सदस्य मनोनीत करके भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—अब इसमें कुछ और विशेष कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मदनमोहन—श्रीमन्, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि हमारे सारे अधिनियमों में यह प्राविधान है कि जो नियम निर्मित किये जायंगे वे दोनों सदनों के समक्ष रखे जायंगे और दोनों सदनों को अधिकार है कि वे उसमें संशोधन करें। तो उचित यह मालूम होता है कि जो कमेटी इन नियमों के पुनरीक्षण के लिये बनायी जाय वह भी एक सम्मिलित समिति हो और इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६०-६१) में कार्य करने के लिये सभापति, विधान परिषद्, ४ (चार) विधान परिषद् के सदस्य मनोनीत करके भेजने का कष्ट करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा पुलिस रिपोर्ट की वापसी की मांग

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव के साथ पुलिस की रिपोर्ट नत्थी कर दी थी। मेरा कामरोको प्रस्ताव नामंजूर हो गया है, इसलिये वह रिपोर्ट मुझे वापस कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—वह सब कागज मैंने अपने दफ्तर में भेज दिये हैं। वह आप मेरे दफ्तर से ले लें।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

खंड ५—(क्रमागत)*

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करना चाहता था कि कुमायूं जमींदारी विधेयक के अभी बहुत कम क्लाज पास हुये हैं। इसके बाद कोई दूसरा काम है नहीं। श्रीमन्, पहले जब जमींदारी एबालीशन बिल पास हुआ था तो वह महीनों चला था और रात के १२-१२ बजे तक बैठकें हुई थीं। इस विधेयक के लिये केवल १६ घंटे का समय ही रखा गया। मेरी बदकिस्मती से मैं उस समय नहीं था। पहले सलाहकार कार्य निर्धारिणी समिति में श्री टम्बरेश्वर प्रसाद जी को बुलाया जाता था। अब वे सदस्य नहीं रहे, और मुझे भी नहीं बुलाया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक दिन का समय इसके लिये और बढ़ाने की कृपा की जाय। यह बहुत अहम बिल है, और फिर जिन छोटे गरीब किसानों की सम्पत्ति जायगी उनकी तरफ से कुछ कहने का मुझे मौका तो मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ लिया जाय, वे क्या कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—कार्य मंत्रणा समिति का फैसला यह था जिसको सदन ने स्वीकार कर लिया था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इस पर फिर दोबारा विचार हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ लिया जाय। एक ट्रायल के तौर पर ही इसको उनके सामने रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका कायदा यह है कि अगर समय बढ़ाना होता है तो उसको फिर कार्य मंत्रणा समिति के पास विचार के लिये भेजा जाता है कि उसका समय बढ़ा दिया जाय। मैं इस बात को पहले रोज से कह रहा हूं कि इतना समय इसके लिये होगा। अगर पहले रोज ही आप यह कहते कि इसका समय बढ़ा दिया जाय तो सम्भव था। अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। १६ घंटे का समय इसके लिये था। यह समय साढ़े चार बजे खत्म होगा। साढ़े चार बजे तक इसको पास हो जाना है। इस कारण साढ़े तीन बजे के बाद इस पर कोई बहस नहीं होगी। बल्कि मैं समझता हूं कि तीन बजे ही इस पर बहस को समाप्त कर देना होगा। वैसे यह देख लिया जायेगा कि अगर संशोधन जल्दी जल्दी खत्म होते जायेंगे तो साढ़े तीन बजे तक बहस हो सकेगी, नहीं तो तीन बजे तक का ही बहस का समय रहेगा। तीन बजे के बाद बहस नहीं होगी और फिर केवल बचे हुए संशोधनों पर राय लेना शुरू हो जायेगी। तीसरा वाचन चार बजे या पौने चार बजे शुरू हो जायेगा और साढ़े चार बजे इस विधेयक के पारण का काम समाप्त होगा।

अब श्री जगन्नाथ लहरी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने खंड ५ के उपखंड (ख) में जो सदावर्ती या गूंठ वाला संशोधन पेश किया है वह इन ग्रामों में लागू नहीं होगा, मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार कल प्रकट कर रहा था। मेरा कहना यह है कि यह जो विधेयक है उसमें इस बात की पहले से ही व्यवस्था है क्योंकि खंड ६ के उपखंड १ (५) में यह लिखा हुआ है—

> "(१) इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न डालेगी।
>
> * * * *
>
> (५) किसी गूंठ या सदावर्त माफी के अनुसार अपने को अथवा किसी संस्था को देय धनराशि को पहले के अनुसार प्राप्त करते रहने के अधिकार पर।"

---

*४ मई, १९६० की कार्यवाही से।

जब इस प्रकार की चीज बिल में पहले से ही रखी हुई है कि सदावर्त और गूंठ की जमीन पर बदस्तूर उनके मालिकों का अधिकार रहेगा और उनको धनराशि प्राप्त करने का अधिकार होगा, तो इस प्रकार का संशोधन लाना उचित नहीं है ।

दूसरे, मैं इसका इसलिये भी विरोध कर रहा हूं क्योंकि इस संशोधन में लिखा है 'सदावर्त या गूंठ के गांव पर है।' इसमें शब्द 'गांव' आया है। हो सकता है कुछ बड़े व्यक्तियों ने सदावर्त या माफी में कुछ गांव दे दिये हों, लेकिन बहुत से गांवों में छोटी-छोटी जमीन भी होगी। इस विधेयक में जो व्यवस्था की गयी है वह सदावर्त या गूंठ की जमीनों के लिये है, न कि जिन गांवों में वह जमीन हो। वह एक खेत या छोटी सी भूमि का टुकड़ा भी हो सकता है और पूरे गांव के लिये भी हो सकती है। ऐसी सूरत में पहले से ही ऐसी व्यवस्था होने पर भी ऐसा संशोधन लाना केवल व्यक्तिगत प्रचार का ही साधन हो सकता है। हां, कुछ भाइयों के लिये यह हो सकता है कि जिस समय उत्तर प्रदेश विधान सभा में कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल पास हो रहा था उस वक्त सदावर्त और गूंठ की जमीनों को भी हड़पा जा रहा था, उनको भी सरकार अपने अधिकार में ले रही थी, उस वक्त हमने ऐसा संशोधन लाकर उन जमीनों को बचाया, यह प्रचार के लिये आप बाहर कह सकते हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय सीताराम जी शुक्ल ने भी भाषण देकर मत परिवर्तन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस हाउस में अधिकांश सदस्य इस मत के हैं कि इस विधेयक के द्वारा मन्दिरों, मसजिदों और सदावर्त की जमीनों को हड़प लिया जाय। वह अकेले व्यक्ति थे जिनको इस बात से ठेस पहुंची और उन्होंने मानव के चरित्र निर्माण के साधनों को छोड़ने की मांग की। उस समय भी मैंने कहा था कि जो बात सीताराम जी कह रहे हैं वह नहीं है बल्कि इसके विपरीत व्यवस्था है और सरकार उनके संरक्षण की पूर्ण व्यवस्था कर रही है। मुझे मालूम नहीं सीताराम जी शुक्ल को गलतफहमी कैसे पैदा हो गयी और सदन के अन्दर यह बात कह डाली कि सभी पार्टियों के लोग चरित्र-निर्माण के केन्द्र मन्दिर और मसजिदों की जमीनों को हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे सदस्य जिन्होंने इस बिल को देखा है, उनको कभी भी यह गलतफहमी नहीं रह सकती। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ के मन्दिरों की बाबत भी कहा और हमारे प्रान्त को ४ धामों में से एक धाम के यहां होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन उनके ऊपर इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी बद्रीनाथ टेम्पिल के लिये आज से बहुत वर्ष पूर्व इसी विधान सभा को बद्रीनाथ टेम्पिल बिल पास करना पड़ा और उसका काम एक कमेटी के सुपुर्द किया गया। बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर का एकमात्र महन्त रावल होता था और उसे बद्रीनाथ मन्दिर के चढ़ावे से, पुजापा से लाखों रुपये प्रतिवर्ष की आमदनी होती थी। उसकी इच्छा के ऊपर था कि वह उस पूंजी को जिस तरह से चाहे खर्च करे। वहां की जनता ने तथा वहां के अन्य प्रबन्धकों ने इसके विरुद्ध आवाज बुलन्द की और विवश होकर हमारे इस प्रदेश की सरकार ने ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने जिसने धर्म निरपेक्षिता का नारा बुलन्द किया है कि वह किसी धर्म में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, और उस समय जब कि भारत का संविधान बना भी नहीं था, तभी इस प्रदेश की विधान सभा को विवश होकर बद्रीनाथ मन्दिर का प्रबन्ध रावल से लेकर एक कमेटी के सुपुर्द करना पड़ा। अब रावल वहां केवल मात्र वेतन भोगी कर्मचारी है और शायद उसको २०० रुपये प्रतिमास कमेटी की तरफ से वेतन मिलता है।

तो मैं अपने विचार से कहना चाहता हूं कि चूंकि अब विवाद के लिये समय बहुत थोड़ा रह गया है इसलिये धार्मिक ख्याल से इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न सेलेक्ट कमेटी की बात करने की जरूरत है। जब सदन के अन्दर हिन्दू धर्मादा सम्पत्ति अपव्यय बिल आयेगा तब इस पर विचार किया जा सकेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कुमायूं डिवीजन का सब से बड़ा मन्दिर जो बद्रीनाथ का है उसका एकमात्र प्रबन्ध रावल के हाथ में था जिसकी पूंजी को वह जिस तरह से चाहे खर्च कर सकता था। यह कहा गया कि

[श्री जगन्नाथ लहरी]

मन्दिरों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेते समय सरकार को इस प्रदेश की धार्मिक जनता की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में ही कहें, क्योंकि आपको मालूम ही है कि समय कितना थोड़ा रह गया है।

श्री जगन्नाथ लहरी—तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस विधेयक द्वारा किसी प्रकार के धार्मिक हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की गयी है, बल्कि धार्मिक संरक्षण देने की बात का ही प्रतिपादन किया गया है। व्यक्तिगत प्रचार के लिये कोई संशोधन लाना उचित नहीं है। माननीय गोविन्द सिंह जी समय को भी देख लें कि ३ बजे तक इस विधेयक पर विवाद समाप्त होना है तो इसलिये भी आवश्यकता है कि जो अनावश्यक संशोधन हैं उनको पेश करके वे समय का दुरुपयोग न करें तो ज्यादा अच्छा है। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पीछे बड़ा भ्रम है जिसका निराकरण करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। ऐसी धारणा है कि मन्दिरों में सदावर्त* आदि कार्य के लिये जो सम्पत्ति चढ़ी है वह भी समाप्त हो जायगी, परन्तु ऐसी बात नहीं है। प्रबन्धकों को प्रबन्ध के लिये जो आय मिलती है वह मिलती रहेगी, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। आज प्रश्न यह उपस्थित है कि क्या किसी प्रकार से सदावर्त के कार्य में रुकावट पड़ेगी, अगर सरकार का यह कानून पास हो गया? मन्दिर के महन्त तो मन्दिर की सम्पत्ति को जोतते नहीं हैं, उसे तो किसान ही जोतते हैं इसलिये मन्दिर के प्रबन्धकों को जो मिलता रहा है वह मिलता रहेगा। अगर दिमाग पर जोर दिया जाय या मस्तिष्क में जुलाब लगे तो इसमें कुछ घटाना या बढ़ाना बिल्कुल निरर्थक है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं सोचता हूं कि बातों का जवाब तो मुझको देना होगा क्योंकि माननीय सदस्य जो अभी बैठे थे शायद उन्होंने कहा कि कुमायूं का कानून अभी तक उनके नजरअन्दाज नहीं आया था। तो उनको क्या कहूं मैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो कहा गया कि इससे मन्दिरों की सम्पत्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा यही उनका मुख्य तर्क उधर से रहा। मैं कहता हूं कि अगर बात ऐसी ही है तो फिर इसको मानने में आपत्ति क्या है, जब वह कहते हैं कि मन्दिरों की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी तो फिर मन्दिरों के हिस्सेदार बने रहने में सरकार को क्या आपत्ति है? मैं समझता हूं कि बात कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें आपत्ति हो और अगर आपत्ति नहीं है तो मन्दिरों का नाम क्यों हटाया जाय।

श्रीमन्, दूसरी बार जब यह बिल ड्राफ्ट हुआ तो खंड ६ के उपखंड (५) में उन्होंने इसी बात को माना था, लेकिन इस बार अपनी पहली मानी हुई बात को ही डिलीट कर दिया। तो जिस समय कि यह पहले सरकार ने स्वयं रखा था उस समय क्या सरकार इन आक्षेपों से भरी हुई थी जो अब हम पर उधर से लगाये जा रहे हैं? उधर से कहा गया कि नियत रुपया तो हम उनको देते ही रहेंगे लेकिन कल को यह भी हो सकता है कि वह न दें। वैसे सारा जगत भगवान् का है, किसी ने कहा है "सबही भूमि गोपाल की, वा में अटक कहां?" मैंने कसवार परगने का ही दृष्टान्त दिया जहां कृष्णार्पण ग्रांटी की भूमि नहीं छीनी गयी, एक जगह के लिये एक कानून और दूसरी जगह के लिये दूसरा कांग्रेसी सरकार का यह कौन-सा न्याय है? जब एक जगह आप एक सिद्धान्त मान चुके हैं तो इस तरह का Discrimination दूसरी जगह क्यों रख रहे हैं?

रह गई दुरुपयोग की बात कि बड़े-बड़े मठाधीशों ने या रावल ने कुछ गलत काम किया। अभी सब जानते हैं कि बद्रीनाथ मन्दिर समिति बनी है जिसमें इस सदन के सदस्य भी हैं और अगर

अब मन्दिर के इन्तजाम में गड़बड़ी होती है तो इसके माने यह हैं कि सदन के सदस्यों पर लोगों का विश्वास नहीं है। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। अन्त में जहां तक यह कहा जाता है कि बदइन्तजामी होती है तो हमारे मंत्री जी तो निष्पक्ष आदमी हैं, उनका बड़ा अच्छा इन्तजाम है, ऐसा उनको लोग कहते हैं। व्यक्तिगत उनके खिलाफ मुझे शिकायत नहीं है। उनके अन्डर में मेडिकल कालेज है, वहां कोई घपला होता है उस हर एक के लिए उनको गाली दी जाय तो वह उचित न होगा। एक यह फोटो स्टेट कापी है मैं मंत्री जी को दिखाऊंगा, आडिट रिपोर्ट में भी यह चीज है, एक विश्वविद्यालय में एक रीडर हैं वह दो भाई हैं---उनके विभाग में दवायें सप्लाई होती हैं और अपने नौकर के नाम फर्जी टेंडर फार्म तैयार कर मंजूर किए गये, नौकर दवायें सप्लाई करे और मालिक विभाग में रहें, ऐसा वहां हुआ है। बैंक के हिसाब में भी बात वहां पकड़ में आई है, यह आडिट में बात आ चुकी है, मैं मंत्री जी को दिखाऊंगा। लेकिन इस सबके माने यह तो नहीं लगाये जा सकते कि इसके लिये मेडिकल कालेज की ग्रान्ट ही बन्द कर दी जाय। इसी तरह से मन्दिरों की हिस्सेदारी खत्म करने की बात बदइन्तजामी के कारण नहीं आती। आशा है मंत्री जी इसको मान लेंगे, मैं हिस्सेदारों के लिये नहीं बल्कि भगवान के लिये यह व्यवस्था रख रहा हूं जिसकी पूजा सभी करते हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र को कुछ गलत-फहमी है। हम तो चाहते हैं कि मैदान और पहाड़ के देवताओं का एक-सा पूजन हो। जब यहां जमींदारी खत्म हुई तो यहां की तमाम धार्मिक संस्थाओं में भी यह कानून इसी तरह से लागू हुआ। हमने इसको इस तरह से रखा है कि जो गूंठ या सदावर्त की संस्थायें हैं उनको कोई हानि नहीं होगी, उनका जो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट है उसको हमने नहीं छुआ है। हमने खंड ६ के (५) में इस चीज को साफ कर दिया है कि उनकी आय कायम रहेगी, उन तमाम पर खायकर ही काबिज हैं और उनको तो सिर्फ लगान मिलता है। इसलिये मन्दिरों के पूजापाठ में तो कोई रुकावट न होगी। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (खख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"प्रतिबन्ध यह है कि यह अधिनियम सदावर्ती या गूंठ के ग्रामों में लागू न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (क) में शब्द 'किन्तु यदि... लगान देगा', निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर निम्नांकित शब्द रक्खे जायं---

"किन्तु यदि ठेकेदार अपने द्वारा दिये गये धनराशि के उतने हिस्से को उस खायकर से पाने का मुस्तहक होगा जो कि उसके ठेके की पूरी अवधि व उसके द्वारा उपभोग किये गये काल को ध्यान में रख कर ठेकेदार का बाकी निकलता हो।"

श्रीमन्, मेरा इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना कहना है कि यह जो ठेकेदार शब्द है यह भ्रामक है। आज जो हमारा विधेयक पास हो रहा है उसमें कहीं भी ठेकेदार डिफाइंड नहीं है। जिस कानून में ठेकेदार डिफाइंड है वह कानून वहां लगता नहीं। क्योंकि वहां वस्तुस्थिति एकदम भिन्न है। कल आदरणीय उपमंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई शब्द किसी विधि में डिफाइन हो गया है तो यहां पर उसकी डेफीनीशन करने की जरूरत नहीं है, यह तर्क उन्होंने गांव सभा के सम्बन्ध में दिया था। उनकी बात दुहराकर मैं कहना चाहता हूं कि अगर यू० पी० टेनेन्सी ला के हिसाब से ठेकेदार के अर्थ लिये जायंगे और कुमायूं के तथाकथित ठेकेदारों को वह हक दे देंगे तो गलत होगा। ठेकेदार पुराना काश्तकार नहीं है, किसी ने एक-दो साल को ले ली और फिर छोड़ दी। वहां कोई सीरतान नहीं, टेनेन्ट नहीं, कुछ नहीं। हमारी दिक्कत यह है कि जो आदमी पहले से कमाता आया है, जिसने चट्टानों को और

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

पहाड़ों को काट-काट कर बनाया है, बड़ी मेहनत से १०, २०, ५० वर्ष में खेत तैयार किया, उसका कब्जा आपके कानून के मृगजाल में नदारत हो जाएगा। आज १, २, ३ साल से कोई आदमी केवल काबिज हो, किसी के बने बनाये खेत में, जिसमें कि मूल कृषक के उसके पितरों की हड्डियां भी गल गई हों मेहनत करते-करते, वह ठेकेदार होने से भूमिधर बन जायगा। इसलिये ठेकेदार वाली बात को हटा दें, इससे किसान का भला नहीं होगा हां, जितना प्रीमियम उसने हिस्सेदार कृषक को दिया है उसमें से प्रपोर्सनेट जितना ठेकेदार खा चुका है वह काट लिया जाय और बाकी वापस दिलाया जाय।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---श्रीमन्, अगर हम इसको मान लेंगे तो कोई जमीन अगर किसी ठेकेदार के पास होती है तो उसकी हकतलफी हो जाती है। इसलिये नहीं मान सकते।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (झ) में शब्द "किन्तु यदि .... लगान देगा", निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर निम्नांकित शब्द रक्खे जायं :---

"किन्तु यदि ठेकेदार अपने द्वारा दिये गये धनराशि के उतने हिस्से को उस खायकर से पाने का मुस्तहक होगा जो कि उसके ठेके की पूरी अवधि व उसके द्वारा उपभोग किये गये काल को ध्यान में रखकर ठेकेदार का बाकी निकलता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (ञ) की पांचवीं पंक्ति में 'हिस्सेदार' शब्द के बाद शब्द 'या' निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर शब्द 'के अलावा' जोड़े जायं।

श्रीमन्, इसके जोड़ने से यह इस तरह से बनता है :

"उस व्यवस्था के अतिरिक्त जो इसमें आगे चलकर की गई है, निश्चित दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर किसी विज्ञापित क्षेत्र में वर्तमान समस्त महाल तथा उनके उपविभाग (Sub-division) तथा हिस्सेदार के अलावा अन्य किसी खातेदार द्वारा मालगुजारी या लगान की अदायगी के समस्त संकेत (engagement) समाप्त हो जायेंगे तथा वे प्रवर्तन में न रहेंगे।"

मतलब यह है कि जहां-जहां शब्द भूमिधर आया है उसको मैं हटाना चाहता हूं। मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो भी कानून लायें कम से कम यहां मैदानी भाग के नाम ला करके जबरदस्ती थोपिये नहीं, उन्हें हिस्सेदार रहने दीजिये। अगर आपको सीरतान और खायकर को हक देने ही हैं तो उन्हें हिस्सेदार बना दीजिये क्योंकि भूमिधर का नाम देना चाहते हैं....

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---मान्यवर, यह दूसरे संशोधन पर बोल रहे हैं इसमें नाम हटाने का कोई संशोधन नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अगर हिस्सेदार के हक खत्म हो जायेंगे तो दूसरी जगह हिस्सेदार कैसे रहेगा ? इसलिये जहां आपने हिस्सेदार की गर्दन पर पहले तलवार चलाई वहीं पर मैंने रोकने की कोशिश की। अगर आप जनता की कद्र करना चाहते हैं तो हमारे यहां के लोग हिस्सेदार के नाम से प्रसन्न होंगे न कि भूमिधर के नाम से। तो टेनेन्ट को डायरेक्टली हिस्सेदार बना दीजिये यही मेरा कहना है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---माननीय सदस्य ने बहुत ही कन्फ्यूजन में अपनी दलील दी है। इससे नामेनक्लेचर का कोई अभिप्राय नहीं है, बल्कि हम हिस्सेदार को ही समाप्त करना चाहते हैं इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस विधेयक का नाम हिस्सेदार विनाश विधेयक कर दें क्योंकि वह हिस्सेदार का नाश चाहते हैं जमींदार का नहीं क्योंकि जमींदार पहाड़ पर होता नहीं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (ञ) की पांचवीं पंक्ति में "हिस्सेदार" शब्द के बाद शब्द "या" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर शब्द "के अलावा" जोड़े जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड---६

६---(१) इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न डालेगी :--

(१) विज्ञापित क्षेत्र में स्थित किसी भी खान में, जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रशासित हो, काम करते रहने के अधिकार पर;

(२) किसी भी भूमिधर, सीरदार या असामी होने की दशा में, भूमि के अधिक लाभप्रद भोग (have beneficial enjoyment) के निमित्त ऐसे सुखाधिकार (easements) अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे अधिकार के उपभोग करते रहने के अधिकार पर, जिसका कि वह निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक पर उपभोग करता रहा हो;

(३) निश्चित दिनांक के पूर्व उपगत हुये (incurred) लगान या अन्य आदेयों (dues) की बकाया को वसूल करने के अधिकार पर---जो बकाया, अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, पहले की भांति एतदर्थ अधिकारी व्यक्ति द्वारा वसूल की जा सकेगी ;

(४) किसी क्षेत्र में जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक पर निजी जंगल रहा हो, किसी भी अधिकार पर और वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे में वर्तमान शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार बना रहेगा, तथा

(५) किसी गूंठ या सदाबर्त माफी के अनुसार अपने को अथवा किसी संस्था को देय धनराशि को पहले के अनुसार प्राप्त करते रहने के अधिकार पर :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बकाया लगान की कोई डिक्री या बकाया लगान न अदा करने पर बेदखली की कोई आज्ञा वाद-ऋणी (judgement-debtor) को उसके खाते से बेदखल कर के निष्पादित न की जायेगी ।

(२) किसी निजी जंगल के सम्बन्ध में मालगुजारी की अदायगी का संकेत (engagement) जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे जंगल से है, प्रवृत्त बना रहेगा ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की मद (२) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर, सीरदार या असामी" के स्थान पर शब्द "हिस्सेदार खायकर, या सीरतान" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, मेरे संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है जो शब्द इसमें इस्तेमाल किये गये हैं भूमिधर, सीरदार या असामी यह वे शब्द हैं जो कि मैदानी भाग में प्रयुक्त होते हैं । हमारे यहां हिस्सेदार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

खायकर, और सीरतान शब्द प्रयुक्त होते हैं । भूमिधर और सीरदार जो हैं हम चाहते हैं बिना सीरदार बनाये ही उस आदमी को भूमिधरी के अधिकार मिल जायं, सीरदार बनाने की आवश्यकता ही न रहे ।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक सीरतान हो या खायकर हो उसको हिस्सेदार बना दें । जो भूमिधरी के अधिकार देने की बात है वहां चूंकि भूमिधर का प्रयोग नहीं होता, अगर हिस्सेदार शब्द का प्रयोग किया जायगा तो लोगों को मालूम होगा कि वास्तव में हमको अधिकार दिये जा रहे हैं । पहाड़ के लोग भूमिधर शब्द से उसका वह महत्व नहीं समझते हैं जो हिस्सेदार से समझते हैं चूंकि वहां हिस्सेदारी अधिकार का होना एक बड़े गर्व की बात मानी जाती है कि मैं भी इतनी जमीन का हिस्सेदार हूं । यह सैकड़ों वर्ष की परम्परा है । इसलिये हिस्सेदार और भूमिधर दोनों में समानता आ जाय और उनको आभास न हो कि उनको एक दम से भूमिधर बना दिया, इसके लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय ।

एक बात और है । यह भी विचार किया जाय कि हिस्सेदार के अधिकार भूमिधर के अधिकारों से ऊंचे हैं । इस मानी में ऊंचे हैं कि जहां पर भूमिधर आता है वहां राज्य सरकार ने उसे भूमिधर बनाया । यानी जमीन राज्य की है और राज्य ने उसे स्वयं भूमिधर के अधिकार दिये हैं । लेकिन कुमायूं डिवीजन में भूमिधर शब्द का जिस प्रकार प्रयोग किया गया है उसमें उसे राज्य से जमीन लेने की जरूरत नहीं है, हिस्सेदार स्वयं भूमि का मालिक है । इसमें एक संवैधानिक कठिनाई और आ सकती है कि जिस हिस्सेदार की जमीन पर कोई खायकर या सीरतान न हो उसको किस प्रकार सरकार मुआवजा दे कर अपने में हस्तगत कर सकेगी । जब विधेयक पर आम वाद-विवाद हुआ था तब भी यह बात कही गई थी । अब भी अगर सरकार इस संशोधन को मान ले तो कल्याण होगा ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, मुझे माननीय तिवारी जी के संशोधन को देख कर कुछ थोड़ा आश्चर्य होता है । किसी भी विधेयक में जिसका यह दावा हो कि वह क्रान्तिकारी विधेयक है, नामों का विशेष महत्व होता है । माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जब जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम पर इस सदन में विचार हो रहा था तो उस समय बहुत से ऐसे काश्तकार थे जैसे परमानेन्ट टेन्योर होल्डर्स वगैरह, जिनको भूमिधर से ज्यादा राइट्स थे या समान अधिकार थे, लेकिन सारे प्रदेश में भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों में एकरूपता लानी थी इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि नये प्रकार की श्रेणियां टेन्योर के सिलसिले में बनाई जायं । जो वर्तमान विधेयक है इसका भी उद्देश्य और आधार वही है जो जमींदारी विनाश अधिनियम का था । इस कुमायूं डिवीजन की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये यह विशेष प्रकार का विधेयक पुनः लाना पड़ा है । लेकिन जहां हमारा लक्ष्य यह है कि भूमि का सुधार सम्बन्धी जो हमारा अधिनियम हो और जो हमारी पद्धतियां हों वे तमाम प्रदेश तथा देश की एक समान हो जायं, वहां हमारे इस विधेयक में जिसका सम्बन्ध केवल भूमि के सुधारों से है । हम चाहते यह हैं कि एक ही प्रकार के नियम और एक ही प्रकार की सर्वमान्य परिभाषायें कानून में आ जायं । इसलिये हम भूमिधर, सीरदार और असामी शब्द का प्रयोग वहां कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट है और माल की जो हमारी राजस्व परिषद् है जो कि माल के सम्बन्ध में अन्तिम अपीलेट कोर्ट है उसमें विभिन्न प्रकार की टेन्योर्स से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है । फिर हिस्सेदार की जो परम्परा कुमायूं में है अगर उसे ही हम कायम रखेंगे तो जो छोटे-छोटे किसान हैं वे क्या समझेंगे कि कौन-सा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया ।

(इस समय १ बजे श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुये ।)

इस प्रदेश के भौमिक सुधारों में एकरूपता लाने के लिये सब जगह एक ही प्रकार का नाम हो, एक ही प्रकार की परिभाषायें हों ताकि पढ़ने वाले समझ जायं कि किस शब्द के क्या अर्थ हैं, और न्यायालय और विधिक लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी सुलभ हो जाय । इसलिये यह आवश्यक है कि जो हमने इस प्रदेश के सभी खंडों में किया है, अरबन एरियाज जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी किया है और जबकि उसमें कोई विशेष अधिकारों की रक्षा की बात नहीं होती तो फिर क्यों इसका विरोध किया जाता है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि हिस्सेदार के हक कुछ अधिक हैं । मैं समझता हूं कि उन्होंने यह इसलिये कहा ताकि हिस्सेदारों के जितने हक आज हैं उतने ही सुरक्षित रहें । मैंने अभी दो दिन पूर्व इसी विधेयक पर बहस करते समय जब यह कहा था कि उधर के माननीय साथी निहित स्वार्थों की रक्षा करने में लगे हुये हैं तो माननीय सदस्य नाराज हुये थे । मैं उनकी नीयत पर तो संशय नहीं करता हूं, लेकिन यदि इस प्रकार का संशोधन हो और उसके समर्थन में स्वयं माननीय सदस्य यदि यह कहें और स्वीकार करें कि हिस्सेदार के अधिकार भूमिधर से कुछ अधिक हैं और फिर उसी शब्द को यहां रखने के लिये कहें तो अगर मैं यह समझूं कि वह हिस्सेदार के स्वार्थ को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें कौन सी गलत बात होगी ? मैं समझता हूं कि हिस्सेदार, खायकर, सीरतान शब्दों को रहने देने से एकरूपता नहीं आयेगी और इसके अलावा इन शब्दों के रहने से जो क्रान्तिकारी व्यवस्था लाने की हमारी नीति है वह भी नहीं आयेगी, उसका कोई आभास वहां की जनता को नहीं होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है और हमारे उद्देश्य की पूर्ति में बाधक है, अतएव मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, तिवारी जी के इस संशोधन को पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अभी कल हम यह तय कर चुके हैं कि खायकर, सीरतान और हिस्सेदार का वही मतलब होगा जो कुमायूं में प्रचलित वर्तमान भूमि-व्यवस्था में उनके अर्थ दिये गये हैं। यदि तिवारी जी के इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो खायकर और सीरतान की फिर वही स्थिति हो जायगी जो कि आज है । इस अधिनियम में आगे चल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि यदि एक वर्ष के अन्दर कोई सीरतान अपने लगान का १५ गुना जमा कर देता है तो उसको सीरदार के अधिकार मिल जायेंगे और दूसरा व्यक्ति असामी अगर एक वर्ष के भीतर २५ गुना जमा कर देता है तो जोकि आगे चल कर असामी कहलायेगा उसे भी भूमिधर के अधिकार प्राप्त होंगे । धारा ६ में जो व्यवस्था की गई है वह और इसमें जो कुछ भी लागू किया गया है वह कुमायूं की जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद कुमायूं की जमीन का प्रबन्ध करने के लिये वहां क्या चीज कहलायेगी इसका उल्लेख पृष्ठ २१ पर धारा ३८ में किया गया है। उसमें लिखा है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदार के निम्नलिखित वर्ग होंगे--- भूमिधर, सीरदार और असामी। तो इस विधेयक में जबकि वहां जमींदारी समाप्त हो जायगी और आगे की व्यवस्था होगी तो फिर से वर्गीकरण होगा, जिसके अनुसार खायकर को भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और सीरतान को १५ गुना देने पर अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। लेकिन जब तक वह भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते हैं । हर व्यक्ति से आशा नहीं की जा सकती है कि वह १५ गुना या २५ गुना एक वर्ष में जमा कर देगा। इसलिये धारा ३८ के मुताबिक हमने किसानों का वर्गीकरण (भूमिधर, सीरदार और असामी) इस तरह से किया है। अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो कल तक इस विधेयक में हम लोगों ने जो कुछ स्वीकार किया किसानों के लिये वह सब चौपट हो जायगा, क्योंकि इसको स्वीकार कर लेने के बाद हमने जो सीरतान और खायकरों की परिभाषा का अर्थ कर लिया है उस में परिवर्तन नहीं होगा और फिर उन लोगों को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेंगे । इसलिये यह अनावश्यक है बल्कि प्रतिक्रियावादी है जो विधेयक को चौपट करने के लिये रखा गया है। इन शब्दों के साथ में तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा वह प्रगतिशील हैं और हम लोग उनके प्रति बड़ी श्रद्धा

[श्री जगन्नाथ लहरी]

रखते हैं कि जो सुविधा आपने किसानों को एक हाथ से दी है उसको दूसरे हाथ से क्यों छीनना चाहते हैं। हमने जो निश्चय किया है उसी के मुताबिक किसानों को सुविधा देना चाहते हैं तो इसको वापस ले लीजिये। अगर इसको स्वीकार किया गया तो सारी सुविधायें चौपट हो जायंगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसलिये बोलने खड़ा हुआ हूं कि इस पर मेरा भी संशोधन मुनहसिर करता है।

श्री अधिष्ठाता---आपको भूमिका बांधने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोलने की इजाजत दी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं फिर इसको मूव नहीं करूंगा क्योंकि वही चीज फिर से रिपीट होगी। श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान पूर्वक माननीय लहरी जी का और मंत्री जी का भाषण सुना। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें शिक्षा देने का सुअवसर माननीय लहरी जी को मिला जिन्होंने कभी भी कुमायूं की कानून की किताबों को शायद ही पढ़ा होगा और शायद कुमायूं के किसी गांव में भी जाने का कभी उन्हें मौका न मिला हो और वह हमारी बोली भी नहीं जानते हैं। अगर हम अपनी बोली बोलना शुरू कर दें तो समझ न सकेंगे। उसे उनको सीखने में कई वर्ष लग जायेंगे। वह न हमारी भाषा को जानते हैं और न हमारे यहां के रीति-रिवाज को जानते हैं · · · · ·

श्री अधिष्ठाता---मगर आपके विचार को जानते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उधर के बैठने वाले भी कई काबिल लोग हैं। श्रीमन्, लक्ष्मणदत्त भट्ट जी की काबिलियत का हम आदर करते हैं और अगर वह कह दें कि यह कानून ठीक है तो हम एक मिनट भी बहस नहीं करेंगे। कांडपाल जी हैं और नरेन्द्र सिंह जी हैं वह सब बातें जानते हैं जो कुमायूं में हैं पर वे चुप्पी साधे हैं।

श्री अधिष्ठाता---रावत जी भी वहां की बात जानते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, उन्होंने अर्से से पहाड़ जाना छोड़ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि जो बात हम कहते हैं वह प्रवर समिति में श्री नरेन्द्रसिंह द्वारा दी गयी विमति टिप्पणी में भी आई है कि---"इस प्रकार खायकर और सीरतानों को हिस्सेदार बना देने के बाद कोई मध्यवर्ती नहीं रहेगा और हिस्सेदार का सीधा सम्बन्ध सरकार से हो जायगा। ऐसा हो जाने पर यह वर्तमान विधेयक रैयतवाड़ी प्रथा को और भी बल देगा"। पहले बहुमत हो रहा था लेकिन विरोधी दल के लोग वाक आउट कर गये। चरणसिंह जी मई में बिल नहीं लाये, इसके बाद सितम्बर में कहा यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संयुक्त प्रवर समिति में बिल के विरोध में बहुमत था मगर विरोधी सदस्यों के चले जाने से बिल बिना संशोधन के जो जरूरी थे पास हो गया।

श्री अधिष्ठाता---विष्ट जी, आप जानते हैं कि तीन बजे गिलोटिन हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इस बिल का विरोध करने का मैं ही अकेला समर्थन नहीं करता हूं बल्कि पर्वतीय जितने पार्लियामेन्ट के सदस्य जो सभी कांग्रेसी हैं वे भी विरोध में हैं। उनमें श्री रामप्रसाद जी भी थे। उन सबं ने सरकार को तार दिया था, माननीय मुख्य मन्त्री और माल मन्त्री को, कि यह सारा बिल ही गलत है और कांग्रेस के मेम्बर माननीय सी० डी० पांडेय ने भी यही राय दी थी। माननीय नरेन्द्रसिंह जी ने विमति टिप्पणी दी उसका उद्धरण मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि:---"मेरे उपरोक्त मत का समर्थन लगभग सारी पर्वतीय जनता तथा वहां के मेम्बर पार्लियामेंट व विधान मंडल के सदस्यों द्वारा जैसा कि प्रश्नों के उत्तर में अधिकांश सुझावों में आया है उनसे प्रतीत होता है। यदि इस वक्त सभी संयुक्त प्रवर समिति क सदस्य उपस्थित होते तो सम्भव था कि मेरे उपरोक्त विचारों के अनुसार संशोधन मान लिये जाते।"

आखिर में उन्होंने बड़े दुःख के साथ कहा है--"I have been reduced to a minority" एक तरफ यह बात रही, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि सीरतान और खायकर की परिभाषा करने पर तो हम पुरानी हालत में वहीं के वहीं रह जायंगे। खायकरों और सीरतान को हटा दीजिये, हिस्सेदार बना दीजिये, अगर हिस्सेदार इतनी बड़ी शक्ति है तो सीरतान व खायकरों को इसको देने में सरकार को क्या अड़चन है, कि उस गरीब को भी बड़ा बना दें। अगर वह राजा और सेठ हो जाता है, तो उसकी सरकार बना दें, इसमें क्या बुराई है। लेकिन सरकार चाहती है कि वह केवल भूमिधर रहे यानी खायकर से भी नीचे रहे और उससे ऊपर न बढ़ने पाये। हमारी मांग यही रही है कि आप उस सीरतान को और खायकर को बड़ा से बड़ा बना दें। सरकार कहती है कि वह समानता लाना चहाती है। अगर समानता दरअसल में लानी है तो पहले पहाड़ का इन्डस्ट्रियलाइजेशन करें, वहां की गरीबी दूर करें।

मैं आज चैलेन्ज करता हूं कि इसी आदरणीय सदन में कुछ वर्षों के बाद उनको जबरदस्ती इसी बारे में फिर कानून लाना पड़ेगा। उसमें ट्रांसफर और लीज करने का हक कृषक को देना होगा क्योंकि चाहे उसकी संज्ञा बदल कर आप भूमिधर कर दें लेकिन उसको भूमिधर होने के बाद भी लामुहाला घर से बाहर जाना पड़ेगा, रोटी कमाने के लिये। पहाड़ों में गुरबत इन्तहा दर्जे तक पहुंच चुकी है। इसी आदरणीय कुर्सी पर माननीय हरगोविन्दपन्त नाम के बैठते थे। उन्होंने भी एक बार मुझसे यही बहस की कि जिसका कब्जा चाहे वह एक दिन का होवे उसी की जमीन होनी चाहिये। मैंने कहा कि ठेकेदार का कब्जा मानते हैं, लेकिन जिसने पुश्तों से जमीन खोदी, पहाड़ तोड़े, जमीन को खेती योग्य बनाया उसका कोई कब्जा नहीं, लेकिन जो दो वर्ष से ठेकेदार हुआ है उसका कब्जा सही है। जिसने हड्डी, खून, पसीना एक करके जमीन को खेती योग्य बनाया और पुश्तों से काबिज अभी कल तक रहा उसका कब्जा नहीं माना जाय तो इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है? मैंने कहा कि अगर यही बात है तो कब्जे की यह धारणा घर, मकान सब पर लगनी चाहिये। उन्होंने कहा सब जगह लगाना चाहिये। मैंने कहा कि घर में कब्जा किसका? नौकर का। इसलिये घर नौकर का है और घर में जो और लोग रहते हैं वह भी उसी के। मोटर किसकी? मालिक तो अन्यत्र रहता है मगर मोटर में ड्राइवर ही बैठता है, इसलिये मोटर ड्राइवर की होनी चाहिये। यानी पहले यह सिद्धांत सब जगह लगाओ। चार दिन का कब्जेदार तो भूमि पा गया लेकिन जो आदमी पुश्तों से कमाता है उसका कोई कब्जा न माना जाय और उसकी भूमि का अपहरण हो यह कैसी बात है? यहां के जमीन्दार और वहां के हिस्सेदार में कोई एका नहीं है। वहां का हिस्सेदार मिट्टी से पैदा हुआ है, अपने हाथ से काश्त करता रहा है। यहां के जमीन्दारों की तरह वह लखनऊ में बैठा हुआ किसानों की कमाई नहीं खाता और न यहां बैठा हुआ शराब पीता है।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब खण्डवाहिक विचार होता है तो उस वक्त जनरल डिस्कशन करना कहां तक उचित है? जो संशोधन है उसी पर बोलना चाहिये। विष्ट जी का भाषण कुछ अजीब हो रहा है। वह पहाड़ की बातें, पहाड़ की भाषा की बात कह रहे हैं। इस सम्बन्ध में क्या आपने उनको बोलने की आज्ञा दे दी है?

श्री अधिष्ठाता--माननीय विष्ट जी, जरा-सा क्षेपक कम रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--बात यह है कि पहाड़ की बातें इसमें जरूर आयेंगी, क्योंकि पहाड़ से सम्बन्धित यह विधेयक है। मैं फिरोजाबाद की चूड़ियां कहां से लाऊं? पहाड़ में चूड़ियां मर्द पहनते नहीं। माननीय लहरी जी की तो चूड़ियों की खनखनाहट सुनने की आदत ज्यादा है।

अगर बिल में समानता लानी होती तो जब दफा १४२ रखी तो दफा १४३ और १४५ भी रखते जिसमें कि भूमिधर डिप्टी कलक्टर से इंडस्ट्रियल परपज के लिये भूमि डिक्लेयर करव कर उसको काम में ला सकता है।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

(व्यवधान) परन्तु वह जब आये तब आये अभी तो नहीं है । वह कागज के अन्दर है। मैं नहीं कह सकता क्या आयेगा भी।

दूसरी बात यह है कि रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट यहां मैदान में उन आदमियों को दी गयी है जिनकी जमीन में, भूमिधरी हक काश्तकारों को दिये गये हैं। यानी काश्तकारों की एवज में पहले जो जमीन्दार थे, उनको रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी गई है किन्तु पहाड़ों के लिये रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की व्यवस्था नहीं है। जबकि जमीन्दार बड़े सम्पन्न थे और पहाड़ का हिस्सेदार गरीब आदमी है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस संशोधन में रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का जिक्र कैसे आता है ?

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मैं यह देख रहा हूं कि वह बिलकुल इरिलिवेन्ट बोल रहे हैं। मैंने पहले भी टोका लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। बाद में लहरी जी ने भी ध्यान दिलाया और मैं फिर ध्यान दिलाता हूं कि यह मामूली-सा संशोधन है कि सीरदार, असामी और भूमिधर के लिये हिस्सेदार खायकर और सीरतान रख दिया जाय। इसी पर आप को बोलना हो तो बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मुझे तो टाइम का खयाल है। लहरी जी को टाइम पास करना है। मैं अर्ज करता हूं कि किस तरह से यह रिलीवेन्ट है । जमींदारी विनाश अधिनियम की व्यवस्था आप दोनों जगह एक-सी रखने की बात कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि वह दोनों जगह नहीं हो रही हैं। अगर दोनों जगह समान व्यवस्था होती, तो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट में भी समानता होती और मुआवजे में भी समानता होती। इसलिये वह अलग-अलग तरह की दिखायी दे रही है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि हम एकसां कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है, आप पहाड़ वालों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहां के भूमिधर के लिये अलग हक हैं और वहां के भूमिधर के लिये अलग हक हैं । वहां पर हिस्सेदारों का हक लिया तो कम मुआवजे पर और यहां पर दूसरा मुआवजा है तथा पुनर्वास सहायता भी है। इस तरह से यह सौतेला व्यवहार गरीब पर्वतीयों से हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर इस कानून में समानता लानी है तो जिस तरह से सब का समान फायदा हो ऐसी समानता होनी चाहिये। उनके लिये अलग मुआविजा हो, वह भी कम हो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जनसंघ के नेता श्री विष्ट द्वारा इस सदन में जो कुछ कहा गया है उसका प्रतिवाद यदि न किया जाय तो इससे भ्रम फैलने की आशा है। हमारे मित्र का अभिप्राय यह है कि पहाड़ी प्रदेश जन्य लोगों को ही इस विषय पर विचार करना चाहिये और लोग उससे वंचित माने गये हैं। जनसंघ जिसका आदर्श भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है वही बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के लिये जाता है ऐसी बात नहीं है, किन्तु हजारों बाहर से भी और दूर-दूर से आकर अर्ध्यपान करते हैं। वहां पर जाते हैं, पूजते हैं और लोग अपने को धन्य मानते हैं। इस सदन के अन्दर इस प्रकार का दावा करना कि विष्ट जी ही उन पवित्र स्थानों की यात्रा करके अर्चन करते हैं और अर्ध्यपान करते हैं और उनको ही इस सदन में उनकी समस्याओं पर विचार करने का अधिकार है, मैं समझता हूं कि अनुचित बात है। इन बातों को इतिहास ज्यादा जानता है। शब्दों के पीछे इतिहास होता है और वही सान्त्वना देते हैं और उसी से इतिहास वालों की सहायता होती है। लेकिन जब एक सा करने का प्रश्न लाये हैं तो वैधानिक रूप से उसपर विचार करना है। भूमिधर, सीरदार और असामी शब्दों को न रखकर सीरतान, हिस्सेदार और खायकर शब्द रखने की बात होगी तो उसके पीछे कानून की बराबर कठिनाई आयेगी और बहुत से लीगल प्रश्न पैदा हो जायेंगे। सारे तर्कों के पीछे केवल मूर्च्छा है कोई विवेक नहीं है। लोगों की मूर्च्छा भी एक बहुत बड़ा अंग होता है। उनको मूर्च्छा होती है उससे वह वंचित नहीं रह सकते हैं और उस मूर्च्छा के पीछे सारे तर्क

उपस्थित किये जाते हैं। मैं केवल उनको भ्रम निवारण के लिये सलाह दूंगा और मैंने पहले भी एक बार इस सदन में कहा है कि जब हाथी बिक जाय तो गजबांक के लिये कोई झगड़ा नहीं करना चाहिये। सारी जमीन्दारी विनाश हो रही है तो फिर उसके नामकरण के लिये कोई विवाद नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---अधिष्ठाता महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता मगर फिर भी माननीय उप-मन्त्री जी, माननीय लहरी जी और जो भी अभी बोले हैं उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि हम को बार-बार यह विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि जो संशोधन हमने पेश किये हैं उन में किसी प्रकार भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वातावरण में यहां के कुछ गलतफहमी फैलायी गयी है. लेकिन आशा है कि वह शीघ्र ही दूर हो जायगी। यहां कुछ लोग समझने लगे हैं कि हम कुछ लोग वहां कोई सुधार नहीं चाहते, लोगों को कूपमंडूक ही रखना चाहते हैं और इसका असर हमारे माननीय दोस्त लहरी जी पर भी पड़ा और शायद इसीलिये उन्होंने कहा कि इस हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। इस संशोधन में छीनने की कोई बात नहीं है यह तो माननीय उपमंत्री जी को सब से पहले मानना चाहिये और पता नहीं कि किसने उनको यह सलाह दी। आप श्रीमन्, इस में मेरी कुछ सहायता करें। इस के खंड ६ के उपखंड (१) में लिखा है:---"इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न डालेगी"।

और उपखंड १ (२) में इस प्रकार लिखा है--

"(२) किसी भी भूमिधर, सीरदार या असामी होने की दशा में, भूमि के अधिक लाभप्रद भोग के निमित्त ऐसे सुखाधिकार अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे अधिकार के उपभोग करते रहने के अधिकार पर, जिसका कि वह निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक पर उपभोग करता रहा हो।" अब यह कामन सेंस की बात है कि पूर्व के दिनांक पर तो वह भूमिधर, असामी या सीरदार हो ही नहीं सकता। उस के पहले तो वह हिस्सेदार, खायकर और सीरतान रहेगा और भूमिधर और सीरदार आदि तो बाद के दिनांक में होगा। तो जब वह भूमिधर रहेगा ही नहीं तो उसके अधिकार क्या रहेंगे। एक यह गलती हम खुद ही दूर कर रहे हैं जो विधेयक में भूल से रह गयी है, लेकिन उसके लिये भी कहा जा रहा है कि एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे से छीन रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आदि आदि।

हिस्सेदार और भूमिधर का जो सवाल है, उसके लिये मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि वहां हिस्सेदारी के अधिकार भूमिधरी के अधिकार से कहीं ऊंचे हैं। अब मंत्री जी कहते हैं कि वे सारे राज्य में एक समान भाषा का और बातों का प्रयोग करना चाहते हैं। वह करें और यह उनको मुबारक हो। उनका बहुमत है और उसके आधार पर वे कोई भी प्रस्ताव पास करा सकते हैं और वह लागू हो जायगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि वहां के हालात को देखते हुए कोई काम करें। बिना वहां की हालात को देखे और समझे हुए अगर हम इसे लागू कर देंगे तो परिणाम क्या होगा? हम बात करते हैं कि समाजवाद को हम भारत में परिस्थिति के अनुसार लागू करेंगे। हमें उसका अनुकरण नहीं करना है कि चीन, जर्मनी या रूस की अंधी नकल करने लगें। जैसी यहीं की परिस्थिति होगी उसके अनुसार उसको हम यहां लायेंगे। तो इसी प्रकार मेरा कहना है कि अगर भूमि सुधारों को कुमायूं में लागू करना है तो वहां की हालत देख कर उस के अनुसार आप उसे वहां लागू करें, सिद्धान्त आप न छोड़िये यही मेरा निवेदन है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसमें कोई ऐसी बहस-मुबाहिसे की बात नहीं है। आपने यह फरमाया कि इस खंड ६ में जो बातें रख दी गयी हैं वे ठीक बैठतीं नहीं जबतक कि सारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

राइट्स भूमिधरी के और सीरदारी के उनको न हों। अगर आप देखें तो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में बिलकुल यही सेक्शन दफा ७ में रखी गयी है। यह बिलकुल सही है कि भूमिधरी और सीरदारी के राइट्स बाद की सेक्शंस में एक हुए हैं। तो इसमें भी कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। यह एक तरह से इस सदन का फैसला है कि यह इस मौके पर भी हो सकता है। वह विधेयक पास हो गया, लागू हो गया और चल रहा है।

जहां तक नामकरण का ताल्लुक है, अगर इसके उद्देश्य और कारण के सबक्लाज २ को पढ़ लिया जाय तो मालूम होगा कि हमारी यह स्कीम है कि जो प्लेन के जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की बातें हैं उनको जहां तक सम्भव हो, उसी लाइन पर हम वहां रखें।

हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने बहुत-सी बातें कहीं। अगर हम भूमिधर, सीरदार और असामी न रखकर हिस्सेदार, सीरतान और खायकर रखें तो उसमें जो हमारे न्यायालय हैं उनको भ्रम होने का अन्देशा है, क्योंकि हमने जो लैंड टेन्योर मैदान में रखा है वही हम पहाड़ पर जारी करना चाहते हैं। तो इसके न रखने से अन्याय भी हो सकता है। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रख करके यह संशोधन ठीक नहीं बैठता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कम से कम उनका खयाल ऐसा नहीं है जैसा कि और लोगों का है कि शक की निगाह से देख रहे हैं। मैं इतना और जानना चाहता हूं कि ये डेट आफ वेस्टिंग से भूमिधर, सीरदार या असामी होंगे, लेकिन उसके पहले क्या पोजीशन रहेगी काश्तकारों की? क्या वह हिस्सेदार, खायकर और सीरदार रहेंगे, या नहीं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---यह जो उपखंड है उसका अभिप्राय यह है कि जिस पर वह भूमिधर, सीरदार और असामी होंगे, वेस्टिंग के बाद बनेंगे, लेकिन पहले उस पर वह बहैसियत भूमिधर और सीरदार के नहीं थे, बल्कि वह हिस्सेदार या सीरतान थे, तो उस वक्त जो वह राइट आफ ईजमेंट इंज्वाय करते थे वह उस चेंज के बाद भी करते रहें, कोई बाधा न हो, इसी खयाल से यह रखा गया है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की मद (२) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर, सीरदार, या असामी" के स्थान पर शब्द "हिस्सेदार, खायकर या सीरतान" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

निजी कुओं, आबादी के पेड़ों और इमारतों का बन्दोबस्त वर्तमान स्वामियों के साथ होना

७---एतद्पूर्व अध्याप्त किसी विज्ञापित क्षेत्र में किसी खायकरी भूमि पर स्थित सभी निजी कुयें, आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी हिस्सेदार, खायकर या दूसरे व्यक्ति, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, की हों या उसके कब्जे में हों उसी हिस्सेदार, खायकर या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी स्थिति हो, बने रहेंगे या उसके कब्जे में रहेंगे और सम्बद्ध (uppurtenant) क्षेत्र सहित उन कुओं या इमारतों के स्थल (sites) के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किये जांय।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "बाउली", "छाल" "नोला", "नौला" तथा और तत्सदृश पदों के सम्बन्ध में वही व्यवस्था होगी जो शब्द "कुंये" के लिये विहित की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ७ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

८---कोई खायकर खायकरी भूमि के सम्बन्ध में जो उसके पास इसी नाते हो और कोई हिस्सेदार---

(क) अपनी उस भूमि के सम्बन्ध में जो खायकरी भूमि से भिन्न हो, तथा

(ख) गांव संजायत भूमि के ऐसे भाग (portion) के सम्बन्ध में, जो उसके तत्सम्बन्धी अंश (share) से अधिक न हो और जो १३६४ फसली में उसकी निजी जोत में अथवा बाग--भूमि के रूप में उसके पास रही हो,

निश्चित दिनांक से उक्त भूमि का भूमिधर कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए उसको उक्त भूमि पर कब्जा करने और रखने का अधिकार होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं संक्षेप में तीनों संशोधन, ३२, ३३ और ३४ एक साथ पेश किये देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---पेश कीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता । ये लिखे हुये हैं, इसलिये पढ़े हुये मान लिये जायं ।

[**संशोधन संख्या ३२**---खंड ८ की पंक्ति २ में शब्द "कोई हिस्सेदार" निकाल दिये जायं ।

संशोधन संख्या ३३---खंड ८ के मद (ख) में आई हुई संख्या "१३६४" के स्थान पर संख्या "१३६६" रख दी जाय ।

संशोधन संख्या ३४---खंड ८ की पंक्ति ९ में शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "हिस्सेदार" रख दिया जाय ।]

मुझे सिद्धान्ततः यह कहना है कि "भूमिधर" के स्थान पर "हिस्सेदार" का प्रयोग किया जाय, इसलिये मैं संशोधन ३२,३३ और ३४ को जोड़ना जरूरी समझता हूं । क्योंकि यह हमारा पूरा प्रारूप है, समाजवाद लागू करने की जो हमारी योजना है उसके आधार पर हम चाहते हैं कि "भूमिधर" नाम न चले, "हिस्सेदार" चले, उसके वही अधिकार रहें । इसलिये मैं इसको जरूर प्रेस करना चाहता हूं ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मैं संशोधन संख्या ३२ और ३४ का तो विरोध करता हूं, इसलिये कि हमारी जो विधेयक की योजना है और जो उद्देश्य है वह यह है कि नामेनक्लेचर और भौमिक अधिकारों में हम एक प्रथा सारे प्रदेश में रखना चाहते हैं ।

माननीय सदस्य चाहते हैं कि वहां पर हिस्सेदारी, खायकरी और सीरतानी जैसी है वैसी की वैसी ही कायम रहे लेकिन हम उसको वैसा कायम रहने नहीं देना चाहते । हम उसको

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

भूमिधरी के रूप में लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सारे प्रदेश में एक ही नामेनक्लेचर हो। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं।

जहां तक ३३ नम्बर के संशोधन का सवाल है वह सरकार को स्वीकार है।

श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)—माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है वह संशोधन मेरा भी था। वह एक सही संशोधन है इसलिये मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं खास तौर से खंड ८ में जो "भूमिधर" शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी बाबत निवेदन करना चाहता हूं। खंड ८ इस प्रकार से है:

"८—कोई खायकर खायकरी भूमि के संबंध में जो उसके पास इसी नाते हो और कोई हिस्सेदार—

(क) अपनी उस भूमि के संबंध में जो खायकरी भूमि से भिन्न हो, तथा

(ख) गांव संजायत भूमि के ऐसे भाग के संबंध में, जो उसके तत्संबंधी अंश से अधिक न हो और जो १३६४ फसली में उसकी निजी जोत में अथवा बाग-भूमि के रूप में उसके पास रही हो,

निश्चित दिनांक से उक्त भूमि का भूमिधर कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए उसको उक्त भूमि पर कब्जा करने और रखने का अधिकार होगा।"

श्रीमन्, इस धारा का मतलब यह है कि खायकर लोग भूमिधर हो जायेंगे और हिस्सेदार भी अपनी उस जमीन में जोकि खुदकाश्त है, भूमिधर हो जायेंगे। मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर मंत्री जी को सिर्फ सूचना देना चाहता हूं बहैसियत वकील के कि हिस्सेदार के राइट्स करटेल करके, हिस्सेदार को उसके हिस्सेदारी राइट्स से डेप्राइव करके एक-दम से उसको भूमिधर बनाना बगैर कम्पेनसेशन के, यह प्राविजन अल्ट्रावायर्स हो जायगा। क्योंकि हमारे यहां हिस्सेदारों के हक बहुत ज्यादा हैं, अपनी प्रापर्टी को डिस्पोज करने के संबंध में, उनको अपनी जमीन को लीज करने का हक है, सबलेट, मार्गेज और गिफ्ट कर सकते हैं। वह उसके पूर्ण मालिक हैं। लेकिन यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के मातहत भूमिधर को जो अधिकार दिये गये हैं वह बहुत सीमित हैं। राइट आफ डिस्पोजल बहुत सीमित हैं और इनहेरिटेंस के भी जो एयर्स रखे गये हैं वह भी भिन्न हैं बनिस्बत उनके जोकि हमारे यहां हिस्सेदार के एयर्स हैं। लां आफ इनहेरिटेंस और लां आफ सक्सेशन भी भिन्न-भिन्न है। इसलिये मैं समझता हूं कि हिस्सेदार के स्टेटस को एकदम से कच्चे खायकर के बराबर ला देना ठीक नहीं है। यह लीगल प्वाइन्ट है, इसीलिये मैं इसपर इम्फैसिस दे रहा हूं। मालूम होता है कि बिल बनाते समय इस प्वाइन्ट पर लीगल ओपीनियन नहीं ली गई है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यह मिस्टेक हो जायगी जोकि आगे चलकर अगर किसी ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया तो यह अल्ट्रावायरस हो सकता है जिससे हम सभी लेजिस्लेटर्स को शरमिन्दा होना पड़ेगा। इसलिये मैंने अपना कर्तव्य समझ कर मंत्री जी को यह सूचना दे दी।

मंत्री जी ने पिछली मर्तबा भी जब तिवारी जी ने हिस्सेदार, खायकर और सीरतान शब्दों के बाबत संशोधन रखा था उस समय भी कहा था कि यह क्रांतिकारी कदम है। मैं उनके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। मैंने बतलाया था कि सीरतान जो हमारे यहां हैं वे सब से वीकेस्ट सेक्शन आफ सोसाइटी हैं। अगर आप उनको हिस्सेदार बनाते तब तो आपका यह क्रांतिकारी कदम होता, लेकिन आपने उनको यह अधिकार नहीं दिया। आपने तो उसमें कई स्टेजेज रख दिये हैं जब कहीं वह जाकर भूमिधर बनेगा। सीरतान की जो पोजीशन है वह तो इस बिल से और वीक बनती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका यह दावा करना कि हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, गलत है, कतई बेबुनियाद है और फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। इसलिये मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करने की कृपा करें। आपका यह कहना कि हम सिमिलैरिटी ला रहे हैं यह गलत है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जो संशोधन है उसी पर कृपया बोलें।

श्री घनश्याम डिमरी---जी हां, यह सब उसी के मुतल्लिक है। हमारे यहां जो लोग बसे हुये हैं वे उनके नाम से ही मालूम हो जाते हैं कि वे किस जाति और वर्ण के हैं। यहां प्लेंस में ऐसा नहीं है। आपके कई लेजिस्लेटिव ऐक्ट्स ऐसे हैं जो वहां पर लागू नहीं होते। हमारे यहां के भिन्न-भिन्न कस्टम्स हैं, यूसेजेज हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायण-दत्त तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और यह प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे इस संशोधन को मान लें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया है, अब मैं केवल संक्षेप में ही कहूंगा। माननीय डिमरी साहब की दलीलों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय तिवारी जी का संशोधन है उसको मान लेने से इसका रूप ही बदल जायेगा। उनका संशोधन यह है कि खंड ८ की पंक्ति २ में शब्द "कोई हिस्सेदार" निकाल दिये जायें। इसका नतीजा यह होगा कि वह खंड इस रूप में हो जायेगा:---कोई खायकर खायकरी भूमि के संबंध में जो उसके पास इसी नाते हो, अपनी भूमि के संबंध में जो खायकरी भूमि से भिन्न न हो, तथा गांव संजायत भूमि के ऐसे भाग के संबंध में, जो उसके तत्संबंधी अंश से अधिक न हो और जो १३६४ फसली में उसकी निजी जोत में अथवा बाग-भूमि के रूप में उसके पास रही हो, निश्चित दिनांक से उक्त भूमि का भूमिधर कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए उसको उक्त भूमि पर कब्जा करने और रखने का अधिकार होगा।

तो उक्त संशोधन को मान लेने से इसका अर्थ यह होगा कि खायकर अपनी खायकरी भूमिका तो खायकर बना रहेगा, लेकिन जो खायकर भूमि में उसकी अपनी भूमि नहीं होगी उसका वह हिस्सेदार बन सकेगा और हिस्सेदार बना रहेगा। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस संशोधन के मानने से इस खंड का यह अर्थ होगा कि जो हिस्सेदार है वह हिस्सेदार बना रहेगा और जो खायकर है वह अपनी खायकरी भूमि का खायकर बना रहेगा और जो उसकी अपनी भूमि नहीं होगी उसका वह हिस्सेदार बन जायेगा। तो जनसंघ के उपनेता विष्ट जी, स्वतंत्र दल के साथी डिमरी साहब तथा प्रजा समाजवादी दल के उपनेता माननीय तिवारी जी हैं वे चाहते हैं कि हिस्सेदार का अधिकार और नोमेनक्लेचर वहां बना रहे। खायकर भी ऐसी जमीन का जिसका वह खायकर नहीं है, हिस्सेदार बन जाय। मैं हिस्सेदारी को जिस रूप में वह है उसे खत्म करना चाहता हूं। हिस्सेदार, खायकर और सीरतान को हम अपने प्रदेश में भूमिधर, सीरदार और आसामी का रूप देना चाहते हैं ताकि समानता हो। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं अपने माननीय उपमंत्री जी की योग्यता का बड़ा कायल हूं। लेकिन उन्होंने मेरे अर्थ का अनर्थ करके मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। मेरा संशोधन स्वीकार होकर इस प्रकार होगा:---कोई खायकर खायकरी भूमि के संबंध में जो उसके पास इसी नाते हो, और शब्द को वह छोड़ गये, अपनी उस भूमि के संबंध में जो खायकरी भूमि से भिन्न हो, तथा गांव संजायत भूमि के ऐसे भाग के संबंध में जो उसके तत्स-म्बन्धी अंश से अधिक न हो और जो १३६४ फसली में उसकी निजी जोत में अथवा बाग-भूमि के रूप में उसके पास रही हो, निश्चित दिनांक से उक्त भूमि का हिस्सेदार कहलावेगा। अब वहां खायकर भूमि के बारे में खायकर ही रहेगा। कहां है इसमें? इसमें साफ लिखा है कि वह हिस्सेदार हो जायगा और अगर कहीं किसी विधि के द्वारा कोई संजायत भूमि में उसका हिस्सा हो गया हो तो उसमें भी हिस्सेदार हो जायगा। "और" शब्द को माननीय उपमंत्री जी गायब कर गये। मेरे संशोधन को उन्होंने अर्थभ्रष्ट कर दिया। उन्होंने सारे सदन को गलतफहमी में डाल दिया। हिस्सेदारी का अधिकार भूमिधरी के अधिकार से बड़ा है और

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हम चाहेंगे कि पहाड़ में भी समानता इस प्रकार की जाय ताकि भूमिधरों को वहां भी वही अधिकार दिये जावें जो मैदान में दिये गये हैं। हिस्सेदारी को अगर माननीय मंत्री जी जमींदारी समझते हैं तो वह बड़ी भारी बुनियादी भूल कर रहे हैं। जमींदारी तत्वों को छोड़ कर जो हिस्सेदारी अधिकार कुमायूं डिवीजन में हैं वे सारे अधिकार आज भूमिधरों को वे दे दिये जावें और समानता इस प्रकार लाई जाय। हमारा तो कहना यह है कि प्रत्येक सीरतान व खायकर को आप हिस्सेदार बना दें।

हम नाम की समानता भी चाहेंगे और यह भी चाहेंगे कि हमारे उपमंत्री जी केबीनेट रैंक के मंत्री हों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इत्यादि का सब भेद मिटा दिया जाय। साथ ही हम कामों की भी समानता चाहते हैं, जिसे मंत्री जी नहीं चाहते हैं। वह सब जगह भूमिधर करना चाहते हैं। अगर हिन्दी डिक्शनरी देखी जाय तो भूमिधर का अर्थ तो सर्प-देवता भी होता है। पार्लियामेंटरी पद्धति का तरीका है कि गलत बात को गलत स्वीकार कर लिया जाता है। तो कम से कम मंत्री जी मेरे संशोधन को ठीक से पढ़कर उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आप हिस्सेदार को भूमिधर नहीं बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं। इस वजह से ३२ को हम अपोज करते हैं। ३३ को हम स्वीकार करते हैं। ३४ में भी भूमिधर और हिस्सेदार का झगड़ा है। हम भूमिधर रखे हैं, और वह कहते हैं कि हिस्सेदार रखा जाय। इसे हम अस्वीकार करते हैं। इसे हम नहीं मान सकते।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ८ की दूसरी पंक्ति में से शब्द "कोई हिस्सेदार" निकाल दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ८ के मद (ख) में आई हुई संख्या "१३६४" के स्थान पर संख्या "१३६६" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ८ की पंक्ति ९ में शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "हिस्सेदार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपथित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८-क

८-क--गांव संजायत का उतना भाग जो निश्चित दिनांक पर किसी हिस्सेदार के पास उस भूमि से अधिक हो जिसका वह धारा ८ के खंड (ख) के अधीन भूमिधर बन गया हो अथवा जिसका वह धारा ७ के अधीन अधिकारी हो, खाली भूमि माना जायेगा और हिस्सेदार नियत रीति से उससे बेदखल किया जा सकेगा।

श्री घनश्याम डिमरी--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८-क की पंक्ति २ व ३ के शब्द "जिसका वह धारा ८ के खंड (ख) के अधीन भूमिधर बन गया हो अथवा" निकाल दिये जावें।

श्रीमन्, दफा ८ और ८-क जैसी इस समय हैं, यानी बिना संशोधन के, इसके मानी ये हैं कि खायकर अपनी खायकरी भूमि में और गांव संजायत भूमि में भी जो उसे मिलेगी, भूमिधर बन जावेगा। मेरा आशय यह है कि खंड ८--क में जो गांव संजायत भूमि आ गयी है उसमें बड़ी एम्बीगुईटी आ गयी है। मैंने परसों भी कहा था कि हमारे कुमायूं डिवीजन में तीन प्रकार के गांव हैं कुछ ऐसे गांव हैं जहां हिस्सेदार ही हिस्सेदार वसासत करते हैं, दूसरे ऐसे गांव हैं जिनमें खायकर वसासत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें हिस्सेदार और खायकर दोनों बसासत करते हैं। पहली तरह के गावों में जो संजायत की जमीन है उस पर हिस्सेदारों का हक है, उनको मिलनी चाहिये। दूसरी तरह के गांवों में जिनमें खायकर रहते हैं, उस पर खायकरों का हक है, इसलिये उनको भी उसे पाने का हक है। लेकिन तीसरे किस्म के गांवों में जिनमें हिस्सेदार और खायकर दोनों वसासत करते हैं, उनमें खायकरों को गांव संजायत जमीन पर हक देना, जिन पर उनको हक नहीं है उचित नहीं है, अल्ट्रावायरस है। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं बहैसियत वकील के कि मंत्री जी ऐसा गलत काम न करें। मंत्री जी स्वयं बुजुर्ग हैं, वकील रह चुके हैं, उनके लीगल एडवाइजर भी ऊंचे दर्जे के हैं, फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा गलत कानून वे कैसे बना रहे हैं। एक तरफ तो आप उनको हक दे रहे हैं, जिनको कोई हक नहीं है, दूसरी तरफ हिस्सेदारों को आप बगैर कंपेन्सेशन के उनके हकों से वंचित कर रहे हैं। इसलिये आप फिर मेरे संशोधन पर विचार कीजिये और जो इस कानून में लीगल डिफेक्ट आ गया है, उसको दूर करने की कृपा कीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डिमरी जी ने जो बहस की उसको मैंने समझा और यह भी समझा कि उनकी मुसीबत क्या है। उसका कारण यह है कि शायद उन्होंने इस बिल के एम्स एन्ड आबजेक्ट्स को पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा तो उनको मनन नहीं किया और समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी उनकी मुसीबत यह है कि उन्होंने कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजनशिप के, उनको उन्होंने नहीं पढ़ा और अगर पढ़ा तो नजरअन्दाज कर दिया। वे वकील की हैसियत से बहुत ठीक बहस कर रहे थे, लेकिन उन कानूनों के मुताबिक जो आज तक लागू थे। आज तक तो अधिकार वैसे ही थे जैसे कि डिमरी जी ने बताये लेकिन अगर वे उन दोनों कानूनों को ध्यान पूर्वक पढ़ते तो अवश्य ही वे इस संशोधन को उपस्थित न करते।

आपकी मुसीबत यह है कि वे कतई इस बात को नहीं देखना चाहते कि गांव का जो कच्चा खायकर है उसको पक्के खायकर की तरह गांव संजायत की भूमि में हिस्सा मिल जाय। उनका सारा आर्ग्युमेन्ट यही है। मैंने कल भी उनको समझाने के लिये एक आर्ग्युमेन्ट पेश किया था। माननीय डिमरी जी को मालूम है कि पक्के खायकरी गांवों में हिस्सेदारों ने बेईमानी से उनको कच्चे खायकर कर दिया। जब कि पहले सेटिलमेन्ट में वे लोग पक्के खायकर थे, दूसरे सेटिलमेन्ट में उनको गांव का कच्चा खायकर दर्ज करा दिया गया। इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कि प्योरली खायकरी बाडी के जो गांव हैं या प्योरली हिस्सेदारी बाडी के जो गांव हैं उसमें उनको उज्रदारी नहीं है। उनको उज्रदारी है मिक्स्ड विलेज में जहां खायकर हिस्सेदार दोनों रहते हैं। जब गांव संजायत में खायकर और सिरतान दोनों काबिज हैं और मैं समझता हूं कि जब एक बार सरकार ने इस उसूल को कबूल कर लिया है कि जो जमीन पर काबिज है और कई पुश्तों से वह कमाता खाता है तो जरूर उनको अधिकार देने की बात है, तो मेरी समझ में नहीं आया कि डिमरी जी क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। डिमरी जी की समझ में नहीं आया कि सदन उनको नये अधिकार देने जा रहा है, यह सदन पुराने अधिकार कानून में ज्यों के त्यों नहीं रख रहा है। अगर उनको इसमें उज्रदारी होती कि अधिकार का कोई ग्रेड नहीं होना चाहिये तब तो मैं उनकी बहस को अच्छी तरह से समझ सकता, लेकिन उनका कहना है

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कि उनको अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए अगर उनकी दलील ऐसी है तो उनको साफ-साफ कहना चाहिये कि जो पहले के अधिकार हैं वे ज्यों के त्यों रहने चाहिये, एक्सप्लायटेशन ज्यों के त्यों रहने चाहिये। जैसे माननीय डिमरी जी और माननीय नारायणदत्त जी ने भी बहस में कहा कि हिस्सेदारों को जो राइट है वह प्लेन के भूमिधरों से कुछ अधिक है। वे सही हैं इस सेंस में कि भूमिधरों के जो अधिकार है वे सीमित हैं। इस सेंस में है कि फ्यूचर में कोई भी एक्सप्लायटेशन न हो और इसीलिये जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के द्वारा उसे खतम कर दिया गया है। अगर वे चाहते हैं कि फ्यूचर में मिडलमैन बने रहें तो उस बीमारी को खतम करने के लिये ही इस बिल को लाने का प्रयास किया गया है।

इस बिल के द्वारा यह प्रयास हम करने जा रहे हैं कि चाहे कोई भी हो जो एक्सप्लायटेन करता है, चाहे जमींदार हो, चाहे हिस्सेदार हो, चाहे आकुपेंसी टेनेंट हो, चाहे प्रोप्रायटरी टेनेंट हो, उसको एबालिश किया जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि डिमरी जी के नाराज होने की कोई बात इसमें नहीं है। अगर इसको मान लें तो यह उसी तरह की बहस है कि जो पहले हाईकोर्ट का जज था उसी के खानदान का आदमी जज होना चाहिये, या जो पहले वकील था उसी के खानदानन का आदमी वकील होना चाहिये या जो एम० एल० ए० पहले था उसी के खानदान का आदमी एम० एल० ए० होना चाहिये तब तो यहां पर न डिमरी जी होते, न रावत होता और न शुक्ल जी होते। मैं समझता हूं कि इस तरह की तकरीर और दलील देना आज के विकास के युग में उचित नहीं प्रतीत होता जब कि संसार विकास के पथ पर इतना अग्रसर हो रहा है। वे पुरानी परम्परायें जो विकास के पांव में शृंखला डालें, उन शृंखलाओं को तोड़ना नितान्त आवश्यक है अगर आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो ऐसी दलील और तकरीर देना कि स्टावेल मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ है, इस बात को सभी जानते हैं कि उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या है, क्यों कि इस सदन के जो मेम्बर हैं वे नासमझ नहीं हैं। इस सदन में समझदार लोग ही आया करते हैं, उन लोगों का कोई न कोई पार्ट जनता में अवश्य होता है और जनता उनको अच्छी तरह से जानती है।

इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस तरह की दलील देना जिसका न सर हो न पांव हो और दावा करना कि हम विकास के पथ पर अपने मुल्क को और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह बढ़ेगा कैसे ? न तो आप ग्रामों के लिये कोई कदम ही बढ़ाते हैं तो किस तरह से हम अपने समाज और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि अब इस संशोधन पर ज्यादा जोर न दिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--अधिष्ठाता महोदय, मेरा भी इसी तरह का संशोधन है लिहाजा मैं अभी इस पर कहे लेता हूं। मैं अभी माननीय रावत जी की बात सुन रहा था तो मुझ तो कुछ नींद सी आने लगी, मैं सोचने लगा कि मैं कहीं अमीनाबाद पार्क में तो कोई भाषण नहीं सुन रहा हूं। फिर खयाल आया कि वह यहां कानून पर बोल रहे हैं। उन का ऐसा भाषण सदन के बाहर होता तो अच्छा था क्योंकि उस का सम्बन्ध कानून से तो था नहीं, वैसे तो वे विद्वान कहे जाते हैं लेकिन कानूनी बात का जवाब तो कानून से ही देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकील की हैसियत से कानूनी बात ठीक कही गयी लेकिन उस को मैं मानता नहीं। अब मैं ज्यादा न कह कर दो मिनट में ही कहे देता हूं कि : "The property once vested cannot be divested" यह वर्त्तमान विधि क व्यवस्था है। जब आप खंड ४के अनुसार नोटिफिकेशन करते हैं तो उस के अनुसार किसी हिस्सेदार के जितने भी ायकर होंगे और जितने भी सदाव्रत व गूंठ वाले गांव होंगे इस नोटिफिकेशन

की तारीख से स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट कर दिये जायेंगे उस लैन्ड के बारे में जो कि गांव संजायत न हो। अब गांव संजायत की जो जमीन होगी उस में यह विधान रक्खा गया है कि वह जमीन होगी जो खायकर के पास है यानी बिना मुआवजा दिये हुये खायकर को वह प्राप्त हो जायेगी। दूसरी ओर कुमायूं का वर्त्तमान कानून है वह इस बिल में बराबर माना गया है कि कुमायूं के नियमानुसार सब हक माने जायेंगे। उस के अनुसार संजायत वह जमीन है जो गांव वालों की संजायत हो, ख्वाह वह हिस्सेदारी हो या खायकारी हो। मगर आज 'खायकर' शब्द की गलत परिभाषा देने से वह अकेली खायकर की हो जायगी, इन दोनों में विरोधाभास है। इस तरह से रखने पर यह कैसे संविधान के अनूकूल न होगा। उस में है कि किसी की जायदाद बिना मुआवजे के नहीं ली जा सकती, यह उस के अल्ट्रावायरस हो जायगा। मन्त्री जी शायद चाहते हैं कि इस तरह के लेकुना इस में रहें और हाई कोर्ट इन सब के फैसले करे।

श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, खंड ८-क का अभिप्राय केवल यह है कि हिस्सेदार गांव संजायत की उस भूमि को जिस का वह भूमिधर हो जाय उस से अधिक जो भूमि ही और खंड ७ के अधीन जो भूमि उस को मिलना चाहिए उस को उसमें से घटाकर जो वह अधिक रखता था उसे अतिरिक्त भूमि मानकर बेदखल किया जाय। यदि इस को मान लें तो जिस भूमि का वह भूमिधर हो जायगा उस से भी वह बेदखल हो जाता है। हम ने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी भूमिधर को जो अधिकार दिये हैं उस से वह बेदखल न हो इस सिद्धान्त को हम ने माना है। वही सिद्धान्त इस खंड में भी रखा गया है कि हम जितनी भूमि पर भूमिधर को भूमिधर मान लेते हैं उस से वह बेदखल न हो। उस के अतिरिक्त जो भूमि होगी केवल वही ली जायगी। इन कारणों से मुझे यह डिमरी जी का संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं कि मेरा नाम लेकर अभी माननीय रावत जी ने निश्चित रूप से कहा कि हम हिस्सेदारी इस लिए लाना चाहते हैं कि फिर मिडिलमैन क्रियेट हो जाय। ऐसी बात नहीं है, हम तो यह चाहते हैं कि सभी सीरतानों व खायकरों को भूमिधरी के हक दे दिये जायं।

श्री घनश्याम डिमरी---श्रीमन्, कोई खास बात नहीं कहनी है.....

श्री अधिष्ठाता---आप दूसरे माइक पर चले जायं तो ज्यादा अच्छा है।

श्री घनश्याम डिमरी---रावत जी ने जो वक्तव्य दिया है उसी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बेशक मेरी भी वकालत के दौरान ऐसे केसेज आये कि हिस्सेदार ने पक्के खायकरी गांव को कच्चे खायकरी करने के अटेम्पट्स किये हैं। यह बात बहुत पुरानी हो गयी है, अदालत के फैसले उस में हो चुके हैं, हाई कोर्ट तक गये हैं। तो जब कि अदालतों के फैसले हो चुके हों, उस बात को आज दोहराना जिस को कि २०-२५ वर्ष हो गये, उसके बाद कुमायूं डिवीजन में दो-तीन बन्दोबस्त हो गये, कोई वजन नहीं रहता है। यह आर्गूमेंट कोई टेनेबिल नहीं है और कोई भी ला इस को रिकागनाइज नहीं कर सकता। माननीय मन्त्री जी वास्तविक स्थिति को देखें कि गांव पक्का खायकरी है या कच्चा खायकरी है और अगर वह उनका है तो उनको देने में हमें कोई एतराज नहीं है। मैं तो कहता हूं कि खायकर को ही नहीं बल्कि सीरतान को भी भूमिधर और हिस्सेदार बना दिया जाय। आशा है माननीय मन्त्री जी मेरी बात पर पुनः विचार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस में हमें एक दिक्कत मालूम होती है। अगर वह लफ्ज निकाल दें तो उसका मतलब यह हो जायगा कि धारा ७ में जिस बात के वह इन्टाइटिल्ड हैं वह भी वैकेन्ट लैन्ड हो जायगी और धारा ७ में हम वैकेन्ट लैन्ड नहीं करना चाहते। इस लिए हम इसे नहीं मान सकते।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ८--क की पंक्ति २ व ३ के शब्द "जिसका वह धारा ८ के खंड (ख) के अधीन भूमिधर बन गया हो अथवा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ८--क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

सीरतानों का असामी होना।

९--प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर--

(क) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी हिस्सेदार से कब्जा मिला हो;

(ख) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी खायकर से कब्जा मिला हो, या

(ग) धारा ८ में उल्लिखित भूमि के वास्तविक कब्जे का कोई बन्धकी, या

(घ) गैर-खायकरी भूमि के किसी हिस्सेदार के अधिकारों वाला कोई पट्टेदार और टेहरी-गढ़वाल भूमि सम्बन्धी अधिकार नियम, १९४१ की धारा ३४ में उल्लिखित कोई पट्टेदार या शिकमी पट्टेदार (sub-lesser) जिसे गैर-खायकर, भूमि में खायकर या मौरूसीरदार के अधिकार हों, और कोई ऐसी भूमि जो उसकी निजी जोत में हो, या

(ङ) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अधीन किये गये अभिलेखों के अन्तिम पुनरीक्षण में ऐसी भूमि का जो किसी हिस्सेदार या खायकर के अधिकार में इसी नाते हो, अध्यासी (occupant) दर्ज किया गया हो, उक्त भूमि का असामी कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, उसे अपने कब्जे में ले लेने अथवा रखने का अधिकार होगा।

श्री घनश्याम डिमरी--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (क), (ख), (ग) तथा (घ) निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस बिल के पास होते ही जितने सीरतान हैं कुमायूं डिवीजन में वह आसामी बन जायेंगे। मैंने इस पर निवेदन कर दिया था कि सीरतानों को आसामी बनाया गया है, फिर निगोशियेशन्स का एक साल का टाइम दिया गया है और निगोशियेशन्स में कामयाबी नहीं होती है तो एक साल के बाद सीरदार बनेगा, तब कहीं दो साल बाद भूमिधर बनेगा। मैंने कल निवेदन किया था कि यह बड़ा कम्प्लिकेटेड-सा प्रोसेस है और प्रोसेस आफ इवोल्यूशन है जो कि आजकल के जमाने के बिलकुल प्रतिकूल है और न्यायसंगत नहीं है। सीरतान को एकदम हिस्सेदार बनाया जाता है और जैसे खायकर को अधिकार दिया जा रहा है वैसे ही उसे दिया जाता तब ही यह विधेयक सक्सेसफुल होता। इसी वजह से मैं ने इनका विरोध किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि सीरतानों को अविलम्ब, जब खायकरों को अधिकार दिया जाय तो उन को भी उसी प्रकार दिया जाय।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जैसा पहले कहा जा चुका है इस विधेयक की योजना में आसामी का होना अनिवार्य है और ऐसे जितने भी टेन्योर होल्डर्स हैं जो कि भूमिधर नहीं हो सकते उनको हम आसामी बना रहे हैं ताकि उन्हें इस विधेयक की निश्चित योजना के अनुसार भूमिधर बनने का अधिकार प्राप्त हो सके। यहां भी मैदान में हमने यह किया कि सीरतान की हैसियत के जो टेन्योर होल्डर्स थे उन्हें पहले आसामी और उसके बाद सीरदार और अधिवासी बनाकर भूमिधर बनाया उसी तरह से इस विधेयक के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर हम सीरतान को इस विधेयक में दी हुई रीति के अनुसार भूमिधर बनाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य का जो संशोधन है वह इस विधेयक की मानी हुई योजना के विरुद्ध है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री घनश्याम डिमरी---कोई नई बात कही नहीं गयी वही पुरानी बातें कहीं गईं इसलिये मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वही पुरानी बातें चल रही हैं लिहाजा उस पर कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (क), (ख), (ग) तथा (घ) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ का उपखंड (ग) निरसित कर दिया जाय और इसके स्थान पर नया उपखंड (ग) दर्ज किया जाय---

"(ग) कब्जा बन्धकी को साधारण बंधक समझा जायगा।"

अधिष्ठाता महोदय, अगर आज्ञा हो तो इसी के साथ ३८ नम्बर वाला संशोधन भी मूव कर दूं क्योंकि समय कम है ?

श्री अधिष्ठाता---अच्छी बात है, कर दीजिये ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---खंड ९ के उपखंड (ङ) में "अध्यासी (occupant) दर्ज किया गया हो" शब्दों के पश्चात् शब्द "और (Trespasser) की हैसियत के अलावा काबिज हो" शब्द जोड़ दिये जायं।

हम लोगों की यही इच्छा है, पता नहीं मंत्री जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी मांग है कि जितना ऊंचे से ऊंचा दर्जा आप सीरतान को देना चाहें दे दें, एक दम ऊंचे स्थान पर बैठा दीजिये पुराने हिस्सेदार के बराबर का उसे समान अधिकार दे दीजिये, उसे भूमिधर से भी ऊंचा बना दीजिये, यही मेरे इस संशोधन की मंशा है। अगर मेरा संशोधन माना गया तो जमीन को गिरवी रखने का भी भविष्य में मौका मिलेगा। पहाड़ पर गरीबी ऐसी है कि कोई काम करने पर काश्तकार को हिस्सेदार से कर्जा लेना पड़ता है, शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बिना कर्जा लिये काम नहीं चलता, तो जब उसको जमीन का मालिक बना रहे हैं तो उसे यह भी अधिकार होना चाहिये कि जरूरत के वक्त वह जमीन को गिरवी रख सके, मगर भूमिधर हमेशा हस्तान्तरण भी नहीं कर सकता। अतः बंधक रखने की ताकत देना जरूरी है ताकि उसका कोई काम न रुके। अगर यह अधिकार नहीं दिया जायगा तो बड़ी मुसीबत हो जायगी।

दूसरी बात दूसरे खंड में यह दी है कि जो आदमी इस समय काबिज होगा चाहे वह खायकर हो या न हो फिर भी आक्यूपेंट उसे बना दिया जाय। तो होगा क्या ? जैसे अभी दो साल की तो मियाद आपने कब्जा होने की टाल दी, यानी पहले १३६४ फसली में जो कब्जेदार था और कब्जेदार या occupant वह हो गया अब उसे हक फसली सन् १३६६ में कब्जेदार होने पर ही यह हक मिलेगा। कोई व्यक्ति, मान लिया, १३६४ में कतई काबिज नहीं था और

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

१३६६ में किसी भांति उसका कब्जा हो गया, इस बीच में चाहे जबरदस्ती कब्जा कर लिया या फर्जी कागजात में दिखा लिया, तो उसे हक मिल जायगा, अध्यासी होने का। तो मैं चाहता हूं कि केवल जेनुइन टेनेन्ट्स, अक्यूपेन्ट्स, सिरतान और खायकर को ही यह हक मिले और ट्रेसपासर्स को अधिकार न मिले।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, वही कठिनाई जो पहले के संशोधनों के समय थी वही इस पर भी है। माननीय सदस्य चाहते हैं जैसा उन्होंने अपनी दलील में कहा कि वहां बहुत गरीबी है, कर्जा नहीं मिलता लिहाजा जमीन को बंधक रखने का अधिकार मिलना चाहिये। इस सिद्धांत को बुनियादी तरीके पर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में हमने नहीं माना है और उसमें हमने भूमिधरों को भी जमीन बंधक रखने का अधिकार नहीं दिया है। इससे यह होता है कि जमीन खुल कर पैसे वालों के हाथ में चली जाती है और वह गरीब उसे फिर छुड़ा नहीं पाता। इसलिये ३७ नम्बर पर जो संशोधन है यह मुझे अमान्य है।

दूसरे जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम में जो हमने प्राविधान किया है उसमें भी हमने अक्यूपेन्ट्स शब्द इस्तेमाल किया है। अगर कोई ट्रेसपासर अक्यूपेन्ट की हैसियत से अपना कब्जा करना चाहे तो उसका फैसला अदालत में हो सकता है। यहां पर तो हमने उसी तरह से प्राविधान किया है जैसे जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किया है। इसलिये मैं इसका भी विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जैसा मंत्री जी ने रखा है उसके मुताबिक खंड (९) में यह है कि धारा ८ में उल्लिखित भूमि के वास्तविक कब्जे का कोई बंधकी, इसके अनुसार तो सेठ और साहूकारों की, बिरला, टाटा के छुटभइयों की मंत्री जी मदद कर रहे हैं। अगर कोई मार्गेजी है और उसने कब्जे में जमीन ले ली तो मंत्री जी उसे अध्यासी ठहरा देंगे और उसके साथ सेटिलमेंट हो जायगा और जिसकी वह जमीन है उसकी वह नहीं रहेगी और उसकी वह हो जायगी जो सेठ है, यानी टाटा, बिड़ला वगैरह के भक्तों की बलिहारी है।

श्री अधिष्ठाता---यह आर्गयुमेंट जरा शोभा नहीं देता जो आप इस तरह नाम लेकर बातें करते हैं।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---अधिष्ठाता महोदय, टाटा और बिरला का मैं जवाब देना नहीं चाहता। वह तो एक अन्तरा हो गया है जिसे गवैया अन्त में गाता है। देखा जाय तो टाटा, बिरला के बहुत से आउर्दे उस तरफ हैं। इन बातों का जवाब देना नामुनासिब होगा।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा कानून है उसमें मार्गेजी को जमीन में हक दिया है। जिस पर उसका कब्जा रहा हो उसे हक दिया गया है और वह जो पजेशन हो वह सिम्पिल समझा जाय, इसके लिये प्राविजन खंड ५ में भी रखा गया है---"रेहन व कब्जा साधारण समझा जायगा।" लिहाजा इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत है नहीं। यह संशोधन रिडंडेंट है और फिजूल सा है। जहां तक ट्रेसपासर की बात कही गयी, इसी सदन में जब जमींदारी एबालिश विधेयक पेश था तो यह सिद्धांत माना गया था और इस बिना पर माना गया था कि बहुत सी जमीन पर काश्तकार काबिज तो था लेकिन एक इंच जमीन पर भी उसका नाम दर्ज नहीं था। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो बस्ती में एक स्टेट १० गांव की थी . . . .

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी जरा बैठ जायं, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। इसी बीच २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आक्युपेंट को हम क्यों राइट देते जा रहे हैं। मैं यह बता रहा था कि बस्ती जिले में एक स्टेट दस गांव की थी। उसकी एक-एक इंच भूमि जमींदार की सीर खुदकाश्त दर्ज थी जबकि उन गांवों में हजारों की तादाद में किसान बसे हुए थे, उनके पास खेती का सारा सामान मौजूद था, हल, बैल, माची वगैरह और जमींदार के पास एक हल भी नहीं था और न खेती का कोई सामान था। तहकीकात के बाद यह पता चला तो यह निश्चय हुआ कि ऐसे आक्युपेन्ट्स जो रेकार्डेड नहीं हैं और वाकया काबिज हैं उनको भी हक दिया जाय। ऐसे ही हमारी इत्तला है कि पहाड़ी इलाके में भी बहुत से लोग जो दबे हुए तबके के हैं वे वाकई आराजी पर काबिज हैं लेकिन उनका इन्दराज कागजात देही में नहीं है। तो अगर वे मुस्तहक हैं और उनकी गुरबत की वजह से उनके नाम इन्दराज नहीं हो सके तो उनको हक न दिया जाय यह सरासर अनुचित और अन्याय की बात होगी। उनको आप ट्रेसपासर कहिये, चाहे जो कहिये, लेकिन हम तो यह कहते हैं कि आपकी इजाजत से वे आराजी पर काबिज शुरू में हुए और अब भी बदस्तूर काबिज चले आते हैं। आपने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ इजेक्टमेंट की नहीं की। लिहाजा आपकी इम्पलिसिट कन्सेन्ट उस में रही है। इसलिये उनको काबिज रहने का हक है और जब काबिज रहने का हक है तो अधिकार पाने का भी हक है। इन शब्दों के साथ में इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ का उपखंड (ग) निरसित कर दिया जाय और इसके स्थान पर नया उपखंड (ग) दर्ज किया जाय---

"(ग) कब्जा बन्धकी को साधारण बंधक समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (ङ) में "अध्यासी (Occupant) दर्ज किया गया हो" शब्दों के पश्चात् शब्द "और (Trespasser) की हैसियत के अलावा काबिज हो" जोड़े जायं।]

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री घनश्याम डिमरी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के भाग (ङ) की पंक्ति ५ में शब्द "आसामी" के स्थान पर शब्द "हिस्सेदार" रख दिया जाय।

श्रीमन्, इस संशोधन के रखने से मेरा मंशा यह है कि इस बिल में जो हमारे यहां सीरतान हैं उनको भूमिधरी राइट्स के मिलने में कई स्टेजेज रखी गई हैं और यह पद्धति काम्पलीकेटेड है। इसलिये जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि खायकरों को भूमिधर बनाया गया है उसी तरह से गवर्नमेंट को क्या आपत्ति है कि सीरतानों को भी एक दम भूमिधर बना दिया जाय। अगर गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि सभी को फायदा पहुंचे तो इसको स्वीकार कर लें। हमारे यहां कुमायूं डिवीजन में कोई भी हिस्सेदार इसके खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं कि सीरतानों को हिस्सेदार बना दिया जाय। गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि इस में कम्पेसेशन का झगड़ा होगा और शायद सीरतान न दें सकें तो कानून की पूर्ति के लिये मामूली सा कम्पेंसेशन रखा जाय और वह भी इन्सटालमेन्ट्स

[श्री घनश्यामदास डिमरी]

में दिया जाय । मैं फिर से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और सब सीरतानों को भूमिधर बनाने की कृपा करें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बिल में एक योजना है और यह हमारा अल्टीमेट एम है कि हर सीरतान भूमिधर हो जाय । लेकिन वह दूसरी स्टेज पर होगा । सीरतान को राइट होगा कि वह अपनी जमीन के मुताल्लिक भूमिधर से भूमिधरी राइट्स खरीदे। अगर एक साल में यह तय नहीं होता है तो सरकार एक्वायर करके सीरतान को देगी । हिस्सेदार चाहता है कि सीरतान को भूमिधरी राइट्स मिल जांय । लेकिन हमने यह गुंजायश रखी है कि एक साल में कर देंगे और हमारे मित्रों की दिली मंशा भी पूरी हो जायगी । हिस्सेदार का लफ्ज हमने इस्तेमाल नहीं किया है । हिस्सेदार और भूमिधरों का झगड़ा चला आ रहा है । संशोधन कहता है कि हिस्सेदार का लफ्ज रख दिया जाय आसामी की जगह पर, वह हमें मान्य नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक अपनी योजना को थोड़ा-सा बदलें । वह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं । उन्होंने अपनी योजना में कोई प्रावीजन नहीं रखा है कि अगर कोई अस्पताल में जाये तो पहले वह व्यक्तिगत अस्पताल में जाये और वहां से दवा खरीदे और अगर दवा वहां न मिले तब सरकारी अस्पताल में जाये । इसलिये जो स्वास्थ्य विभाग की उनकी योजना है उसको वह माल विभाग में भी लागू करें । जब उन्होंने योजना बनाई थी तो उस समय माल विभाग उनके पास नहीं था । इसलिये वह स्वास्थ्य विभाग की योजना को माल विभाग में भी लागू कर दें । सीरतान क्यों भूमिधर के पास जाय, अर्जी लगाये और उससे प्रार्थना करे कि वह मंजूर कर दे । तब कहीं दो, तीन साल में जाकर उसको अधिकार मिलें । भूमिधर और सीरतान सब एक हैं । इसलिये माल विभाग में भी इस योजना को लागू करने की कृपा हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग और माल विभाग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं । इनमें रात और दिन जैसा फर्क है । अगर आप चाहें कि उत्तर प्रदेश जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जो प्रावीजन हैं उनको मिला दिया जाय तब तो मेल खा सकता है । अनमेल मेल खिलाना खतरे से खाली नहीं है । इसमें यह बात होगी कि इसी समय अगर हम देते हैं तो हिस्सेदार को तीस गुणा मुआवजा मिलेगा । सीरतान खरीदेगा २५ गुना पर और सरकार लेगी २० गुने पर । इसमें घुमाफिरा कर हिस्सेदार को फायदा हो जायगा । जो बात आपने कही है, इस वजह से मुझे मंजूर नहीं है ।

श्री घनश्याम डिमरी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हमने, बिल में प्राविजन रखा है । मैं भी मानता हूं कि बिल की खंड २६ ऐसी है जिसमें सिरतानों को अधिकार दिया गया है कि वह हिस्सेदार से नेगोशिएशन करें । लेकिन नेगोशिएशन करने में उनकी प्राइवेट बातें हो गयीं । कोई हिस्सेदार अपनी जमीन को कम कीमत पर देने को तैयार नहीं होगा । तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हुई । खायकरों को गवर्नमेंट इमदाद देने के लिए तैयार है जो कि सिरतानों से अच्छी हालत में हैं, उनको गवर्नमेंट ने मुआविजा मुकर्रर कर दिया है, लेकिन सिरतानों को जो वीकेस्ट सेक्शन आफ दि सोसाइटी हैं, उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है । उसको हिस्सेदार की मर्जी पर छोड़ दिया है । इसलिए वह इस बात पर विचार करें कि उनको हिस्सेदारों की मर्जी पर न छोड़े, अपने आप कृपा करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के भाग (ङ) की पंक्ति ५ में शब्द "आसामी" के स्थान पर शब्द "हिस्सेदार" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

खंड ९ के उपखंड (ङ) में शब्द "उसे अपने कब्जे में ले लेने" के स्थान पर शब्द "उस पर कब्जा करने" रख दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ज्यादा उलझन नहीं है । केवल मतलब स्पष्ट करने के लिए इस संशोधन को रखा गया है । आशा है कि इसको स्वीकार किया जायगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—शाब्दिक है । ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (ङ) में शब्द "उसे अपने कब्जे में ले लेने" के स्थान पर शब्द "उस पर कब्जा करने" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

राज्य में निहित भूमि तथा स्वत्व को कलेक्टर अपने अधिकार में लेना

१०—धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) कोई खायकरी भूमि तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों, और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हों;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अध्याप्त किसी खायकरी भूमि में प्रवेश और उसका सर्वेक्षण (survey) या पैमाइश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ;

(ग) किसी व्यक्ति को किसी भूमि या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books), लेखे (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे; और

(घ) यदि बही, लेखे और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, लेखे तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर लें ।

श्री घनश्याम डिमरी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड १० के भाग (क) की पंक्ति १ में शब्द 'खायकरी'' और "भूमि" के बीच शब्द "सिरतान" रख दिये जायं यह प्रस्ताव करता हूं।

इस प्रस्ताव को पेश करने से भी मेरा मतलब वही है जो मैंने अभी तक निवेदन किया है कि सिरतानों को एकदम से भूमिधर बना दिया जाय, जैसी कि खायकरों को भूमिधर बनने की इस बिल में व्यवस्था है। इस निवेदन की पुष्टि में जो अब तक मैंने निवेदन किया है उसको दोहराना वाजिब नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फिर भी वह हमारी इतनी बात पर विचार करने की कृपा करें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, माननीय डिमरी जी के संशोधन अगर स्वीकार होते तब तो उसके परिणामस्वरूप इस संशोधन की संगति होती। चूंकि उनके पहले के संशोधन अस्वीकार हो चुके हैं, इसलिए उसी आधार पर आधारित यह संशोधन अनावश्यक हो गया है। मैं समझता हूं कि ऐसे अनावश्यक संशोधनों को वह सदन के सामने नहीं रखेंगे। मैं इसका इसलिए विरोध करता हूं कि यह तो सर्वथा अनावश्यक है।

श्री सुरथबहादुर शाह--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या किसी माननीय सदस्य का सदन में सोना सदन की शान के विरुद्ध नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष--जो माननीय सदस्य सो रहे हों वह जग जायं।

श्री घनश्याम डिमरी--मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के भाग (क) की पंक्ति १ में शब्द "खायकरी" और "भूमि" के बीच शब्द "सीरतान" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११--प्रत्येक हिस्सेदार जिसका अधिकार, आगम या स्वत्व धारा ४ के अधीन अध्याप्त कर लिया जाय प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उनको आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर दिया जायगा। हिस्सेदार का प्रतिकर पाने का अधिकार

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की पंक्ति १ में "हिस्सेदार जिसका" शब्दों के बाद शब्द "खायकारी की हिस्सेदारी का" जोड़ दिये जायं।

यह सारे चेप्टर को डील करता है। आप जो हिस्सेदारी के हक ले रहे हैं उसी को यह स्पष्ट करता है। जिस तरह से रामसूरत जी का संशोधन था उसी तरह का यह है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--श्रीमन्, यह संशोधन रिडेन्डेन्ट है जो इस विधेयक में प्राविधान है वह पर्याप्त है। उसमें किसी प्रकार की एम्बीगुइटी नहीं है। अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैं यह सोच रहा था कि हम अपनी तरफ से अमृत भी अगर सरकार के पास भेजें तो माननीय मन्त्री जी सोचते हैं कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है। ऐसी उनकी भावना मुझे मालूम होती है। रामसूरत जी का जैसा ही यह संशोधन है, उनका भी शाब्दिक संशोधन था और यह भी एक शाब्दिक संशोधन है। उनकी तो इतनी जरूरत भी नहीं थी जितनी इसकी जरूरत है। हिस्सेदार के दो हक होते हैं। उसका असामी वाला हक तो असामी को अभी नहीं दिया जा रहा है लेकिन जो खायकारी जमीन में हिस्सेदारी का हक है उसे खत्म किया जा रहा है। उसी को स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन रखा था माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि यह रिडेडेन्ट है। तो मैं फिर क्या कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ की पंक्ति १ में 'हिस्सेदार जिसका' शब्दों के बाद शब्द 'खायकारी की हिस्सेदारी का' जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की दूसरी पंक्ति में "अधिकारी" और 'होगा' शब्दों के बीच में 'न' जोड़ दिया जावे और आगे के शब्द हटा दिये जावें।

इससे यह होगा कि जो प्रतिकर देने के विचार सरकार कर रही है वह न दिया जाय। हमारी समझ में जब यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बना उस समय हालात दूसरे थे। उस समय भी हम लोगों का विचार था कि मुआविजा नहीं देना चाहिए लेकिन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस वक्त समाजवाद में सरकार का विश्वास नहीं था और अब उनका विश्वास हमें मालूम है कि इसमें हो गया है। अगर ऐसी बात है तब तो हमारी समझ में समाजवाद की व्यवस्था में मुआविजे के लिये कोई स्थान नहीं है। एक जमीन जिस किसी के पास थी उसका भोग उसने कई वर्षों तक कर लिया है और उस जमीन से जितना फायदा उठाना था वह उठा लिया है। वह जमीन उनसे ली जा रही है यह न्याय की बात है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको दी जायगी यह भी न्याय की बात है। उनसे जमीन ली जाय और उसके लिए रुपये की व्यवस्था की जाय, लोगों को मुआविजा उसके लिये दिया जाय इसके लिये समाजवाद में कोई स्थान नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि चूंकि मन्त्री जी समाजवादी हैं और समाजवाद में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसलिये इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद के अगर यह माने हैं कि कानून शिकनी की जाय तब तो मैं ऐसा समाजवादी नहीं हूं। हम ऐसे समाजवादी हैं कि जो कानून अपने यहां देश में प्रचलित हैं उसकी इज्जत करना चाहते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकिल ३१ यह कहता है कि किसी शख्स को जमीन बिला मुआविजा नहीं ली जा सकती। जब तक वह कांस्टीट्यूशन मौजूद है हम मजबूर हैं उसकी इज्जत करने के लिये। इस वजह से हमें इसका विरोध करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ की दूसरी पंक्ति में "अधिकारी" और "होगा" शब्दों के बीच में 'न' जोड़ दिया जावे और आगे के शब्द हटा दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों के विषय में परिकल्पना (presumption)

१२---धारा १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये या पुनरीक्षित (revised) और पिछले कृषि वर्ष में प्रवृत्त अधिकार अभिलेखों (record of right) में पिछले कृषि वर्ष की प्रत्येक प्रविष्टि के विषय में इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये, यह समझा जायगा कि वह धारा ४ के अधीन अधिप्राप्त भूमि में हिस्सेदारों के अधिकार, आगम और स्वत्व (right, title or interest) को ठीक-ठीक व्यक्त करती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है के उपबन्धों के अधीन या किसी न्यायालय की डिगरी या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार अभिलेखों (record of rights) में किये गये किसी परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा संशोधन (correction) का, चाहे वह निश्चित दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, प्रतिकर अधिकारी ध्यान रखेगा ।

श्री रामसूरतप्रसाद---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में जहां कहीं भी शब्द "कुमायूं डिवीजन" के बाद शब्द "की पर्वतीय पट्टियां" आये हों निकाल दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि सेलेक्ट कमेटी ने अन्य खंडों से इन शब्दों को निकाल दिया है और इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि इसको यहां से निकाल दिया जाय । आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, इसी के साथ मेरा यह संशोधन है कि शब्द "कुमायूं डिवीजन" के बाद शब्द "उत्तराखंड" जोड़ दिये जायं। श्रीमन्, यह अत्यावश्यक है क्योंकि नया डिवीजन बन गया है और शायद माननीय सदस्य को उसकी पूरी सूचना नहीं है । इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करता हूं ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---उपाध्यक्ष महोदय, रामसूरत जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह सरकार को स्वीकार है और दूसरा संशोधन जो नारायणदत्त जी ने पेश किया है उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है । वैसे इस तरह का एक संशोधन आगे इसमें आया है कि जहां-जहां शब्द "कुमायूं डिवीजन" आया है उस के बाद "उत्तराखंड" जोड़ दिया जाय । शायद माननीय सदस्य ने उसे देखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आगे जब वह आयेगा तो उसी समय उसको ले लेंगे ।

प्रश्न यह है कि खंड १२ में जहां कहीं भी शब्द "कुमायूं डिवीजन" के बाद शब्द "की पर्वतीय पट्टियां" आये हों निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १३–१६

१३––यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी, यदि प्रतिकर अधिकारी का समाधान हो जाय कि पिछले कृषि वर्ष के अधिकार अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical mistakes) या ऐसी कोई भूल है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है (error apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उसको शुद्ध कर सकता है। अधिकार अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना

१४––धारा १२ और १३ में उल्लिखित किसी भी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय में किसी वाद या अन्य कार्यवाही द्वारा धारा ४ के अधीन अव्याप्त खायकरी भूमि के सम्बन्ध में अपना दावा स्थापित के अधिकार पर नहीं पड़ेगा। दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार

१५––यदि किसी दीवानी या माल के न्यायालय में, निश्चित दिनांक पर, ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो या उक्त दिनांक पर या उसके बाद संस्थित किया जाय (instituted) जिसमें धारा १२ में उल्लिखित अधिकार अभिलेख की किसी प्रविष्टि की शुद्धता पर आक्षेप किया गया हो या जिसमें उसकी शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से विवादग्रस्त हो (directly or indirectly in dispute) तो उस वाद या व्यवहार का कोई भी पक्ष (party) वाद-पत्र (plaint) या आपत्ति-पत्र (objection) की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार में पक्ष (party) हो गया है। अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से सम्बन्ध रखने वाले विचाराधीन वाद और व्यवहार

१६––धारा १५ के अधीन प्रस्तुत की गई वाद-पत्र या आपत्ति-पत्र की प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार के अभिलेख का अंग हो जायगी और प्रतिकर अधिकारी धारा १७ के अधीन तैयार की गई प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) में तत्संबंधी विवाद का विषय ऐसे विवरणों के साथ दर्ज करायेगा, जो नियत किये जायं।

श्री रामसूरतप्रसाद––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के शब्द "कुमायु डिवीजन" के बाद आये हुए शब्द "की पर्वतीय पट्टियां" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, यह भी उसी प्रकार का संशोधन है और इसके भी वही कारण हैं जो मैं पहले बतला चुका हूं। आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन––स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खण्ड १३ के शब्द "कुमायूं डिवीजन" के बाद आये हुए शब्द "की पर्वतीय पट्टियां" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १३ और खण्ड १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

प्रतिकर विवरण

१७—(१) हिस्सेदार के अधिकार, आगम और स्वत्व की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर के अवधारण तथा भुगतान के प्रयोजनों के लिये प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायंगी —

(क) हिस्सेदार अथवा हिस्सेदारों के नाम;

(ख) धारा ४ के अधीन अध्याप्त खायकरी भूमि का क्षेत्रफल;

(ग) खायकरी भूमि से हिस्सेदार की वार्षिक लगानी आय (annual rental income); तथा

(घ) अन्य ऐसे ब्यौरे जो नियत किये जायं।

(२) वार्षिक लगानी आय में निम्नलिखित होंगे:

(क) खायकर द्वारा देय लगान—

(१) नकदी में, या

(२) यदि लगान नकदी में देय न हो तो नियत रीति से नकदी में परिवर्तित तथा अवधारित (commuted and determined) लगान का नकद मूल्य, या

(३) यदि लगान देय न हो तो नियत रीति से अवधारित लगान।

(ख) गांव के खायरकरों द्वारा देय लगानों के अनुसार नियत रीति से आकलित गांव संजायत में हिस्सेदार के अंश का लगानी मूल्य।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १७ के उपखण्ड (१) की मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नई मदें (ङ) व (च) जोड़ी जायं—

"(ङ) खायकरी वाली जमीन की हिस्सेदारी हक की बाजारी कीमत,

(च) खायकरी हक की बाजारी कीमत।"

श्रीमन्, इस संशोधन को रखने का मेरा स्पष्ट मंशा यह है कि माननीय मंत्री जी यह जमीन ले रहे हैं और इसका रकबा ज्यादा नहीं है। यह थोड़े से लोग होंगे। तो अच्छा यह होगा कि जो कुछ भी थोड़ी सी बिटरनेस रहती है उसे समाप्त किया जाय। एक बार्डर की समस्या हमारे सामने है ही। वहां के लोगों को खुश करने के लिये सरकार करोड़ों नहीं, अरबों रुपये खर्च कर रही है और वहां जो हिस्सेदार हैं उनमें सबसे ज्यादा एफेक्टेड भोटिया लोग होंगे। वे टेडर्स हैं, तिब्बत जाते हैं और उस समय अपनी जमीन दूसरों को सौंप जाते हैं। उनके कई मेमोरेन्डम यहां आ चुके थे और आज ही मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि उनके कहने के कारण ही यह कानून आज तक नहीं आ सका और बेकार ही इधर और उधर के लोग आक्षेप करते रहे। उनके बहुत से रेप्रेजेन्टेशन यहां आये और माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले, कुछ प्रतिनिधियों के साथ। मुझे ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि सरकार का कोई विशेष ध्यान उधर नहीं है, लेकिन वह लोग बोर्डर पर रहते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये ताकि कहीं वह किसी विदेशी राज्य के प्रोपेगेंडे में आयें और प्रलोभन में पड़ जायं। अगर अरबों रुपया वहां पर केन्द्रीय सरकार का यहां से खर्च हुआ और हर एक तरह की वहां सुविधायें

भी दीं तो थोड़ा सा २-४ लाख रुपया भोट के भाइयों को खुश रखने के लिये अगर ज्यादा खर्च हो जाय तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार अशरफी की लूट करें, लेकिन कोयलों पर मुहर लगाये और कोयलों में आग लग जाय तो यह बड़ा खराब विस्फोट हो जायगा। तो उनको थोड़े से रुपये के लिये असंतुष्ट न करो यह मेरी मांग है।

इसलिये मेरा साग्रह निवेदन है कि बाजार रेट ही मुआवजे की दर रहने दीजिये, वरना किया कराया सब गुड़ गोबर हो जायगा। तो यह तो देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिये इसको स्वीकार किया जाय।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, विष्ट जी ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में जो उन्होंने तर्क दिया उसके माने यह हैं कि जिनको भी मुआवजा देना है, जो बाजार भाव से कीमत हो, उस भूमि को जो सरकार हस्तगत करे, वह दिया जाय। यह सिद्धान्त न तो हमने जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम में स्वीकार किया न उसके पश्चात् जितने भूमि सुधार के प्रगतिशील विधेयक आये उनमें इस भवन ने स्वीकार किया--कहीं भी स्वीकार नहीं किया। इस समय जो हमारा सीलिंग का काम चल रहा है उसमें भी इसको स्वीकार नहीं किया है मुआवजा देने के संबंध में। तो हम अपने संविधान के होते हुए मजबूर हैं, हमने मुआवजा देकर के ही भूमि के हस्तगत करने के सिद्धान्त को माना है, लेकिन मुआवजा क्या हो, यह इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत जितना भी मुमकिन और मुनासिब होगा उसको देखते हुए हर विधेयक में हमने रखा है और इस विधेयक में भी वही रखा है।

इसलिये माननीय विष्ट जी का जो संशोधन है वह हमारी इस विधेयक की दी हुई योजना के विपरीत पड़ता है। जो उन्होंने भोटियों के नाम से एक भावना को उत्तेजित करने की अपील की, मैं उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि भोटिया और जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको केवल मुआवजा देकर ही संतुष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी दशा को सुधारने के लिये और भी प्रयास हो सकते हैं, वह भी हम कर ही रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट- श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि मैं माननीय मंत्री जी को वह ग्रेविटी आफ दि सिचुएशन जो बोर्डर पर है और जो इस विधेयक के आने के बाद खास कर भोटिया लोगों में भावना आयी उसको समझाने में असमर्थ हूं। काश, मंत्री जी थोड़ा सा मुख्य मंत्री जी से बतियाये होते! मर्द ही नहीं, बल्कि उतनी दूर से उनकी प्रतिष्ठित लेडी मेम्बर्स भी डेलीगेशन में आयीं और पं० जवाहर लाल नेहरू के पास वे सब लोग गए। उन लोगों ने रेप्रेजेंटेशन पर रेप्रेजेंटेशन--छपे हुए और मौखिक दिये। माननीय मंत्री जी का कहना कि पर्वतों के लिए हम विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे गलत होगा। क्योंकि आज सीमा सुरक्षा के कारण उन्हें वहां एकदम नई व्यवस्था न चाहते हुए भी करनी पड़ रही है, इसलिये और कुमायूं के चारों जिलों में तथा उत्तराखन्ड में व नीती-मांड़ा जोहार, भोट व दारमा में विशेष परिस्थितियों के कारण कोई नयी बात वहां के लिये मौजूदा कानून में की जानी चाहिए। यहां पर ८-१० लाख की तहसील होती है। क्या आपने उत्तराखन्ड में १४,००० की तहसीलें नहीं बनायीं? २३-२४ हजार की मुंशियारी और धारचूला मौजूद हैं। गढ़वाल जिले में १४,००० की आबादी मौजूद है। वहां भी तो यह नई व्यवस्था की गयी। अब अगर वहां की और यहां की समानता नापने लगे तब तो कल्याण हो गया इस देश का।

मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी भावना ऊपर से नीचे तक प्रांतीय व केन्द्रीय सरकार में बेखबर की आज की विशेष अवस्था में भी क्यों बनी हुई है। जब लद्दाख में सड़क बनती है तब तो यह सोते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें पता नहीं चला था। जहां तक लैन्ड सीलिंग की बात है, मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भूमिधर के राइट

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

लेने के लिये हेरीडिटेरी रेटस का ४० टाइम्स रखा गया है, यह आज की आपकी दूसरी व्यवस्था है मगर नए बिल से प्रभावित, पुराने रईसों जैसे सर जगदीशप्रसाद जी या किन्हीं बड़े आदमियों की जमीन नहीं ली जा रही है, इसमें गरीब आदमियों का सवाल है। आज इस तरह का पहाड़ों का कानून बना है। सीमा में मौरूसी दर का ४० गुना किस हिसाब से है? और तब सरकार पहाड़ के लिये कैसे कहती है कि ३० गुना देंगे। कहने के लिये तो हर जगह समानता है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। दूसरी बात श्रीमन्, यह कि यहां तो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट है लेकिन पहाड़ों के लिये उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह से कहीं भी साम्य नहीं है। कह देना बड़ा आसान है लेकिन जहां पर पैसा देने का सवाल आता है वहां पर बराबर रेट से नहीं देंगे। सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि एक पैसा भी मुआवजा न दिया जाय, मैं भी मानता हूं कि इस देने से तो न देना ही अच्छा है क्योंकि यह इतना कम है कि इसको लेना भी हास्यास्पद होगा। अगर देना ही है तो पूरा दो नहीं तो कम से कम तीन चौथाई या आधा तो दो। लेकिन चूंकि कांस्टीट्यूशन में एक प्राविजन हो गया, कम्पेन्सेशन देने के लिये, इसीलिये यह मुआवजा देने का नाटक रचा जा रहा है। वाकई अगर मंत्री जी की करनी और कथनी में साम्य है तो वहां भी रिहैबिलिटेशन ग्रांट दीजिये और वहां की विशेष परिस्थिति को देखिये। श्रीमन, जमीन से कृषक आदमी को विशेष लगाव होता है क्योंकि वहीं पर वह पैदा होता है, वहीं पर मरता है, उसका एक खास एसोसिएशन उस जमीन से होता है, Sweet Home का conception उसमें निहित होता है। उसका तो compensation भी यथेष्ठ मुआवजा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हम पूरा मुआवजा नहीं देंगे तो वहां पर असंतोष फैलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अगर पब्लिक एक्सचेकर से चन्द लाख रुपये निकल जायंगे तो कौन सी बड़ी बात, ऐसी विशेष परिस्थितियों में आज चल रही है, हो जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक जानकारी मंत्री जी से यह चाहता हूं कि खायकरों की संख्या तो निश्चित है और सब मालूम है तो क्या कोई अब तक ऐसा आकलन किया गया है कि खायकरों को कुल कितना मुआवजा मिलेगा और प्रति नाली का क्या रेट होगा ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—इतना मैं कहूंगा कि वह करोड़ों में नहीं होगा, लाखों में ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से कहा जाता है कि बजाय ३० टाइम्स मल्टिपुल के जो कि रखा गया है, मार्केट रेट रख दिया जाय। इसमें एक दिक्कत यह दिखाई देती है कि मार्केट रेट मुख्तलिफ एरियाज में डिफर करेगा। कहीं पर अगर शहर करीब है तो मार्केट रेट ज्यादा होगा और इन्टीरियर में है तो मार्केट रेट कम होगा। इसलिये मार्केट रेट को निश्चित करना बड़ा मुश्किल काम होगा। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी ऐसी है जिसमें कि जितना मुआवजा नहीं देंगे उससे ज्यादा खर्च हो जायगा। इसीलिये हमने कामन मल्टिपुल रख दिया है। इसमें बहुत मुमकिन है कि कहीं हिस्सेदारों का नुकसान हो, लेकिन गरीब खायकरों को फायदा हो सकता है क्योंकि हिस्सेदार उस जमीन पर होते हैं जो कि बढ़िया जमीन होती है और खायकरों को वह जमीन दी जाती है जो इन्फीरियर होती है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि खायकरों को फायदा हो सकता है।

इसके अलावा एक और दिक्कत है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के सिलसिले में हमने जो एक स्कीम रखी थी उसमें यह था कि ५ रु० से २५ रुपये तक जो देते हैं उनको नेट इन्कम का २० टाइम्स मिलेगा और जो २५ से ऊपर तथा ५० से नीचे हैं उनको १७ गुना, ५० पर १०० से अधिक नहीं, उनको १४ गुना, १००, पर २५० से अधिक नहीं ११ गुना, २५० पर ५०० से अधिक नहीं, ८ गुना, ५०० पर २,००० से अधिक नहीं ५ गुना,

२,००० पर ३,५०० से अधिक नहीं ५ गुना, ३,५०० पर ५,००० से अधिक नहीं दो गुना, ५,००० पर १०,००० से अधिक नहीं---वन टाइम्स । यह हमने उसमें रखा है । जो सब से छोटे थे यानी ५---२५ तक के मालगुजार उनके लिये २० टाइम्स दिया था । वे भी बेचारे बड़े गरीब थे और उनके पास भी धन दौलत नहीं थी । उनके साथ तो सदन ने ऐसा किया। वहां के हिस्सेदार कोई उनसे नीचे नहीं हैं । लेकिन फिर भी हम उनको ३० टाइम्स देते हैं । हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ३० टाइम्स दें । मैं समझता हूं कि यह कम नहीं है और अगर इस ढंग से यह बातें उनको मिल जायेंगी तो मेरा खयाल है कि वे मुतमइयन हो जायंगे । वे यह भी कहेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया था कि बिना मुआवजे के उनसे जमीन को ले लिया जाय । इससे तो अच्छा यही है कि उनको ३० फीसदी दे दिया जाय ताकि उनको कुछ संतोष हो जाय । इसलिये जो मारकेट रेट की बात कही है, उससे बड़ी दिक्कत होगी । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---अब प्रश्न यह है कि खण्ड १७ के उपखण्ड (१) की मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नई मदें (ङ) व (च) जोड़ी जायं---

"(ङ) खायकरी वाली जमीन की हिस्सेदारी हक की बाजारी कीमत,

(च) खायकरी हक की बाजारी कीमत" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(श्री राम सूरतप्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें जो संशोधन आया है वह चार सदस्यों के नाम से आया है---सर्व श्री केशव पाण्डेय, रामसूरत प्रसाद, वासुदेव डिमरी तथा नागेश्वर प्रसाद । यहां पर वासुदेव डिमरी नाम का सदस्य कोई है ही नहीं । तो मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । चारों नामों में से मैं किसी एक का नाम पुकार सकता हूं । मैंने माननीय सदस्यों को पुकार लिया है। अब उनका नाम है या नहीं इसका प्रश्न नहीं है । चारों के नाम नहीं पुकारे जाते हैं ।

श्री रामसूरतप्रसाद---श्रीमन् मेरा यह संशोधन है कि खण्ड १७ के उपखण्ड (२) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-

"खायकर द्वारा देय लगान के अनुसार नियत रीति से आकलित गांव संजायत भूमि में, जिसमें कि धारा ८ के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि सम्मिलित नहीं है, हिस्सेदार के अंश का लगानी मूल्य" ।

श्रीमन्, यह बड़ा ही उपयुक्त संशोधन है और आशा है माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---श्रीमन्, माननीय सदस्य का संशोधन उपयुक्त है । इसलिये वह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड १७ के उपखण्ड (२) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"खायकर द्वारा देय लगान के अनुसार नियत रीति से आकलित गांव संजायत भूमि में, जिसमें कि धारा ८ के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि सम्मिलित नहीं है, हिस्सेदार के अंश का लगानी मूल्य ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

हिस्सेदार को प्रतिकर

१८—(१) धारा ११ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर उस धनराशि का तीस गुना होगा जो धारा १७ में अभिदिष्ट लगानी आय में से हिस्सेदार की खायकरी भूमि के संबंध में उसके द्वारा देय मालगुजारी को घटाकर निकले।

(२) जब हिस्सेदार का स्वत्व ठेकेदार के कब्जे में हो तो धारा ४ के अधीन हिस्सेदार तथा ठेकेदार के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के संबंध में उन दोनों को देय प्रतिकर की कुल धनराशि हिस्सेदार के प्रतिकर विवरण में उल्लिखित लगानी आय के आधार पर उपधारा (१) में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार आकलित धनराशि के बराबर होगी।

(३) प्रतिकर अधिकारी उपधारा (२) के अधीन आकलित धनराशि को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए हिस्सेदार और ठेकेदार के बीच विभक्त करेगा —

(क) ठेके या पट्टे के आरम्भ के समय दिया हुआ नजराना (premium) यदि कोई हो,

(ख) ठेके की शर्तें और प्रतिबन्ध,

(ग) ठेके की समाप्ति के फलस्वरूप ठेकेदार को हुई क्षति, यदि कोई हो,

(घ) ठेके के अधीन खायकरी भूमि की लगानी आय,

(ङ) ठेकेदार द्वारा देय वार्षिक धनराशि,

(च) यह तथ्य कि हिस्सेदार के वे अधिकार जो अध्याप्त किये जा रहे हैं उसके पास सतत अनुक्रम में थे (held in perpetuity) जब कि ठेकेदार के अधिकार सीमित प्रकार के हैं, तथा

(छ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

श्री घनश्याम डिमरी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"हिस्सेदार को प्रतिकर निम्नलिखित मिलेगा—

(१) पक्के खायकरों के मालिकाना का ५० गुना;
(२) कच्चे खायकारों के मालिकाना का १०० गुना;
(३) मौरूसी सिरतानों के मालिकाना का १५० गुना;
(४) आधुनिक सिरतानों के मालिकाना का २०० गुना।"

श्रीमन्, चूंकि अब माननीय मंत्री जी न सिरतानों को भूमिधरी राइट्स देने से इन्कार कर दिया है, इसलिये मैं नम्बर ३ और ४ पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें समय ही बरबाद करना होगा। मैं अब केवल नम्बर १ और २ की बाबत ही कहूंगा। मालिकाना का सिद्धांत जो तमाम दुनियां में माना जाता है और हमारे कान्स्टीट्यूशन में भी है कि कंपेन्सेशन लास के हिसाब से दिया जाता है, उसके लिये यह देखा जाता है कि किस आदमी को कितनी क्षति हो रही है उसके अनुपात से कंपेन्सेशन दिया जाता है।

सरकार ने यह जो बिल बनाया है उसमें ३० गुनी वेल्यू रखी है और केवल एक ही कैटेगरी रखी है। जब सरकार स्वयं ही यह मानती है कि कुमायूं में कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के खायकर होते हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि एक ही प्रकार का दोनों को कंपेंसेशन देना कहां तक जायज है। पक्के खायकरी गांवों में अगर कोई खायकर लावल्द मरता था तो उसकी जायदाद उसके वारिशों को मिलती थी हिस्सेदार को उसमें कोई हक प्राप्त नहीं होता था, उसकी बहुत कम इन्टरफियरेंस होती थी। उसके मालिकाने पर मेरा प्रस्ताव है ५० गुना हिस्सेदार को दिया जाय। लेकिन कच्चे खायकर के ऊपर हिस्सेदार का बहुत हक होता है। कोई कच्चा खायकर अगर लावल्द फौत हो जाय तो वह ज़मीन हिस्सेदार को रिवर्ट हो जाती है। इसलिये मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि दोनों भूमियों की बाबत एक ही दर क्यों रखी गयी है। इसलिये यह भी उतना अल्ट्रावायरस है जैसा कि मैंने पिछली दफाओं के बारे में कहा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फंडामेंटल राइसट्स के प्रकाश में माननीय मंत्री जी कंपेन्सेशन देने के बारे में फिर से विचार करें और जिस हद तक हिस्सेदार को लास होता है उस हद तक उसको कंपेन्सेशन दिलाने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ लहरी--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन डिमरी साहब ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। जब कि मैदानी इलाकों में २ जुलाई, १९५२ से, जिसको आज ८ बरस हो गये, जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, पहाड़ों के अंचल में अभी तक जमींदार लोग अपनी जमींदारी के अधिकारों का पूरा-पूरा प्रयोग करते आ रहे हैं। यह बात भी उन्हें मालूम हो गयी कि इस प्रकार का कानून वहां आने वाला है जैसा कि मैदानी इलाके में आ चुका था और जिसके द्वारा जमींदारी समाप्त हो गयी थी। इस बीच में हिस्सेदारों ने, जो वहां के जमींदार हैं, अपनी जमीन से नाजायज फायदा उठाया और अधिक से अधिक किसानों को बेदखल करने का प्रयत्न किया।

आज जब कि प्रतिकर देने का प्रश्न आ रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ८ वर्ष तक इन जमींदारों द्वारा नाजायज तौर पर रुपया पैदा करने के उपरान्त भी मैदानी इलाके के जमींदारों से जो अधिक प्रतिकर और मुआवजा देने का निश्चय किया है वह एक तरह से सरासर अन्याय है। जब इस प्रदेश के मैदानी इलाके की जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तब जमींदारों को उनके मुनाफे का जिसको कि इस पहाड़ी अंचल में मालिकाना कहा जाता है---८ गुना मुआवजा दिया गया।

अभी विष्ट जी ने कहा कि यह बड़ा अन्याय है कि मैदानी इलाके के जमींदारों को मुआवजे के अतिरिक्त पुनर्वासन भत्ता भी दिया गया लेकिन पहाड़ी अंचल के जमींदारों को मुआवजे के अतिरिक्त पुनर्वासन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि जहां मैदानी इलाके के जमींदारों को कुल आठ गुना मुआवजा दिया गया और पुनर्वासन भत्ता एक गुना से आठ गुना तक दिया गया वहां, इन पहाड़ी इलाके के जमींदारों को ८ गुना की जगह ३० गुना तक देने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इन जमींदारों से कोई कलेक्शन चार्ज नहीं लिया जायगा, जबकि मैदानी इलाके के जमींदारों से १५ परसेंट कलेक्शन चार्ज भी लिये गये, इस तरह से उनको ८ गुना के बजाय ७ गुना से भी कम मुआवजा ही मिला। इस कुमायूं जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां के जमींदारों को उनकी जमींदारी के एवज में जो प्रतिकर दिया जा रहा है वह तीस गुना तक दिया जायगा तथा किसी भी प्रकार का कलेक्शन चार्ज नहीं लिया जायगा। इस तरह से उनसे कोई कलेक्शन चार्ज न लेने से वह दो ढाई गुना और बढ़ जायगा, और उनको मुआवजा ३२,३३ गुना तक पहुंच जायगा।

मैं समझता हूं कि इस तरह के भेदभाव की नीति सही नहीं है। इस भेदभाव की नीति के फलस्वरूप पहले ही से मैदानी इलाके के जमींदारों में रोष था कि ८ वर्ष हो गये पर फिर भी पहाड़ों पर जमींदारी कायम रखी गयी है और फिर उनको मुआवजा ३० गुना तक दिया जा रहा है तथा उनसे कोई कलेक्शन चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। साथ ही डिमरी जी ने संशोधन पेश किया है उसके अनुसार उनको मुआवजा ५० गुना और १०० गुना तक देना चाहिये। अभी तक तो हम ३ दिन तक कच्चे खायकर और पक्के खायकर की मीमांसा में पड़े रहे और रसदन इस बात को

[श्री जगन्नाथ लहरी]
पूरी तरह से निश्चय कर चुका है कि हम कच्चे और पक्के खायकर के जाल में नहीं फंसेंगे। कच्चे खायकर की जमीन का १०० गुना तथा पक्के खायकर की जमीन का ५० गुना देने की बात नहीं मानी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमें समाजवाद को लाना है तो जिस तरह से मैदानी इलाके के जमींदारों को ८ गुना मुआवजा दिया गया उसी तरह से इनको भी देना चाहिये। इनको ३२,३३ गुना मुआवजा देना सरासर अन्याय है। किसी भी हालत में उन लोगों को आठ गुना से अधिक मुआवजा नहीं देना चाहिये। यदि आप उनको मैदानी इलाके के जमींदारों की तरह पुनर्वासन अनुदान देना चाहें तो दे सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—कोरम नहीं है, माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(घंटी बजायी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री उपाध्यक्ष—कोरम की तरफ खासतौर से ध्यान रखा जाय क्योंकि अब गिलोटिन होने वाला है, तमाम संशोधन एक-एक करके लिये जायेंगे। माननीय सदस्य, संक्षेप में ही भाषण करें।

श्री जगन्नाथ लहरी—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माननीय डिमरी जी ने मांग की और उन्हें इस बात का क्षोभ है कि पहाड़ के हिस्सेदारों को भी मैदान के जमीदारों की तरह से मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं कि ऐसा न किया जाय और हो सके तो इस तरह का संशोधन न लाया जाय कि जो मुआवजा और पुनर्वासन अनुदान मैदानी इलाके में दिया गया है उसी तरह से पहाड़ी इलाके में भी दिया जाय। पहले लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार जब किसी की जमींदारी या जमीन ली जाती थी तो उस समय जमींदार को २० गुना मुआवजा सरकार दिलाती थी, अभी तक वहां यही कानून जारी है कि जमीन लिये जाने पर २० गुना मुआवजा दिया जाता है और किसान को भी ४ गुना मुआवजा मिलता है। अब तो २० गुने में सारे जमींदार संतुष्ट हैं लेकिन आज सरकार और अधिक यानी ३० गुना और बगैर कलेक्शन चार्जेज १५ परसेंट की छूट देना चाहती है, जो सब मिलाकर करीब ३३ गुने के हो जायगा। अंग्रेजों के जमाने में तो ३० गुना लेते रहे, लेकिन अब वह कैसे कहते हैं कि जब उनकी हिस्सेदारी ली जाय तो ५० गुना और १०० गुना दिया जाय...

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है, संक्षेप में ही आप अब कहें।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं तो अन्त में बस डिमरी जी से अर्ज करूंगा कि ३० गुना भी अधिक है और इतना देने से ही मैदानी इलाके के जमींदारों के साथ अन्याय है, इस वास्ते वह अपने संशोधन को वापस ले लें, जो मिल रहा है वही ठीक है।

श्री बेवीप्रसाद मिश्र—मेरा एक छोटा-सा संशोधन इस में है श्रीमन्, कि इसमें जहां भी इस संशोधन में अंक आये हैं उस में से अंक न हटाकर उनके आगे के शून्य हटा दिये जायं।

श्री घनश्याम डिमरी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में अधिक निवेदन करना है। लेकिन क्यों कि माननीय लहरी जी ने लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट का हवाला दिया है, उस कानून के अन्तर्गत तो मार्केट वेल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उसमें जमीन से "सीवियरेंस" यानी जमीन छोड़ने का भी मुआवजा दिया जाता है। इसलिये इस डिबेट में लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की बात लाना खायकर और सीरतानों के हित में नहीं है। मैंने जो ५० गुना और १०० गुने का स्केल रखा है उस से भी हिस्सेदारों का लाभ न होगा। सब से बड़ा खायकर करीब ५ रुपया रेन्ट देता है और उसका मालिकाना हिस्सेदार को करीब १ रुपया मिलेगा। इस तरह से वह कच्चे खायकर से १०० रु०

और पक्के से ५० रुपया ही पायेगा और जब किसी हिस्सेदार की जमीन १०-१५ एकड़ के करीब होगी तब कहीं उसको ३०-४०-५० रुपया मिलेगा, इस तरह से यह कोई ज्यादा नहीं है। यही सब सोचकर मैंने इसे रखा था।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मैं खायकर और सीरतानों को ही अधिक फेवर कर रहा हूं, मेरे जितने भी संशोधन हैं और जो भी मैंने सदन के समक्ष निवेदन किया है उससे मालूम होगा कि मैं चाहता हूं कि खायकर और सीरतानों को जितनी भी सहूलियतें गवर्नमेन्ट दे सकती है वह दे। यह तो मैंने कम रखा है। अगर हिसाब लगाया जाय तो आप के हिसाब से और ज्यादा आता है, अगर गवर्नमेन्ट के हिसाब से दिया जाय, मेरे हिसाब से तो हिस्सेदार को और कम ही मिलेगा। इसलिये जो हिसाब संशोधन के ऊपर के २ खंडों में है वह कोई ज्यादा नहीं है, और वह दोनों पार्टियों को सेटिस्फाई करने वाला है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह समझा कि कवल नं० १ व २ मूव किये गये हैं और ३ व ४ मूव नहीं किये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, मूव तो सब किये गये हैं, लकिन जोर कवल १ व २ पर ही दिया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां तक ३ और ४ का सम्बन्ध है, यह बिलकुल इरेलेवेन्ट हैं क्योंकि हम सीरतानी जमीन में हकूक एक्वायर करने नहीं जा रहे हैं, लिहाजा यह बात युक्त-संगत नहीं प्रतीत होती है।

१ और २ के बारे में माननीय डिमरी जी ने यह कहा था---अगर मैं गलत समझा हूं तो वह करेक्ट कर देंगे---कि कम्पन्सेशन एडीक्वेट होना चाहिये।

श्री घनश्याम डिमरी---हिस्सेदार को जो क्षति होती है उसके अनुपात से कम्पन्सेशन होना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---एडीक्वेट कम्पन्सेशन होना चाहिये यही मतलब है। तो मैं आपकी आज्ञा से आर्टिकिल ३१ का सब क्लाज २ जो कि रेलेवेन्ट है, पढ़ना चाहता हूं:-

"No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation of specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given ; and no such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate."

तो हमको संविधान से अधिकार है कि हम या तो एमाउन्ट फिक्स कर दें या प्रिन्सीपल फिक्स कर दें जिसके आधार पर जोड़-जाड़ कर निकाला जायगा। इस तरह से हमने ३० टाइम्स का मल्टीपुल रख दिया है और जो संशोधन १ और २ में है वह उससे बहुत ज्यादा होगा। उसको सरकार किसी तरह से देना उचित नहीं समझती।

इसके अलावा एक खतरा हमको है। अगर कच्चे खायकर और पक्के खायकर के दरम्यान में एमाउन्ट आफ कम्पन्सेशन के आधार हम मुख्तलिफ रखें तो आर्टिकिल १४ बीच में न आ जाय-इनईक्वेलिटी बिफोर ला। पक्की तौर से तो नहीं कह सकता लेकिन हमारा खयाल है कि यह दिक्कत आ जायगी। इसलिये मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं---

"हिस्सेदार को प्रतिकर निम्नलिखित मिलेगा :

(१) पक्के खायकरों के मालिकाना का ५० गुना,
(२) कच्चे खायकरों के मालिकाना का १०० गुना,
(३) मौरूसी सिरतानों के मालिकाना का १५० गुना,
(४) आधुनिक सिरतानों के मालिकाना का २०० गुना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, इसमें कुछ छपने से रह गया है, मैं पूरा पढ़े देता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाय---

"(१) धारा ११ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर खायकरी भूमि का बाजार भाव होगा जिसको सिद्ध करने का भार संबंधित हिस्सेदार पर होगा और जो पूरे का पूरा सरकार द्वारा देय होगा।"

मैं मंत्री जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ५ से २५ रुपये लगान देने वाले को हमने आठ गुना दिया। लेकिन कुमायूं में जो सैटिलमेन्ट चल रहा है---५७२ गांव नैनीताल में, ३५२ अल्मोड़े में, ७०२ गढ़वाल में और ३६९ गांव टेहरी-गढ़वाल में जो बन्दोबस्त हुआ है उससे क्या नतीजा निकला ? सैम्पुल सर्वे बताती है कि वहां ८२ परसेंट ऐसे हिस्सेदार हैं जो ढाई रुपये से कम लगान देते हैं नैनीताल में, अल्मोड़े में ८५ परसेंट, गढ़वाल में ९७ परसेंट हैं, ढाई रुपये से कम लगान देने वाले और टेहरी-गढ़वाल में ६६ परसेंट हैं। और अगर ५ रुपये तक की हद में जायं, क्योंकि मंत्री जी की लोवेस्ट लिमिट ५ रु० लगान वालों की है तो नैनीताल में ११ परसेंट, अल्मोड़े में ११ परसेंट, गढ़वाल में ढाई परसेंट और टेहरी-गढ़वाल में २० परसेंट उन लोगों की है, जो ढाई रुपये से पांच रुपये तक लगान देते हैं। यानी दोनों को अगर मिलायें ५ रुपये और ५ रुपये से कम लगान देने वाले हिस्सेदार, जिनको गलतफहमी से जमींदार कहा गया है, तो वह ९३ फीसदी लोग नैनीताल में हैं जो ५ रुपये तक लगान देते हैं और अल्मोड़े में ९६ फीसदी ऐसे लोग हैं, गढ़वाल में ९९ फीसदी हैं। यह आंकड़े मैं माननीय चरण सिंह द्वारा एकत्रित कराये हुये दे रहा हूं जो सरकारी आंकड़े हैं।

श्रीमन्, आजकल अगर किसी को गाली देनी हो तो जमींदार कह दीजिये, रिएक्शनरी या बुर्जुआ कह कर गाली दे सकते हैं। माननीय नरेन्द्रसिंह बिष्ट, हरिदत्त कांडपाल, श्री नरेन्द्र-सिंह भंडारी, रावत जी, श्री नौटियाल जी, वगैरह बतायें कि कितने बड़े जमींदार पहाड़ पर हैं ? वे चुप बैठे हैं। जमींदारों का जो झूठा हव्वा खड़ा किया गया है वह कितने हैं पहाड़ पर जिनके बारे में माननीय देवनारायण भारतीय जी ने कहा कि गरीबों का खून चूसा है। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि ५ रुपये से नीचे लगान देने वालों को मुआवजा बाजार रेट से दिया जाय और उससे ऊपर वालों की जमीन मुफ्त ही ले ली जाय, चाहे इसके लिये संविधान में संशोधन ही क्यों न करना पड़े, लेकिन गरीब का गला न काटा जाय। मुआवजे की पूरी रकम सरकार दे, गरीब, सिरतान या खायकरों से न लिया जाय। अगर इस तरह की सिफारिश मंत्री जी ऊपर को करेंगे तो मुझे कतई दुख न होगा।

फिर श्रीमन्, देखा जाय कि उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट भी मैदानी भाग की तरह नहीं मिल रही है। मंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया, ८ गुना और १२ गुना तो कह दिया आपने यह दर १९५० में रखी थी तब से और अब में कितनी मंहगाई बढ़ गई है, लिविंग इन्डैक्स कहां से कहां पहुंच गया है। इसी वजह से सीलिंग बिल में क्या रखा गया है मुआवजे के बारे में १४० गुना तक....

श्री हुकुमसिंह विसेन---४० एकड़ है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, मंत्री जी को अपना बनाया हुआ बिल भी याद नहीं है । इसमें दिया हुआ है : "*Manner of calculation of Compensation*—(*a*) Bhumidhar—Forty times of the land revenue determined at applicable hereditary rates or eighty times of the land revenue payable, whichever is greater." तो ४० गुना हैरिडिटरी रेट का होगा या ८० गुना लगान का देय होगा जो भी ज्यादा हो "whichever is greater" दोनों में जो ज्यादा होगा वह रेट दिया जायगा । इसे मंत्री जी जस्टीफाई करें । यह मंत्री जी के यहां से छपा है ।

"and where the land revenue payable is less than that determined at applicable hereditary rates an additional amount equal to twenty times of the difference between the two."

से छोटी जमीन जिसका सर्किल रेट ५ रुपया है वह ६ कर दिया गया और वह ४० एकड़ रख सकेगा ५ आदमी का परिवार हो तो । अगर ८ का परिवार है तो ६४ एकड़ रख सकेगा और दूसरे किस्म की जमीन में ९६ एकड़ और तीसरे किस्म की जमीन में १२८ एकड़ रख सकेगा । तो १२८ एकड़ रखने के बाद वह रेवेन्यू का ८० गुना उसे सरकार देगी । सेलेक्ट कमेटी से ऐसा सीलिंग बिल पास होता है । पर हिस्सेदार बहुत गरीब होता है । लेकिन माननीय मंत्री जी को तरस आया यहां के बड़े जमींदार पर, क्योंकि १२८ एकड़ तक वह रख सकता है । लेकिन पहाड़ पर एक आदमी जिसके पास मुश्किल से ५ रु० रकमी में केवल ४ एकड़ जमीन निकलेगी उससे वह छिन जायगी । यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ? ऐसा जुल्म और अत्याचार वहां पर होगा तो उनकी आत्मा ऐसा श्राप देगी कि उसका क्या प्रतिकार कठिन होगा । चार एकड़ वाले आदमी का सारा का सारा हड़प कर लिया जाय तो यह किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ?

सीमा आरोपण विधेयक में यह था कि १५ अगस्त के पहले जो सूइट वेंडिंग उन पर होंगे वह लागू न होगा । उसके बाद अगर कोई मुकदमा दायर करे तो उस पर सीलिंग लायबिल होगी, लेकिन उस दिन जो सूट्स पार्टीशन के पेंडिंग थे उन पर सारा रकबा एक मानकर शिलिंग नहीं लगेगी । मैकेनाइज्ड फार्म के विषय में यह व्यवस्था है कि जो पिछले ३ साल से ट्रेक्टर से जोती जायेगी उसे ऐसा फार्म मान लिया जायगा । १२८ एकड़ तक तो वह एक परिवार जमीन रख ही सकता है । बाकी का वह मैनेजर बना दिया जायगा । जितने सरकार के फार्म्स हैं वे नुक्सान में चल रहे हैं इसलिये सरकार उसे तनख्वाह नफे के तौर पर देगी । तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं । करें, वह उनके हाथ में ताकत है । यह भी कानून वह पास कर सकते हैं कि जो जमीन के बारे में बोलेगा उसे दंड दिया जायगा, लेकिन इसका हश्र अच्छा होने वाला नहीं है इस वक्त वे मेरी बात ठुकरा सकते हैं मगर २२ लाख पहाड़ की जनता की अवहेलना वक्त आने पर न कर सकेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिस ताव व जोश में मेरे मित्र ने तकरीर की है वह ताव तो मैं कभी लाता नहीं । बिना वजह गर्मी बढ़ाना उचित नहीं । उनका कोई उद्देश्य हो गर्मी बढ़ाने का तो वे बढ़ायें, वैसे ही गर्मी यहां बहुत काफी है । हमारे मित्र ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि यहां के लोगों के लिये सीलिंग में हम कुछ कर रहे हैं । और पहाड़ के लोगों के लिये कुछ कर रहे हैं । लेकिन यह सब हमारे मित्र गुस्से में बोल गये । यहां जो सीलिंग होगी वह किस बात की होगी । जो जमीन वाकई काश्तकारों के कब्जे में है उससे वह डिप्राइव्ड होंगे सीलिंग के ऊपर, जिससे कि वे प्राफिट उठाते हैं । कम्पेनसेशन किस बात का देने जा रहे हैं वहां पर, उसका जो हिस्सेदारों के कब्जे में इस वक्त नहीं है । इसलिये यह फर्क है । अगर हमारे मित्र सावधानी के साथ इस पर विचार करते तो इतना वक्त खराब न करते और न अपनी इतनी एनर्जी बर्बाद करते ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जहां तक बाजार भाव का सम्बन्ध है, इसके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि बाजार भाव हमको कतई मंजूर नहीं है क्योंकि उसमें हमारी दिक्कतें हैं। यहां पर हमने ३० गुना रखा है, यह काफी रिआयत है और बहुत मुनासिब है। लिहाजा मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मेरा तर्क अपनी जगह पर अक्षरशः सही है। सिरतान से जब जमीन वापस ली जायगी तो पांच गुना देना पड़ेगा। पांच गुना ८० में से काट लिया जाय फिर भी ७५ गुना रहता है। इसका क्या जवाब है? कोई नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो इरेलेवेन्ट बातें कही जाती हैं उनका जवाब तो मैं देना नहीं चाहता। हमारे मित्र ने बड़ी बद्दुआयें दीं और यह कहा कि आफत हो जायगी और आसमान फट पड़ेगा अगर हम उनकी तरमीम को नहीं मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---दो ठाकुरों के बीच में यह शाप की बात कैसी है। यह तो ब्राह्मणों का अधिकार है। (हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, और फिर वह राजर्षि भी नहीं हैं। जिस वक्त जमींदारी एबालिशन बिल यहां पर पेश था उस वक्त भी ऐसी ही बद्दुआयें दी गयी थीं और यहां तक कहा गया था कि तलवार चल जायगी। मैं पहाड़ का राजपूत नहीं हूं, लेन्स का राजपूत हूं। इन बद्दुआओं से मैं डरता नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाय---

"(१) धारा ११ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर खायकर भूमि का बाजार भाव होगा जिसको स्वीकृत करने का भार सम्बन्धित हिस्सेदार पर होगा और जो पूरे का पूरा सरकार द्वारा देय होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं माननीय सदस्यों का जिसके नाम संशोधन हैं नाम पुकारूंगा और वह थोड़ा सा खड़े हो कर यह इच्छा जाहिर करेंगे कि वह पेश करना चाहते हैं। उसके बाद मत ले लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) व (३) निरसित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९-२०

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन।

१९---धारा १७ के अधीन निर्मित प्रतिकर विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को भी भेजी जायगी।

आपत्तियों को प्रस्तुत करना।

२०---स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार नियत रीति से ऐसे विवरण के सम्बन्ध में, उसके प्रकाशन से तीन महीने के भीतर प्रतिकर अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ के बाद निम्नांकित शब्द जोड़े जांय---

"प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन, निरीक्षण, उजरदारी, दिनांकों की सूचना व प्रतिकर निर्धारण, व अपील के सम्बन्ध में यू० पी० जमींदारी विनाश भूमि सुधार ऐक्ट की धारायें ४६ से ५०-ए तक, आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ और २० इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१ व २२

आपत्तियों का निस्तारण

२१—(१) उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर प्रतिकर अधिकारी यदि आवश्यक हो तो, धारा २० के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा;

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत आपत्ति—

(क) यह हो कि भूमि खायकरी भूमि नहीं है तो प्रतिकर अधिकारी इस आशय का वाद प्रश्न (issue) तैयार करेगा और तत्पश्चात् उसे परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास निस्तारण के निमित्त भेज देगा;

(ख) आगम का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो तथा किसी समक्ष न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय न दिया हो तो प्रतिकर अधिकारी उसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के निमित्त भेज देगा।

स्पष्टीकरण—किसी दिनांक विशेष पर कोई व्यक्ति खायकर था या नहीं, इस बात से यह न समझा जायगा कि उससे इस खंड के अर्थ में आगम का कोई प्रश्न उठता है।

(३) उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन अभिदिष्ट प्रश्न पर डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से निर्णय करेगा तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

कलेक्टर को अपील

२२—किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति-पत्र के सम्बन्ध में धारा २१ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा से, जहां तक उसका सम्बन्ध प्रतिकर की धनराशि से हो, क्षुब्ध हो कलेक्टर के सामने अपील कर सकता है, जो नियत रीति से अपील का निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति (१) में शब्द "खायकरी" तथा शब्द "भूमि" के बीच में शब्द "अथवा सिरतानी" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति ३ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" के स्थान पर शब्द "मुन्सिफ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति में शब्द "निर्णय" और शब्द "करेगा" के बीच में शब्द "अपीलेबिल टू डिस्ट्रिक्ट जज होगा (appealable to District Judge)" रख दिये जायं और इसके बाद शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय अंतिम होगा" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ और २२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३

विवरण का अंतिम प्रकाशन

२३---(१) यदि धारा १९ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उसका अंतिम निस्तारण (disposal) हो गया हो तो विवरण (statement) में, जहां आवश्यकता होगी, संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया जायगा और प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा तथा अपनी मुहर लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर करने और मुहर लगाये जाने के पश्चात् विवरण (statement) अंतिम हो जायगा।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को निःशुल्क दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (३) के अन्त में शब्द "तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि दो महीने के लिये असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ सब-डिवीजन के कार्यालय तथा ग्राम स्थान के किसी नोटिस बोर्ड में चिपका दी जायगी" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

प्रतिकर का भुगतान

२४---(१) उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, धारा २३ में अभिदिष्ट प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर एकमुठ (one lump sum) नगदी में या दस से अनधिक वार्षिक किस्तों में, जैसा भी नियत किया जाये, दिया जायगा।

(१-क) उपधारा (१) में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार २ १/२ प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देगी।

(२) प्रतिकर उस हिस्सेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो तथा जब अदायगी से पहले हिस्सेदार मर जाये तो वह प्रतिकर अधिकारी द्वारा नियत रीति से अवधारित उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ६९ तथा ७० के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त "हिस्सेदार" के अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "या दस से अनधिक वार्षिक किस्तों में जैसा भी नियत किया जावे" निरसित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (३) के बाद का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५, २५-क और २५-ख

२५---(१) कोई हिस्सेदार जो धारा ८ के अधीन भूमिधर हो गया हो, निश्चित दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियत रीति से परगने के अवधायक असिस्टेंट कलेक्टर को अपने रहने के मकान के पास की ऐसी भूमि के जो उसके असामी के कब्जे में हों, पुनर्ग्रहण के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन भूमि के पुनर्ग्रहण के किसी प्रार्थना-पत्र में, उक्त भूमि के सभी हिस्सेदार, जिनके घर उसके समीप हों, और जो धारा ८ के अधीन उसके भूमिधर हो गये हों, फरीक (पक्षी) बनाये जायेंगे।

(३) (क) ऐसा भूमिधर को जो उपधारा (२) के अधीन अपने असामी की भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही में फरीक बनाया गया हो, अपने रहने के मकान के लिये भूमि के पुनर्ग्रहण के निमित्त भी दावा कर सकता है।

(ख) ऐसे भूमिधर को जो पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन पुनर्ग्रहण के लिये कार्यवाही न करे, भविष्य की किसी कार्यवाही में ऐसा करने का अधिकार न होगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र का निर्णय करने में निम्न-लिखित सिद्धान्तों का ध्यान रखा जायगा :--

(क) केवल उतनी ही भूमि के, जो २.५ नाली से अधिक हो, पुनर्ग्रहण की अनुमति दी जायगी जो पुनर्ग्रहण चाहने वाले भूमिधर के रहने के मकान के हितकारी उपभोग के लिये परमावश्यक समझी जाय ;

(ख) ऐसे भूमिधर को भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति नहीं दी जायगी जिसके पास उसके रहने के मकान के समीप पहले से ही २.५ नाली या इससे अधिक क्षेत्र हो अथवा यदि उस असामी के पास जिसकी भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव हो, २.५ नाली या इससे कम क्षेत्र हो;

(ग) किसी भूमिधर को उतनी भूमि से अधिक भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति नहीं दी जायगी, जो उस क्षेत्र को जो पहले ही उसके पास उसके रहने के मकान के समीप हो, मिलाने के पश्चात् २.५ नाली के क्षेत्र से अधिक हो जाय ;

(घ) यदि असामी के रहने का मकान उस भूमि में या उसके समीप हो जिसके पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव हो तो भूमिधर को केवल अपनी उतनी भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति दी जायगी जो असामी के लिये २.५ नाली क्षेत्र नियत करने के बाद बच रहे ;

(ङ) पुनर्ग्रहण चाहने वाले किसी एक या अधिक भूमिधर के पक्ष में किसी भी दशा में २.५ नाली के कुल क्षेत्र से अधिक भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति नहीं दी जायगी ; और

(च) ऐसे अन्य सिद्धान्त जो नियत किये जायं ।

(५) यदि परगने का अवधायक असिस्टेन्ट कलेक्टर, भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति दे तो वह प्रतिकर देने की भी आज्ञा देगा जो भूमि का पुनर्ग्रहण का दावा करने वाले भूमिधर द्वारा असामी को उस लगान के तीन गुने की दर से दिया जायगा जो असामी द्वारा पुनर्ग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में देय हों, ऐसी अन्य धनराशि सहित जो उन पेड़ों के सम्बन्ध में जो असामी के हों या उन्नतियों के सम्बन्ध में जो उसने की हो; यदि कोई हों, नियत रीति से अवधारित की जाय।

(६) यदि इस धारा के उपबन्धों के अधीन किसी असामी की जोत के किसी भाग का पुनर्ग्रहण किया जाय तो परगने का अवधायक असिस्टेन्ट कलेक्टर उसकी जोत के शेष भाग का उसके द्वारा देय लगान उस रीति से जो नियत की जाय अवधारित करेगा ।

२५-क---१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ६ के निदेश और तदधीन बनी नियमावली, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उस क्षेत्र में लागू होंगे जिसके विषय में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसके मत में आवश्यक प्रतीत हों और जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के आरम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी ।

२५-ख---यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य द्वारा किसी भूमि का बन्दोबस्त किसी वर्ग के खातेदारों के साथ किया गया है तो उक्त बन्दोबस्त भू-तल के अधिकारों के सम्बन्ध में किया गया समझा जायगा जैसा कि अब तक किया जाता रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "असामी" के स्थान पर शब्द " भूतपूर्व सिरतान" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (३) की मद (क) में शब्द "ऐसा भूमिधर को" के स्थान पर शब्द " कोई ऐसा भूमिधर भी" रख दिये जायं, तथा शब्द " निमित" तथा "दावा" के बीच आने वाला शब्द "भी" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (४) में जहां कहीं शब्द व संख्या "२.५ नाली" आया हो उसके स्थान पर शब्द "एक एकड़" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ और खंड २५-क व २५-ख इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

२६---(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा ९ के खंड (क) या (ख) में उल्लिखित वर्ग का कोई भी असामी निश्चित दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार उस भूमि में, जो उक्त असामी के पास उसी नाते रही हो, भूमिधरी अधिकारों को खरीदने और अध्याप्त करने का अधिकारी होगा, असामी भूमिधरी अधिकार खरीदने के अधिकारी होंगे

(१-क) उपधारा (१) में अभिदिष्ट असामी धारा ३२ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट दिनांक तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा,

(२) उपधारा (१) की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी---

(क) जब कोई भूमिधर, या उनके एक से अधिक होने की दशा में समस्त भूमिधर, उस दिनांक पर जब धारा २२ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया जाय, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू किये जाने के सम्बन्ध में परिष्कृत किया गया है, की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या एकाधिक वर्गों में से हों, अथवा

(ख) जब भूमि धारा ४१ में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की हो।

(ग) यदि भूमि बाग भूमि हो, या

(घ) यदि वह धारा ९ के खंड (घ) या (ङ) में उल्लिखित वर्ग का हो।

स्पष्टीकरण---इस धारा में भूमि के अन्तर्गत भूमि का कोई भाग अथवा गाटा (plot) या गाटे भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २६ में उपखंड (१) में शब्द तथा अंक "धारा ९ के खंड (क) या (ख) में" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ९ के खंड (क), (ख) या (ङ) में से किसी में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "बात" तथा "निम्नलिखित" के बीच में शब्द "किसी असामी पर" बढ़ा दिये जायं, और मद (घ) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (२) में जहां-जहां शब्द "भूमिधर" आया है उसके स्थान पर शब्द "हिस्सेदार" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७---३१

२७---वह मूल्य जिस पर असामी को अपने कब्जे की भूमि में भूमिधरी अधिकार खरीदने का अधिकार होगा उस लगान का २५गुना होगा, जो---

(क) नकदी में देय हो, या

(ख) यदि लगान नकदी में देय न हो तो नियत रीति से परिवर्तित और अवधारित लगान का नकद मूल्य, या

(ग) यदि लगान देय न हो या अवधारित न किया गया हो, तो नियत रीति से अवधारित लगान।

भूमिधरी अधिकार खरीदने का प्रार्थना-पत्र

२८---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भूमिधरी अधिकार खरीदने का प्रार्थना-पत्र नियत प्रपत्र (form) में लेखबद्ध करके असामी द्वारा असिस्टेन्ट कलेक्टर को दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र के साथ खतौनी (मुन्तखिब) का उद्धरण (extract) भी होगा जिसमें वह गाटा या वे गाटे जिनका प्रार्थना-पत्र से सम्बन्ध है तथा उनके निमित्त देय लगान प्रदर्शित होंगे तथा उस प्रार्थना-पत्र में वे ब्योरे भी होंगे जो नियत किये जायं।

प्रार्थना-पत्र की जांच

२९---(१) जब प्रार्थना-पत्र उपयुक्त आकार में हो तथा यथोचित रूप से प्रस्तुत किया गया हो तो असिस्टेन्ट कलेक्टर उसके सम्बन्ध में ऐसी जांच करवायेगा जो नियत की जाये।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जांच करने पर असिस्टेन्ट कलेक्टर का समाधान हो जाय कि प्रार्थी भूमिधरी अधिकारों को खरीदने का प्रत्यक्षतः (*prima facie*) अधिकारी है तो वह भूमिधरी अधिकारों को खरीदने के निमित्त प्रार्थी द्वारा देय धनराशि अवधारित करेगा तथा उसे प्रार्थी को सूचित करेगा।

भूमिधर को नोटिस

३०---जब प्रार्थी धनराशि देने का प्रस्ताव करे तब असिस्टेन्ट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधर पर एक नोटिस तामील करवायेगा जिसमें वह उससे यह पूछेगा कि उस उक्त प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं और वह धारा २९ की उपधारा (२) के अधीन अवधारित मूल्य लेकर प्रार्थी के हाथ भूमिधरी अधिकार बेचने के लिये राजी है या नहीं।

भूमिधरी अधिकारों का खरीदा और बेचा जाना

३१---(१) यदि भूमिधर प्रस्ताव स्वीकार करे और भूमिधरी अधिकार बेचना चाहे तो असिस्टेन्ट कलेक्टर तुरन्त वह दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा जहां बिक्री कार्यान्वित होगी तथा तदनुसार नोटिस जारी करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन निश्चित दिनांक पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि भूमिधर को देगा तथा असिस्टेन्ट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधरी अधिकारों का विक्रय सम्पन्न करायेगा तथा तदनुसार नियत प्रपत्र में विक्रय प्रमाण--पत्र जारी करेगा।

(३) यदि नोटिस के उत्तर में भूमिधर उपस्थित न हो या उपस्थित तो हो किन्तु बिक्री के लिये राजी न हो अथवा असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा कहे जाने पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि न दे तो असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रार्थना-पत्र खारिज कर देगा ।

(४) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (२) के अधीन प्रदत्त विक्रय प्रमाण-पत्र पर कोई भी मुद्रांक शुल्क (stamp duty) देय न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ में शब्द "उस लगान का" से लेकर इस खंड के अन्त के शब्द" अवधारित लगान" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द " जो उस भूमि की बाजार दर होगी और जिसे शुद्ध करने का भार उस भूमि के हिस्सेदार का होगा ।" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ से ३१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३२

असामी के कब्जे की भूमियों में भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति

३२---(१) निश्चित दिनांक से एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी समय राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, यह घोषित कर सकती है कि उसमें निर्दिष्ट दिनांक से उस भूमि में भूमिधरों के अधिकार आगम और स्वत्व, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर, धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (क) में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी के थे, इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक (जिसे एतत्पश्चात् निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा) के आरम्भ से समाप्त हो जायेंगे तथा, एतत्पश्चात् की गयी व्यवस्था को छोड़कर, सब भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे ।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि यदि वह ऐसा आवश्यक समझें तो उपधारा (१) में अभिदिष्ट विज्ञप्ति केवल उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो निर्दिष्ट किये जांय, समय-समय पर जारी करे तथा उपधारा (१) के समस्त उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर, और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३२ (१) की तीसरी लाइन में शब्द "भूमिधरों" के स्थान पर शब्द "पूर्व हिस्सेदारों" रखे जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (१) में शब्द तथा अंक "धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (क) " के स्थान पर शब्द तथा अंक " धारा ९ के खंड (ग) तथा (घ) तथा धारा २६ की उपधारा (२)" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३३

धारा २६ के अधीन अधिकार आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति के परिणाम

३३—जब धारा ३२ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाये तब, इस अधिनियम के अध्याय २ में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, उस क्षेत्र में (जिसे एतत्पश्चात् विज्ञापित क्षेत्र कहा गया है), जिससे विज्ञप्ति का सम्बन्ध हो, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्—

(क) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी रहा हो, निर्दिष्ट दिनांक से धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि का (जिसे एतत्पश्चात् विज्ञापित भूमि कहा गया है) जो उसी नाते उसके कब्जे में रही हो, सीरदार हो जायगा तथा उसे वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन समस्त उत्तर दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सीरदारों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट भूमि का स्वामी रहा हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस भूमि पर उसी नाते कब्जा बनाये रखने का अधिकारी रहेगा ।

व्यवस्था

(ग) धारा ५ के खंड (क), (ख), (खख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा (ज) और धारा ६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस प्रकार लागू होंगे मानों पद "हिस्सेदार", "खायकरी भूमि" तथा "निश्चित दिनांक" के स्थान पर क्रमशः पद "भूमिधर", "विज्ञापित भूमि" तथा "निर्दिष्ट दिनांक" रख दिये गये हों ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ के उपखंड (क) तथा (ख) में शब्द "दिनांक पर" तथा शब्द तथा अंक "धारा २६" के बीच शब्द तथा अंक "धारा ९ के खंड (ग) तथा (घ) और" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ (ग) के शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "नये बने हिस्सेदार" जोड़े जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३४

प्रतिकर पाने का भूमिधर का अधिकार

३४—प्रत्येक भूमिधर जिसके अधिकार, आगम अथवा स्वत्व धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि में उक्त धारा के अधीन अध्याप्त किये जायें, एतत्पश्चात् की गयी के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा तथा उसे प्रतिकर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "नये हिस्सेदार" रक्खे जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४-क

भूमिधरी भूमि के संबंध में प्रतिकर विवरण-पत्र

३४-क---(१) किसी भूमिधरी के अधिकार, आगम तथा स्वत्व की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे---

(क) भूमिधर का नाम या भूमिधरों के नाम,

(ख) धारा ३२ के अधीन अध्याप्त भूमि का क्षेत्रफल,

(ग) धारा ३२ के अधीन अध्याप्त भूमि से भूमिधर की वार्षिक लगानी आय, और

(घ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं।

(२) वार्षिक लगानी आय में ऐसा लगान सम्मिलित होगा जो असामी द्वारा---

(१) नकदी में देय हो, या

(२) यदि लगान नकदी में देय न हो, तो नियत रीति से आकलित तथा अवधारित लगान का नकद मूल्य, या

(३) यदि लगान देय न हो या अवधारित न किया गया हो तो नियत रीति से अवधारित लगान।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४-क में शब्द "भूमिधरी, भूमिधरों तथा भूमिधर" जहां कहीं आये हों उनके स्थान पर "नई हिस्सेदारी, नये हिस्सेदारों तथा नये हिस्सेदार" शब्द क्रमशः रक्खे जायं।

(प्रश्न उपथित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५ व ३५-क

३५-धारा ३४ के अधीन किसी भूमिधर को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि धारा २७ में अभिदिष्ट लगान की बीस गुनी होगी।

३५-क---धारा ३४-क के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार हो जाने के पश्चात् धारा १९ से २४ तक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे और धारा २४ में की गयी व्यवस्था के अनुसार भूमिधर को प्रतिकर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३५ में "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "नये हिस्सेदार" रक्खा जाय तथा शब्द "धारा २७ में अभिदिष्ट लगान की बीस गुनी होगी" के स्थान पर शब्द "भूमि की बाजार दर पर कीमत होगी और उसको सिद्ध करने का भार प्रमुखतः उस हिस्सेदार पर होगा" रक्खे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३५ और ३५-क इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३६

भूमि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण

३६---इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी भी गांव सभा को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निर्दिष्ट दिनांक से राज्य सरकार के निमित्त तथा उसकी ओर से ऐसी भूमियों तथा वस्तुओं, [जिसके अन्तर्गत ऐसे वन और अकृषित (uncultivated) भूमि है जो किसी खातेदार की न हो], जिन्हें नियत किया जाय, के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ७ के तथा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा ऐसी भूमियों तथा वस्तुओं जिसके अन्तर्गत ऐसे वन और अकृषित (uncultivated) भूमि है जो किसी खातेदार की न हो, पर लागू होंगे जिन्हें नियत किया जाय किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा ऐसा अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसकी राय में आवश्यक प्रतीत हो और जिससे मूल तत्वों पर प्रभाव न पड़ता हो तथा ऐसे किसी भी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी ।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जावेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३७

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११८ से १२८ तक का लागू किया जाना

३७---जब धारा ३० के अधीन कोई गांव सभा किसी क्षेत्र की भूमियों तथा वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबंध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित की जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से १२८ तक के, और उक्त अधिनियम के धारा १२८ के अधीन निमित्त तत्सम्बन्धी नियमों के उपबद्ध सम्बन्ध क्षेत्र पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी भी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३७ की पंक्ति ४ के शब्दों "धारा" तथा "११८" के बीच शब्द "११३ से लेकर" जोड़े जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस ७८-क के विरोध से हमारा मतलब यह है कि इस खंड ३७ को निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, वह तो अगर अस्वीकृत हो जायगा तो निकाल दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड ३८

खातेदारों के वर्ग

३८---इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों (tenure-holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे ---

(१) भूमिधर,

(२) सीरदार, और

(३) असामी ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३८ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :-

"३८---इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों की केवल एक ही श्रेणी हिस्सेदारी की होगी और हिस्सेदार को अपनी गैरहाजिरी में अपनी भूमि को किसी भी व्यक्ति को खाने कमाने को देने का अधिकार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा ३८ (१) में शब्द "भूमिधर" के स्थान पर "हिस्सेदार" शब्द रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३९ व ४०

भूमिधर

३९---निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन भूमिधरों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों, अर्थात्---

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ८ के अधीन भूमिधर हो जायगा;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसने धारा ३१ के अधीन भूमिधर के अधिकार खरीद लिये हों;

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या अधीन किसी अन्य प्रकार से भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले।

सीरदार

४०---ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को---

(क) जो भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के फलस्वरूप धारा ३३ के अधीन सीरदार हो जाये;

(ख) जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी जाय;

(ग) जो इस अधिनियम तथा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले;

वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३९ तथा ४० में जहां कहीं शब्द "भूमिधर" या उसके अन्य रूप आये हैं वहां पर व्याकरण के औचित्यानुसार शब्द "नया हिस्सेदार" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४० में उपखंड (क) के पहले निम्नलिखित नये उपखंड (क-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(क-१) जो निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक को गांव संजायत भूमि का सीरतान था किन्तु हिस्सेदार नहीं था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१

वह भूमि जिसमें सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे

४१---धारा ४० में किसी बात के रहते हुए भी निम्नलिखित भूमि में सीरदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे---

(क) पशुचर भूमि (Pasture lands) या ऐसी भूमि, जो जलमग्न हो और जल में उत्पन्न होने वाली चीजें पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि, जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो;

(ख) अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) खेती के ऐसे भूखंड (tracts) जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे; [और]

(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गई है; और

(घ) ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के किसी काम के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में हो, और जिसके विषय में राज्य सरकार ने इस बात का प्रख्यापन भी कर दिया हो अथवा जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४, संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई० या १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक)

(अस्थायी अधिकार) ऐक्ट, या इस अधिनियम से भिन्न सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि हस्तगत करने (acquisition) से सम्बद्ध किसी दूसरे विधायन (enactment) के अधीन हस्तगत की गयी हो।

स्पष्टीकरण—पद 'टौंगिया रीति से वन लगाने' का तात्पर्य वन लगाने की उस रीति से है जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ लगाने के साथ साथ खेती की फसलें भी बोई जाती हैं और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जायं जिससे खेती की फसलों को बोना असम्भव हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४२

असामी

४२—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों, अर्थात्—

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ९ अथवा धारा ३३ के खंड (ख) के अधीन असामी बन जाता हो;

(कक) (१)—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा ४१ के खंड (घ) में अभिदिष्ट भूमि पर काश्तकाराना कब्जा हो, और

(२) ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में बाग भूमि हो, किन्तु जो स्वयं बागदार न हो;

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते (holdings) के अन्तर्गत भूमि पट्टे पर उठा दी हो;

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे गांव सभा ने या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा ४१ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो; और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी और रीति से अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ में वर्तमान उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ९ के अधीन असामी बन जाता हो अथवा जो निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक को धारा ४१ में वर्णित भूमि का सीरतान या अध्यासी था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ की मद (कक) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४२ के वर्तमान उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे गांव समाज ने या ऐसे व्यक्ति ने जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, निश्चित दिनांक या उसके पश्चात् धारा ४१ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो; और"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४३

यू०पी० ऐक्ट १,१९५० के अध्याय ८ व १० के उपबन्धों का लागू होना

४३—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं १३४ से १३९, १४२, १४६, १५२—१९५, १९७ से २११, २१२-ख, २१२-ग, २१३ से २३०, २३२ और २४१ से २९४ और उक्त अधिनियम की धारा २३० और धारा २९४ के अधीन बनाये गये नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उस क्षेत्र पर लागू होंगे, जिससे धारा ४ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति का सम्बन्ध हो, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और जिनसे मूल तत्वों पर प्रभाव न पड़ता हो तथा ऐसे किसी भी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, इस संशोधन को आये हुए अभी ३६ घंटे नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब यह सब इस समय नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उपखंड (१) में अंक तथा कामा "१४२, १४६" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१४२ से १४६" रख दिये जायं तथा अंक तथा शब्द "१९७ से २११" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१९७ से २११-क" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४४, ४४-क, ४५ तथा ४६

रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का लागू होना

४४—(१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू है, निश्चित दिनांक से निरस्त हो जायगा।

यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९५१

(२) यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा संशोधित हुए हैं, और तदन्तर्गत निर्मित नियम या विनियम या दी गयी आज्ञायें

आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस क्षेत्र पर लागू होंगी जिससे धारा ४ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति का सम्बन्ध है, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(३) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी।

४४-क—ऐसा असामी जिस पर धारा ९ का खंड (ङ) लागू होता हो, निर्दिष्ट दिनांक (specified date) से अठारह महीने के भीतर परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेंट कलेक्टर को उस भूमि का जिसका वह असामी हो, कब्जा दिलाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

अधिकारियों की नियुक्ति

४५—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है:—

(क) सहायक प्रतिकर आयुक्त (Assistant Compensation Commissioner), तथा

(ख) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officer)।

(२) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त कुमायूं डिवीजन का प्रतिकर आयुक्त होगा।

अधिकार और कर्तव्य

४६—(१) प्रतिकर आयुक्त और सहायक प्रतिकर आयुक्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों के कार्य की देख-रेख तथा अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अथवा तदन्तर्गत बने नियमों द्वारा या उनके अधीन उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४, ४४-क, ४५ और ४६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४७

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ के अध्याय १२ की कुछ धाराओं के उपबन्धों का कुमायूं में लागू होना

४७—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं ३२१ से ३३६, ३३८ तथा ३४१ से ३४४ के और उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, कुमायूं डिवीजन पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ में संख्या "३२१" से पहले संख्या "३१९, ३२०" जोड़े जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ के उपखंड (१) में अंक तथा शब्द "३२१ से ३३६" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३२१ से ३३१-क, ३३३ से ३३६" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४८, ४९, ४९-क तथा ५०

धारा ३४, ३५ या ३८ के अधीन दी गयी आज्ञाएं राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायेंगी

४८—धारा ४३, ४४ अथवा ४७ के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा इस प्रकार दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम से कम १४ दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी तथा उसमें ऐसे परिष्कार किये जा सकेंगे जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें कि वह इस प्रकार रक्खी जाय।

निरसन (repeals)

४९—(१) जब इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ के ठीक पहले कुमायूं डिवीजन में भौमिक अधिकारों (land tenures) से सम्बद्ध कोई विधि प्रवृत्त हो तो ऐसी विधि का उतना अंश जितना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, उक्त दिनांक से तथा उस सीमा तक जिस तक धारा १ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन यह अधिनियम प्रवृत्त हो, निरसित हो जायेंगे, तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस प्रकार निरसित विधि पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियम हों।

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त खंडों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए निम्नलिखित विधायन (enactments) जहां तक कि वे ऐसे क्षेत्रों में लागू होते हैं जिनमें यह अधिनियम लागू होगा या है, निश्चित दिनांक से निवर्तित हो जायेंगे और एतद्द्वारा निवर्तित किये जा रहे हैं :

(१) यू० पी० एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट, १९३४ ।
(२) यू० पी० रेगुलेशन आफ रेमिशन्स ऐक्ट, १९३८ ।
(३) यू० पी० लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट, १९४७ ।
(४) टेहरी-गढ़वाल भूमि सम्बन्धी अधिकार नियम, १९४१ ।
(५) शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट आफ १८७४, के अधीन बने कुमायूं टेनेन्सी रूल्स ।

(६) कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस अधिनियम के अधीन किसी व्याख्या, कार्यवाही या कार्य के लिये यह आवश्यक हो कि वह कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ अथवा टेहरी-गढ़वाल भूमि सम्बन्धी अधिकार नियम, १९४१ के उपबन्धों के अनुसार किया जाय तो उक्त व्याख्या, कार्यवाही अथवा कार्य उसी प्रकार किया जा सकेगा मानो उक्त अधिनियम इस अधिनियम द्वारा निवर्तित न हुआ हो।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

४९-क--(१) यह सम्भव है कि वर्तमान विधि के निदेशों के स्थान पर इस अधिनियम के निदेशों के ग्रहण करने में कठिनाईयां उत्पन्न हों;

इसलिये राज्य सरकार इस संक्रान्ति (transition) को सुकर बनाने की दृष्टि से आज्ञा द्वारा :

(क) निदेश कर सकती है कि यह अधिनियम अथवा यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू है अथवा भौमिक अधिकारों के सम्बन्ध में रखने वाली किसी अन्य विधि (any other law relating to land tenure) के कोई निदेश आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट निश्चित अवधि के लिये और उसमें दिये गये हुए क्षेत्रों में एतद्द्वारा निर्दिष्ट अनुकूलन और परिष्कार के साथ सप्रभाव होंगे,

(ख) उपर्युक्त किसी कठिनाई को दूर करने के लिये आज्ञा में निर्दिष्ट अन्य अस्थायी निदेश बना सकती है।

(२) इस धारा के अधीन कोई आज्ञा निश्चित दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति पर किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में न दी जायगी।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों (both chambers of the State Legislature) के सामने रखी जायगी।

नियम बनाने के अधिकार

५०--(१) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:--

(क) धारा ४ के अधीन भूमि तथा स्वत्वों के निहित होने के पूर्व की कार्यवाहियां,

(ख) धारा ५ के अधीन स्थगित वादों (suit) और कार्यवाहियों का निस्तारण,

(ग) धारा १० के अधीन, भूमि तथा स्वत्वों पर अधिकार करने से सम्बद्ध विषय,

(घ) वह रीति तथा प्रपत्र जिसमें धारा १७ के अधीन प्रतिकर विवरण (compensation statement) तैयार किया जायगा,

(ङ) विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने के अधिकारों के विषय में यह समझा जायगा कि उनके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने के अधिकार भी हैं--

(१) ऐसी कालावधि निर्धारित करना जिसमें नियमों के प्रयोजन से की जाने वाली बातें कर ली जायं; चाहे निर्धारित कालावधि बढ़ाने के लिये नियमों में उल्लिखित किसी अधिकारी को अधिकार देकर अथवा न देकर,

(२) ऐसे मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों, वादों अथवा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(३) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी (officer) या प्राधिकारी (authority) के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया (procedures),

(४) उन मामलों (cases) में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, ऐसी अवधि निर्धारित करना जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जा सकें,

(५) उन मामलों में जिनके लिये अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था न की गई हो, इस अधिनियम के अधीन वादों, अपीलों और प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अदा किये जाने वाले शुल्क,

(६) इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों, अपीलों और कार्यवाहियों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्ध लागू करना,

(७) राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation),

(८) कार्यवाहियों का एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे के यहां स्थानान्तरण।

(४) नियम बनाने के लिये इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार इस शर्त के अधीन हैं कि नियम पूर्व प्रकाशन के उपरान्त ही बनाये जायेंगे।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम गजट में प्रकाशित होंगे और यदि कोई बाद का दिनांक निश्चित न कर दिया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बन जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिनों तक रखे जायेंगे और उनमें ऐसे समस्त परिष्कार किये जा सकेंगे, जिन्हें विधान अपने उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हों।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में मुझे एक शब्द कहने दें। इसके माने यह होंगे कि विधान सभा के सामने वह नियमावली जो आयेगी उसे उसी सत्र में मंजूर करना पड़ेगा और हम देखते हैं कि अक्सर सदन की बैठकें टाल दी जाती हैं, तारीख बढ़ जाती है। तो इसलिये मैंने इसमें रखा है कि उसके बाद जो पहला सत्र हो उसमें भी इस पर विचार हो सकेगा। आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको मान जायंगे। वर्तमान नियम यह है कि उसी सत्र में जो नियम बनेंगे विधान सभा को लाजमी होगा कि उसमें ही वह पास कर ले वरना बाद को नहीं कर सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—यह है संशोधन आपका कि धारा ४३, ४४ अथवा ४७ के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा इस प्रकार दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम से कम १४ दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी तथा उसमें ऐसे परिष्कार किये जा सकेंगे जिन्हें विधान मंडल उस अवधि उसके बाद का यथासम्भव प्रथम सत्र में करे जिसमें कि वह इस प्रकार रखी जाय। माननीय न्याय मंत्री जी इस बारे में क्या कहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं अयोज करता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं तो कहता हूं कि इस सत्र में रखे गये, अगर सदन उठ गया और सत्र समाप्त हो गया तो कैसे हमको मौका मिल सकेगा उसमें सुधार करने के लिये वह हमको मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय न्याय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं अयोज करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८ की चौथी लाइन में शब्द "उस" तथा शब्द "सत्र" के बीच में "अथवा उसके बाद का यथासम्भव प्रथम" शब्द रक्खे जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८, ४९ तथा ४९-क और ५० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया । समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है, तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है ।)

कुमायूं डिवीजन के कुछ क्षेत्रों में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों (rights, title and interests) की अध्याप्ति (acquisition) तथा वहां भूमि संबंधी सुधारों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

कुमायूं डिवीजन के कुछ क्षेत्रों में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति तथा वहां भूमि संबंधी सुधारों की व्यवस्था करना इष्टकर है ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार नैनीताल जिले के उन क्षेत्रों को छोड़ कर जहां १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू है समस्त कुमायूं डिवीजन में होगा ।

(३) यह धारा तथा धारा २ तुरन्त प्रवृत्त होंगी, और शेष धारायें धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां वे उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रवृत्त होंगी, ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगी जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की पंक्ति (१) में शब्द "विनाश" के स्थान पर शब्द "उन्मूलन" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक के शीर्षक तथा खण्ड १ के उपखण्ड (१) में आये हुए शब्द "कुमायूं" के स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा उत्तराखण्ड" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में दो स्थानों पर आये हुए शब्द "कुमायूं डिवीजन के कुछ क्षेत्रों में" के स्थान पर शब्द "कुमायूं डिवीजन के कुछ क्षेत्रों तथा उत्तराखण्ड डिवीजन में" रख दिये जायं और उसके बाद खण्ड ३ की मद (१०) के अतिरिक्त अन्य जहां कहीं भी विधेयक में शब्द "कुमायूं डिवीजन" आये हैं उनके स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे बड़ा खेद है कि जो वाद-विवाद आज हुआ उसको देखकर सरकार की यह भावना कि एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर हावी रहे, यह शुरू से आखिर तक देखी। अभी मेरा एक संशोधन इसमें था।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वह संशोधन यह था कि वर्तमान धारा ४८ के अनुसार जो नियम बनेंगे इस अधिनियम के अन्तर्गत वह १४ दिन के लिये यहां रखे जायंगे और विधान मंडल उस सत्र में उस पर विचार कर सकेगा। यह संभव हो सकता है कि विधान मंडल अपना सत्र स्थगित कर दे, यहां अक्सर ऐसा होता है, और चेयर को भी इसमें तकलीफ होती है। बराबर प्रोग्राम बदला करते हैं और सरकार की तो यह हालत है कि २३ तारीख तक के लिये सदन बुलाया था और प्रोग्राम दिया गया था और कुमायूं जमींदारी बिल आखिर में रहेगा और सीलिंग पहले लिया जायगा, तह तय हुआ था, पर उसका उल्टा हुआ लेकिन नहीं मालूम क्या कारण है कि सीलिंग बिल नहीं लाया गया। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये ही उस बिल को टाला गया है। तो अगर यह भी व्यवस्था न की जाय कि नियमों में तरमीम करने का पूरा अवसर लेजिस्लेचर को मिले, मैं नहीं समझता कि इसको कहां तक प्रजातन्त्र कहा जा सकता है। यह तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव को हमारे ऊपर लादना है। यहां पर उपनियम रख दिये जायंगे उसमें संभव है कि लेजिस्लेचर का सत्र खत्म हो जाय तो वह सब लैप्स हो जायंगे। अगर इस तरह का भी संशोधन सरकार न माने तो फिर उसके लिये क्या कहा जाय।

जहां तक कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, हम तो चाहते थे कि सरकार स्वयं एडीक्वेट कम्पेन्सेशन देती क्योंकि ९९ फीसदी गढ़वाल में और ९६ फीसदी अल्मोड़े में ऐसे लोग हैं जो कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के ही अनुसार ५ रुपये या उससे कम रेवेन्यू देते हैं। तो सरकार के पास इसमें क्या औचित्य है? सीलिंग में तो सरकार एक आदमी को ४० एकड़, ६४ एकड़ और मैक्सिमम १२८ एकड़ तक दे देगी और अगर कोई कह दे कि हम इस पर चारा उगाते हैं, केवड़ा या बाग लगाते हैं तो वह उससे जितना चाहे

कमा ले, उसके लिये कोई सीलिंग नहीं है। एक तरफ तो सरकार अनलिमिटेड जमीन देती है केवड़ा और बाग के नाम पर, चारा उगाने के नाम पर, डेरी फार्म के नाम पर और वह जितना चाहे ले ले। इसका नतीजा यह है कि किछा रेलवे स्टेशन रुद्रपुर के पास प्राग फार्म के पास डेरी फार्म लग गया है, यह सब ओवरनाइट हो गया। तो इस बिल को इसीलिये टाला जा रहा है कि लोग नाजायज फायदा उठा सकें। सरकार को बड़े आदमियों और सरमायेदारों से मुहब्बत है, यह आज इस बिल से सिद्ध हो गया है।

हमारी पुनर्वास की मांग आज ठुकरा दी गई। मुआविजे के लिये हमसे कहा गया कि यहां मैदान में केवल आठ गुना था। याद रहे यह उनके लिये था जो ५ रुपये से ज्यादा वाले हों। ५ रुपये से कम वाले नहीं थे। श्रीमन्, सन् १९५० में सस्ता अनाज था, लिविंग इन्डेक्स नीचे थे, अब वे हायर हो गये हैं, लेकिन मुआवजा घटाया जा रहा है। हमारे यहां कुमायूं में एक एकड़ जमीन जिस हिस्सेदार की (खायकर वाली) ली जायगी उसको ९-१० रुपया मुआविजा मिलेगा। उसके बरअक्स यहां सीलिंग में ८० गुना लैण्ड रेवेन्यू दी जायगी। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार द्वारा अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कानून बनाये जा रहे हैं लेकिन कहा जाता है कि हम समानता ला रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत जब असेसमेन्ट रोल बने तो उनको दफा ४९ और ५० के मातहत डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील करने का अधिकार मिला, लेकिन वह राइट भी हमको पहाड़ पर डिनाई कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि हमारे लिये सिविल अदालतों का दरवाजा भी बन्द कर दिया गया? श्रीमन्, जहां पर सरकार के खिलाफ फैसला देने की बात होती है वहां पर, खासकर यह कलेक्टर और कमिश्नर, सरकार का पक्ष लेते हैं। शुद्ध इन्साफ मुन्सिफों की अदालत में ही होता है, इसका आज भी हमें फख्र है लेकिन वहां जाने से हमें रोका गया है। हमारे लिये कलेक्टर द्वारा अपील सुन लिये जाने के बाद वह अंतिम हो जायगी। श्रीमन्, इतना ही नहीं, इन्टेरिम रिलीफ भी सरकार द्वारा नहीं दी गयी है। जो मैदानी, भूमि में दी गई ।।पहले जमींदारी उन्मूलन में इसकी व्यवस्था थी। मैंने कल मंत्री जी से अर्ज किया तो उन्होंने कहा कि हम मुआवजा पहाड़ में एक मुश्त दे रहे हैं। इस संबंध में मेरा संशोधन भी उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। पांच रुपये तक ज्यादा से ज्यादा लगान देने वाले व्यक्ति को भी सरकार एक मुश्त प्रतिकर नहीं देगी। ऐसा वित्त मंत्री जी ने पास करवाया है।

अगर श्रीमन् के सामने सदन में हमको फिर आने का अवसर हुआ तो आप देखेंगे कि सरकार इसका संशोधन लाने के लिये मजबूर होगी। हिस्सेदार को यह बना रही है भूमिधर, पहले की व्यवस्था में हिस्सेदार अपने लैण्ड को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन भूमिधर किसी ऐसे आदमी को नहीं कर सकता, जो १२ १/२ एकड़ से ज्यादा भूमि रखता हो। हिस्सेदार लीज या मारगेज कर सकता है, भूमिधर नहीं कर सकता। हिस्सेदार का अधिकार विशाल है और भूमिधर का संकुचित हो जाता है। सरकार ने कहा कि हिस्सेदार के केवल इन हकों को छीनने का वह उसमें प्रतिकर भी नहीं देगी। तो क्या यह संविधान के अल्ट्रा वायरस नहीं हो जायगा?

कुमायूं के जो पुराने कानून हैं चाहे टेनेंसी के हों या कैसे भी हों, उनको भी मान्यता हम देंगे और जब गांव में कामन लैण्ड है तो वह सभी गांव वालों का होता है। वहां के कानून के अनुसार जो प्योरली खायकरी गांव होगा जिसमें खायकर ही रहते हों, वह खायकरों में बंटेगा। जिसमें हिस्सेदार हैं वह हिस्सेदारों में बंटेगा। कच्चे खायकर और हिस्सेदारों के मिले गांव में इस संबंध में माननीय डिमरी जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझायी जो मामूली अक्ल के व्यक्ति की समझ में आ जानी चाहिये थी, कि उनमें हक केवल हिस्सेदारों का होता है। यहां तो बड़े-बूढ़े, विद्वान बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि उन्होंने धूप में बाल नहीं सुखाये हैं बल्कि सदन में सुखाये हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हम कैसे इस सरकार

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

को समझावें। जितनी हमारे पास अक्ल है उसी से समझाने की कोशिश कर सकते हैं हमारा दुर्भाग्य ही हो सकता है कि हम अपनी बात नहीं समझा पाये कि सरकार उसे मान लेती।

सरकार ने यह भी रखा है कि खायकर की वह जमीन होगी जो गांव संजायत की होगी। गांव संजायत में वह जमीन भी है जो खायकर और हिस्सेदार की मिश्रित गांव में है और वह एक बार तो पहले हिस्सेदार में वेस्ट कर चुकी है। अब डाइवेस्ट उस दिन से होगी जिस दिन से नोटीफिकेशन मिलेगा। हमारे संविधान में रखा गया है कि:—

"There cannot be acquisition of any land without paying compensation, however small it may be".

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि कुछ न कुछ मुआवजा उनको देना पड़ता। आप प्लेन्स के मुताबिक जमींदारों को वह मुआवजा नहीं दे रहे हैं, मेरी राय में यह कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है। इस प्रकार से कई चीजें ऐसी आ गयी हैं इसलिये माननीय मंत्री जी को इसे अब भी पोस्टपोन कर देना चाहिये। एक ओर सरकार करोड़ों रुपया ही नहीं अरबों रुपया तीन सीमावर्ती जिलों पर खर्च कर रही है, माननीय गिरधारी लाल जी ने बताया कि ३६ करोड़ के करीब तो सड़कों पर ही व्यय किया जा रहा है, यह सब उन्हीं भोटिया और माछी लोगों के लिये खर्च किया जा रहा है, लेकिन आपके इस कानून से उन्हीं लोगों की जमीन निकल जायगी जिनको आप दूसरी तरह से खुश करना चाहते हैं। इसमें केवल आपके कुछ लाख रुपये ही खर्च होंगे। कुछ लाख रुपयों को बचाने के लिये ही आप उनको नाराज कर रहे हैं। अशर्फियों की लूट और कोयलों पर मुहर लगा कर आप उनको नाराज करना चाहते हैं, इसका बहुत बुरा असर होगा। उनकी देश भक्ति में तो कोई शुबहा है नहीं लेकिन मंगोल ब्लड उनमें जरूर है।

कंम्पेन्सेशन के बारे में आप बड़े-बड़े जमींदारों को यहां पर १२८ एकड़ छोड़ने के बाद भी ८० गुना लगान का दे रहे हैं और ४० गुना हेरेडिटरी राइट्स का दे रहे हैं। लेकिन कुमायूं वालों के साथ आपने दूसरी तरह का बर्ताव किया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां इसलिये कम दे रहे हैं चूंकि यहां आठ गुना दिया था। तो यह सन् १९५० की बात थी, उस समय बहुत सस्ता था। लेकिन आजकल आप जमीन छोड़ने के बाद भी सीलिंग के सिलसिले में ८० गुना दे रहे हैं। उस दशा में जब सीरतान कब्जे वाली जमीन को लेते हो तो उसे पांच गुना लगान देने की आपने व्यवस्था की। इस प्रकार भी हिस्सेदार को सीरतान वाली जमीन की हक हिस्सेदारी का ७५ गुना देना चाहिये। यही कह कर मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने हस्ब दस्तूर, सीलिंग वाले बिल का हवाला देते हुये, हमारी नीयत पर भी हमला किया कि हम बड़े आदमियों की मदद करने के लिये सीलिंग बिल नहीं ला रहे हैं। जब-जब हमारे मित्र से कुमायूं डिवीजन के इस बिल के बारे में बातें हुईं, बाहर हुईं या यहां पर हुईं और इस बारे में कोई दो रायें भी हो नहीं सकतीं कि, आप इस बिल को आने देना नहीं चाहते थे। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि आप वहां के हिस्सेदारों का स्वार्थ साधन करने के लिये इस कुमायूं डिवीजन बिल को लाने के खिलाफ थे। मैं कभी ऐसी बात न कहता लेकिन आपने मुझे प्रोवोक कर दिया इसलिये ऐसी बात कहनी पड़ी, लेकिन मुझे इसका अफसोस है।

हमारे मित्र ने फरमाया कि कम्पेन्सेशन के बारे में दो तरह से बर्ताव किया जा रहा है। यहां सीलिंग बिल में ८० गुना और ४० गुना दे रहे हैं और वहां केवल ३० गुना दे रहे हैं। यह तो उन्होंने सीलिंग का बता दिया, लेकिन यहां हमने जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में ५-२५ रुपया तक के मालगुजारों को, जो सबसे छोटे थे हमने २० गुने से ज्यादा नहीं दिया, लेकिन

यहां सब हिस्सेदारों को,ख्वाह कोई ५०० मालगुजारी देता हो या १,००० देता हो, हम ३० गुना दे रहे हैं। इस प्रकार से यहां के जमींदारों के मुकाबिले में कुमायूं के जमींदारों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। जहां तक सीलिंग का सम्बन्ध है जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं उसी में तथ्य है और उसी को मैं फिर दोहराता हूं कि यहां जो मुआवजा दिया गया है वह उस जमीन का है जो लैण्ड टेन्योर होल्डर के वाकई कब्जे में है जिससे वह काश्त के जरिये वाकई लाभ उठाता है। बड़े-बड़े लैण्ड टेन्योर होल्डर्स के पास हालांकि अच्छी जमीन है, मार्जिनल लैण्ड नहीं है, सीर की जमीनें हैं जो गोयंड़ हैं और दूसरी जमीनों से अच्छी हैं, उनक दाम भी ज्यादा हैं इस कारण से उसका इतना मुआवजा दिया जा रहा है और इस हैसियत की आराजी पहाड़ में तो न के बराबर है। इसकी और उसकी नवैयत और हैसियत में जमीन और आसमान का अन्तर है। इसी कारण से मुआवजे में भी अन्तर है। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। मार्केट रेट की वह बात करते हैं, वह तो मैंने उन्हें पहले ही बता दिया। (व्यवधान) वह जरा अब शांति से सुन लें।

जहां तक रूल्स के बारे में कहा गया, एक संशोधन था उसको हमने नामंजूर कर दिया। जिस लाइन पर हमने रूल्स बनाये हैं, जितने हमारे ऐक्ट हैं उसी लाइन पर हमने इसमें भी रखा है और यही नियम हमारे जमींदारी विनाश कानून में भी हैं, कुमायूं जमींदारी विनाश कानून में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं जो हम उसके लिये भिन्न बनाते। इन सब बातों को देखते हुये इससे कोई नुकसान नहीं प्रतीत होता। इसके बारे में मैं यहां भी और बाहर भी बहुत सुन चुका हूं। जहां तक कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्र की बात है वहां के लिये यह सिद्धांत कि वहां की जमींदारी भी खत्म की जाय, ८ अगस्त सन् १९४६ को यह सदन मान चुका है और जो ऐक्ट हमने जमींदारी का पहले यहां का पास किया था उसमें भी हमने इसका प्राविधान किया था कि उसी ऐक्ट की धाराओं को कुछ तरमीमात के साथ हिली क्षेत्र में भी लागू किया जायगा और उसी का नतीजा है कि यह कानून आज पास हो रहा है। जब सदन का निश्चित मत है कि वहां की जमींदारी समाप्त की जाय तो इसी उद्देश्य की पूर्ति सरकार ने की है। बगैर यहां के जमींदारी विनाश कानून में संशोधन किये हुये हम वहां उस कानून को लागू नहीं कर सकते थे, इसी दिक्कत को महसूस करते हुये सरकार को यह कानून यहां लाना पड़ा जिसको कि आज सदन ने करीब-करीब मंजूर ही कर लिया है। आशा है कि सदन इसको अब तीसरे वाचन में भी पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१२१,
विपक्ष में--२।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी के सम्बन्ध में याचिका

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और विधान सभा, उत्तर प्रदेश, की सेवा में श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी के सम्बन्ध में याचिका, जो श्री देवीप्रसाद मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित है, उपस्थित करता हूं। इसके द्वारा वह यह चाहते हैं कि बोर्ड के फैसले के इस अंग को रद्द करके श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी को अध्यापक रहते हुये विधान सभा का सदस्य उपरोक्त जी०ओ० ८/७७५८। १५-२०७५-५२ के अनुसार बना रहने दिया जाय और त्याग-पत्र देने के लिये बाध्य न किया जाय और न जबर्दस्ती छुट्टी लेने के लिये बाध्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह याचिका सदन के सामने उपस्थित हो गई। इसको मैं याचिका समिति के पास विचारार्थ भेज देता हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष--मैंने सबेरे श्री देवनारायण भारतीय जी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उपस्थित करने पर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रश्न भेजा था, क्या वह वक्तव्य देने के लिये तैयार होकर आ गये ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--श्रीमन्, सूचना प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो सकी ।

श्री अध्यक्ष--श्री बंशीधर शुक्ल का भी एक प्रश्न मैंने भेजा था राजस्व मंत्री जी के पास ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--उसमें भी सूचना नहीं आ सकी ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मैंने कह दिया कि आफिस में हमें दें ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--सूचना नहीं आ सकी है, लेकिन विषय इतना महत्वपूर्ण है कि एक अध्यापक जिसने एक परीक्षार्थी को नकल करते हुये पकड़ा, उसका जीवन खतरे में है । वह वहां पर बोर्डिंग हाउस में बन्द है । वह शहर में बाहर नहीं निकल सकता, बलरामपुर से बाहर अपने घर नहीं जा सकता, विद्यालय में बन्द हो गया है । इसलिये मैं ऐसी परिस्थिति में सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उस अध्यापक को वहां से सही सलामत बाहर निकालने में सहायता करें ताकि वह सुरक्षित रूप से वहां से दूसरी जगह जा सके ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, इस आशय के आदेश जिलाधीश और अधीक्षक पुलिस को दे दिये जायेंगे कि अध्यापक की सुरक्षा का प्रबंध करें ।

श्री अध्यक्ष--अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २६ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
५ मई, १९६० ।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५२ पर)

तालाब बघेल (जिला बहराइच) में शरणार्थी परिवारों को बसाने की योजना का विवरण-पत्र

भारत सरकार के पुनर्वासन मंत्रालय के शाखा सचिवालय ने बहराइच जिले के ग्राम तालाब बघेल आदि में स्थित कुंवर छोटेलाल साहब, पयागपुर की रानी चन्द्रवती देवी तथा पयागपुर के युवराज कुमार साहब की २,६७७ एकड़ भूमि पर ३२८ पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन की योजना स्वीकृत की है किन्तु ९७७ एकड़ भूमि पानी के भीतर होने के कारण अथवा असामियों की जोत में होने के कारण छोड़ दी गयी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को ५ एकड़ भूमि आबंटन की जायगी। इस प्रकार १,७०० एकड़ भूमि में से १,६४० एकड़ भूमि ३२८ परिवारों को आबंटन की जायगी तथा शेष ६० एकड़ इन परिवारों के लिये मकानों के निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में लाई जायगी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने १७,७६,७२६ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	व्यय की मद	स्वीकृत धन
		रु०
१	१,७०० एकड़ भूमि क्रय करने पर व्यय	४,९७,५००
२	३२८ परिवारों को आबंटन की जाने वाली १,६४० एकड़ भूमि को तोड़ने तथा जोतने पर व्यय	९८,४००
३	विस्थापित परिवारों के लिये, १,५५० रुपये प्रति मकान के दर से ३२८ मकानों के निर्माण पर व्यय	५,०८,४००
४	प्रारंभिक बुआई, बैल तथा कृषि के औजार क्रय करने के लिये ३२८ परिवारों को ५०० रुपये प्रति परिवार की दर से ऋण देने पर व्यय	१,६४,०००
५	नालियों के निर्माण पर व्यय	८,०००
६	४०,००० रुपये प्रति मील के दर से ४ ३/४ मील लम्बी पक्की सड़क के निर्माण पर व्यय	१,९०,०००
७	५ पुलियों के निर्माण पर व्यय	३०,०००
८	३२८ परिवारों को ९ माह की अवधि तक ५० रुपये प्रति मास प्रति परिवार के औसत दर से जीवन निर्वाह भत्ता देने पर व्यय ..	१,४७,६००
९	योजना को कार्यान्वित करने के लिये अधिष्ठान पर एक वर्ष का व्यय	४२,५७६
१०	कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण पर व्यय ..	२५,९५०
११	२ प्राइमरी पाठशाला भवन तथा अध्यापकों के मकानों के निर्माण पर व्यय।	१६,८००
१२	पीने के पानी के लिये ५ ताल कूपों के निर्माण पर व्यय ..	१७,५००
१३	शरणार्थियों के लाभ के हेतु पयागपुर के पुरुषों तथा स्त्रियों के चिकित्सालय के विकास पर व्यय	३०,०००
	योगः	१७,७६,७२६

उपर्युक्त धनराशि में से क्रम-संख्या (१) से (५) तक मदों पर होने वाले व्यय पूर्वी पाकिस्तान के संबंधित परिवारों पर ऋण माना जायगा तथा शेष मदों पर होने वाला व्यय भारत सरकार राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देगी।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६-३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर)

सूची

सरकारी कुष्ठाश्रम तथा सेन्टर्स की सूची

१--राजा काली शंकर घोशाल कुष्ठाश्रम, वाराणसी ।
२--कुष्ठाश्रम, बहराइच ।
३--कुष्ठाश्रम, मेरठ ।
४--कुष्ठ सेंटर, देहरादून ।
५--कुष्ठ सेंटर, वाराणसी ।
६--कुष्ठ सेंटर, खीरी ।
७-- ,, ,, मुरादाबाद ।
८-- ,, ,, गोरखपुर ।
९-- ,, ,, बहराइच ।
१०-- ,, ,, बस्ती ।
११-- ,, ,, बाराबंकी ।
१२-- ,, ,, आजमगढ़ ।
१३--कुष्ठ यूनिट, झांसी ।
१४-- ,, ,, हमीरपुर ।
१५-- कुष्ठ क्लीनिक, कानपुर ।
१६-- ,, ,, वाराणसी ।

गैर सरकारी कुष्ठाश्रम

	अनुदान की धनराशि	
		रु०
१--कुष्ठाश्रम व चिकित्सालय, नैनी, इलाहाबाद ..		६२,६००
२--कुष्ठाश्रम चन्डाग, अल्मोड़ा		११,२००
३--कुष्ठाश्रम, अल्मोड़ा		१७,५००
४--कुष्ठाश्रम व चिकित्सालय, फैजाबाद ..	..१४,७००	४०,१००
	२५,४००	
५--कुष्ठाश्रम, लखनऊ (लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित)		..
६--मैकलरेन कुष्ठाश्रम व चिकित्सालय, देहरादून ..		२७,८२०
७--कुष्ठाश्रम रुड़की, सहारनपुर		२,९००
८--श्रीमती भावानदेवी कुष्ठाश्रम, कानपुर		१६,९००
९--कुष्ठाश्रम व चिकित्सालय, हल्द्वानी		२२,१३२
१०--कुष्ठ चिकित्सालय, मुरादाबाद ।		७,२००
११--गुप्ता कुष्ठाश्रम, खीरी		१,५५०
१२--कुष्ठाश्रम, आगरा		८,२००
१३--कुष्ठाश्रम, श्रीनगर, पौड़ी-गढ़वाल		१२,०००
१४--कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर		२१,९००
१५--कुष्ठाश्रम, मुनी की रेती, टेहरी-गढ़वाल		१०,०००
कुल योग ..		२,६२,००२

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—४८ एल० ए०—१९६०—८४५ ।